खण्ड-448, अंक-9
शुक्रवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1925
(20 फरवरी, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

कार्यवाही अनुभाग

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
शुक्रवार को नमाज हेतु शासनादेश विषयक नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	1-2
प्रश्नोत्तर	2-8
शुक्रवार को नमाज हेतु शासनादेश विषयक नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास	8
जनपद जालौन के डकोर गांव में अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को मारे पीटे जाने विषयक नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास	9
मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण के उपरान्त आज ही विनियोग विधेयक पारित किये जाने का अनुरोध (स्वीकार)	9
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	10
जनपद गाजियाबाद की सदर तहसील में भू-माफियाओं द्वारा धांधली कर ग्राम सभा की जमीनों को नाम कराने की जांच कराने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10
आगरा में अपराधों पर नियंत्रण हेतु कमला नगर में नया थाना स्थापित करने के लिए नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
मेरठ नगर निगम द्वारा पेयजल हेतु ओवर हेड पानी की टंकी न बनवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11
जनपद फैजाबाद की जलालंपुर तहसील के भियांव ग्राम सभा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बन रही सड़क को रोके जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	11-12
प्रदेश में सेना में तैनात जवानों/अफसरों की बहादुरी पर दिये जाने वाले सेना मेडल व पुरस्कार राशि अन्य प्रदेशों की भांति बढ़ाये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
प्रदेश में मान्यता प्राप्त असहायिक जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन व पेंशन सुविधायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत इतलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
सत्रकाल में औद्योगिक नीति की घोषणा सदन के बाहर किये जाने पर औचित्य का प्रश्न	13
मा0 सदस्यों के प्रश्न के उत्तर सदन की गरिमा के अनुकूल न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	14-15

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा के उपरान्त बजट भाषण में इसका उल्लेख न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न	15
मंत्रि-परिषद् द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की घोषणा सदन में होने से पूर्व ही प्रचारित हो जाने पर औचित्य का प्रश्न	15-16
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ न कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	16
जनपद झांसी में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर द्वारा नजूल की जमीन पर दुकानें बनवाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (जारी)	16
अव्यवस्थित सदन को व्यवस्थित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	16-18
जनपद झांसी में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर द्वारा नजूल की जमीन पर दुकानें बनवाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	18-19
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2001-2002, उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002, उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 (वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई)	19
'उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें' विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	19-20
जनपद औरैया में धरना प्रदर्शन के दौरान श्री कमलेश कुमार पाठक से किये गये कथित दुर्व्यवहार के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य	20-22
नियम-311, नियम-300 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	22-29
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 (पारित)	29-41
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (पारित)	41-79
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	79-81
स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग का बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न कराये जाने तथा मुख्य बजट के स्थान पर लेखानुदान लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	81-83
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	83-84
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (जारी)	85-86
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	86-102
मुख्यमंत्री द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा	102-112

विषय	पृष्ठ-संख्या
'उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों' विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	113
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	113-114
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	114
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग ... (स्वीकृत)	114
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ... (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ... (स्वीकृत)	115
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास) ... (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) .... (स्वीकृत)	116
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ... (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) ... (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	117
अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग ... (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ... (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) ... (स्वीकृत)	118
अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) ... (स्वीकृत)	118-119
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) ... (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) ... (स्वीकृत)	119
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) ... (स्वीकृत)	119-120
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ... (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) ... (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग ... (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ... (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) ... (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग, (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ... (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) ... (स्वीकृत)	121-122
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ... (स्वीकृत)	122
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग ... (स्वीकृत)	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) ... (स्वीकृत)	122-123
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) ... (स्वीकृत)	123
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग ... (स्वीकृत)	123
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग ... (स्वीकृत)	123
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) ... (स्वीकृत)	124
अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ... (स्वीकृत)	124
अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ... (स्वीकृत)	124
अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) ... (स्वीकृत)	124-125
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ... (स्वीकृत)	125
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ... (स्वीकृत)	125
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण ... (स्वीकृत)	125-126
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ... (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) ... (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) ... (स्वीकृत)	126-127
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ... (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग ... (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद सचिवालय ... (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय ... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-02, आवास विभाग ... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) ... (स्वीकृत)	128-129
अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग ... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग ... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ... (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ... (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ... (स्वीकृत)	130-131

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) ... (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ... (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग ... (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग ... (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग ... (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग ... (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग ... (स्वीकृत)	132-133
अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) ... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग ... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग ... (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ... (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग ... (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या-09, उर्जा विभाग ... (स्वीकृत)	134-135
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग ... (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) ... (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) ... (स्वीकृत)	135-136
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) ... (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) ... (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ... (स्वीकृत)	136
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) ... (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या-60, वन विभाग ... (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग ... (स्वीकृत)	137
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) ... (स्वीकृत)	137-138
अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग ... (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ... (स्वीकृत)	138
अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) ... (स्वीकृत)	138-139
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) ... (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ... (स्वीकृत)	139
अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग ... (स्वीकृत)	139

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) ... (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) ... (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ... (स्वीकृत)	140
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस, ... (स्वीकृत)	140-141
अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग ... (स्वीकृत)	141
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 ... (पारित)	141-148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ...	148-149
जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में भू-माफियाओं एवं स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम समाज की हजारों बीघा जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	149-151
नोयडा में कराये गये कार्यों की जॉच के लिये नियुक्त पूर्व जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट को सदन में रखने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	151
जनपद शाहजहाँपुर में भूमि की बिक्री में जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क में दोहरे मापदण्ड अपनाये जाने के संबंध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री का वक्तव्य	151
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति किये जाने के संबंध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	152
जनपद झांसी में भा0ज0पा0 कार्यकर्ता श्री बाबूलाल जैन के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने हेतु श्री प्रागीलाल अहिरवार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	152-154
जनपद इलाहाबाद में गतवर्ष स्वीकृत विकास कार्यों की अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	154-155
जनपद अम्बेडकर नगर के कठमोड़वा ग्राम में नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य	155-156
जनपद महाराजगंज में पानी की टंकी एवं पाइप लाइन के निर्माण हेतु वर्ष 1999 में स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	156
जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूरा कराये जाने के संबंध में श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	156-157

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर की तहसील केराकत में दैवीय आपदा में मृत पशुओं की क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री का केवल वक्तव्य	158
जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी चीनी मिल पर किसानों के बकाये का भुगतान कराने तथा मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दूबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	158-159
जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में नाले की सफाई न होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बर्बाद होने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	159-160
जनपद बागपत में निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा कम दरों पर गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	160-161
जनपद जालौन में कहटा-विनौठ के मध्य बेतवा नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य	161
जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	161-162
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	162
प्रदेश में प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटियों द्वारा खाद्य एवं बीज का वितरण रोके जाने के संबंध में श्री रामहेत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य	162-163
विधेयक के पुर:स्थापन के पूर्व विधेयक की प्रतियां उपलब्ध कराने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	163-164
इटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 ... (पुर:स्थापित)	164-165
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 ... (पुर:स्थापित)	165
नत्थी.	166

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष , श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-330

1- अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2- अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3- अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4- अजय कुमार, डा0 — बागपत
5- अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
6- अताउल रहमान, श्री — बरेली
7- अनवर महमूद श्री, — बलरामपुर
8- अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
9- अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
10- अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
11- अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
12- अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
13- अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14- अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
15- अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
16- अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
17- अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
18- अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
19- अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
20- अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21- अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
22- अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
23- अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
24- अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25- अम्बेश कुमारी, श्री — महोबा
26- अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27- अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28- अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
29- अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
30- अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
31- अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
33- अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
34- अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35- अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
36- अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
37- आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
38- आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
39- आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
40- आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
41- आर0के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
42- आर0के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
44- आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45- आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
46- आशीष यादव, श्री — बदायूं
47- आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48- इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
49- इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी

50- इन्द्रदेव सिंह, डा0 बिजनौर
51- इलम सिंह, श्री सहारनपुर
52- उदयराज यादव, श्री उन्नाव
53- उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
54- उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
55- ऊषा वर्मा, श्रीमती हरदोई
56- ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
57- ओम प्रकाश, श्री गांजीपुर
58-ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
59- ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
60- ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
61- ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62- ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
63-कपिल देव यादव, श्री मऊ
64- कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
65- कमाल युसूफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
66- कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
67- कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
68- कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
69- काशी राम, श्री रामपुर
70- किरन पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
71- किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
72- कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
73- कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74- कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
75-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
76- केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
77- कैलाश, श्री गाजीपुर
78- कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
79- कौशल किशोर, श्री खीरी
80- कौशल किशोर, श्री लखनऊ
81- गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
82- गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
83- गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
84- गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
85- घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
86- घूरा राम, श्री बलिया
87-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
88- चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
89- चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
90- चितरंजन स्वरुप, श्री मुजफ्फरनगर
91- छेदी राम, श्री गाजीपुर
92- छोटे लाल यादव, श्री बारांवकी
93- छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
94-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
95- जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
96- जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
97- जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
98- जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
99- जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
100- जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
101- जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
102- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
103- जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
104- जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
105- जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
106- जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
107- जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
108- जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
109- तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
110- ददू प्रसाद, श्री चित्रकूट
111- दयाराम, श्री कौशाम्वी
112- दया शंकर वर्मा, श्री जालौन

113- दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थ नगर
114-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
115- दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
116- दीनानाथ भास्कर, श्री — संत रविदास नगर, भदोही
117- दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
118- दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
119- देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
120- देव नारायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री — गोरखपुर
121- देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
122- धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
123- धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
124- धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
125- धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
126- धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
127- नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
128- नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
129-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
130- नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
131- नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
132- नारद राय, श्री — बलिया
133- पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
134- परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
135- पारस नाथ यादव,श्री — जौनपुर
136- पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
137- पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
138- पीतम राम, श्री — पीलीभीत
139- पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
140- प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
141- प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
142- प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
143- प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
144-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
145- प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
146- प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
147- प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
148- प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
149- प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
150- बंशीधर राज, श्री — खीरी
151- बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
152-बाबू राम, एम0काम0, श्री — जालौन
153- बाबू लाल, श्री — गोण्डा
154- विजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
155- बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
156- बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
157- बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
158- बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट — जालौन
159- बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
160- बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
161- ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
162- भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
163- भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
164- भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
165- मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
166- मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
167- मदन भैया, श्री — बागपत
168- मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
169- मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
170- मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
171- मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
172- महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर

173- महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री — सीतापुर
174- महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ़
175- महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
176- महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
177- महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
178- महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
179- माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
180- मान पाल सिंह, श्री — एटा
181- माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
182- मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
183- मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
184- मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
185- मुकुट विहारी, वर्मा, श्री — बहराइच
186- मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
187- मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर
188- मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
189- मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
190- मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
191- मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
192- मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
193- मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
194- मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
195- यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
196- यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
197- याकूब, हाजी — मेरठ
198- योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
199- योगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
200- रणवीर राणा, श्री — मेरठ
201- रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
202- रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
203- रमेश चन्द बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
204- राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
205- राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
206- राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
207- राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
208- राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
209- राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
210- राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
211- राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
212- राजवीर सिह, श्री — बुलन्दशहर
213- राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
214- राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
215- राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखंनऊ
216- राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
217- राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
218- राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
219- राजेश कुमार, श्री — खीरी
220- राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
221- राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
222- राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
223- राम करन आर्य, श्री — बस्ती
224- राम किशुन, श्री — वाराणसी
225- राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
226- राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
227- रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
228- राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
229- रामनाथ, श्री — प्रतापगढ़
230- रामपाल यादव, श्री — सीतापुर

231- राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
232- राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
233- राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234- राम बाबू हरित, डा0 आगरा
235- राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
236- राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
237- राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
238- रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
239- रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
240- राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
241- राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
242- राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
243- राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
244- रामहेत, श्री सीतापुर
245- रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
246- रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबा फूले नगर
247- रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
248- रेवती रमण सिंह, कुंवर इलाहाबाद
249- लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
250- लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
251- लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
252- लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
253- लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
254- लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
255- वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
256- विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
257- विजय कुमार मिश्रा,श्री सन्त रविदासनगर, भदोही
258- विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
259- विजय सिंह, श्री सोनभद्र
260- विजेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
261- विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
262- विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
263- विनय शाक्य, श्री औरैया
264- विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
265- विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
266- विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
267- विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
268- विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
269- विमला राकेश,श्रीमती सहारनपुर
270- विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
271- विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
272- विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
273- वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
274- वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
275- वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
**276 वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
276- वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री ललितपुर
277- वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
278- शंख लाल मांझी, श्री सन्त कबीर नगर
279- शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री संत रविदास नगर, भदोही
280- शब्बीर, श्री बहराइच
281- शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
282- शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
283- शाकिर अली, श्री देवरिया
284- शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
285- शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
286- शाहिद मंजूर, श्री मेरठ

287-	शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात	308-	सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
288-	शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर	309-	सियाराम सागर, डा0 — बरेली
290-	शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली	310-	सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
291-	शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा	311-	सुख देवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
292-	शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर	312-	सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
293-	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज	313-	सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
294-	शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा	314-	सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री — गाजियाबाद
295-	शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर	315-	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
296-	श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा	316-	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
297-	श्याम नारायन, श्री — महराजगंज	317-	सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
298-	श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर	318-	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
299-	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा	319-	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
300-	संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर	320-	सुल्तान बेग, श्री — बरेली
301-	संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर	321-	सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
302-	संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद	322-	सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
303-	सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री (रिक्त) — मेरठ	323-	सोमारु राम सरोज, श्री — जौनपुर
		324-	सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
		325-	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
304-	सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी	326-	हरि ओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
305-	समरपाल सिंह, श्री — बागपत	327-	हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
306-	सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद	328-	हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
		329-	हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
307-	सलिल बिशनोई, श्री — कानपुर नगर	330-	होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर

नोट :-

मा0 अहमद हसन - परिवार कल्याण मंत्री,

मा0 राम प्यारे सिंह - पर्यावरण मंत्री,

मा0 बनवारी सिंह यादव - प्रोटोकाल नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री तथा

मा0 राम आसरे विश्वकर्मा - उच्च शिक्षा राज्य मंत्री

भी सदन में उपस्थित थे।

शुक्रवार की नमाज़ हेतु शासनादेश विषयक नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1

(तभी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सहित विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(इसी मध्य श्री राम इकबाल सिंह, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री नवाब सिंह नागर तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के साथ भाजपा के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 311 की सूचना है इसको विनम्रतापूर्वक सुन लीजिए। सरकार ने शासनादेश जारी किया है उसको वापस ले लें। हम नियम-311 में इस शासनादेश का विरोध करते हैं। आप नियमों को निलंबित करते हुए सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम 56 में चयनित हो गयी है। उसमें अपनी बात कह दीजिएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं। उन्हें सुन लें।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, यह बड़ा कठिन विषय है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो माननीय सदस्यों को अपनी सीटों पर जाना चाहिए।

(नेता विरोधी दल के बोलने पर भाजपा सदस्यगण अपने स्थान पर चले गये।)

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, किसी के आचरण पर हमें बोलने का फंडामेंटल राइट है। कोई यह हमसे नहीं छीन सकता, जी0ओ0 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिए। वह स्थिति स्पष्ट करें। क्या किसी को जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा अनुरोध है कि यह सूचना नियम-56 में चयनित कर ली गई है। प्रश्नकाल होने दीजिए उसके बाद वह आ जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र का साम्प्रदायिकीकरण हो रहा है।

(श्री घनश्याम शुक्ला, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम इकबाल सिंह, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) श्री उमाशंकर कुशवाहा तथा घूराराम के साथ बसपा तथा भाजपा के अनेक सदस्य वेल में आ गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, शिक्षण संस्थाओं को बचाया जाये, नियमों को निलंबित करके हमको सुन लीजिए।

(श्री घनश्याम शुक्ला ने 'वोट बैंक की राजनीति बंद करो। सोमवार, मंगलवार की भी छुट्टी दो।' का बैनर दिखाया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री कुछ कहना चाह रहे हैं कृपया उन्हें सुन लें।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

'मंगलवार के दिन स्कूल बंद करो हनुमान चालीसा का पाठ करो'

(भाजपा और बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

आप लोग मुझे सदन को स्थगित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 4 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0प्र0 में एड्स के रोगियों की संख्या व उपचार हेतु उपाय

**1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उ0प्र0 में कितने एड्स के रोगी हैं तथा उनके उपचार की क्या व्यवस्था है? क्या सरकार द्वारा इसके बचाव की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

नोट :- उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उ0प्र0 में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 1268 एड्स के रोगी हैं।

जिनके उपचार हेतु उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-

लखनऊ तथा वाराणसी मेडिकल कालेजों को एच0आई0वी0/एड्स रोगियों में पाये जाने अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु 2,00,000 (दो लाख रुपये की) प्रत्येक को धनराशि एवं शेष 07 मेडिकल कालेजों को रुपये 50,000,00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ को रुपया 1,00,000/- की धनराशि प्रदान की गयी है।

जिला चिकित्सालयों (महिला एवं पुरुष) को रु0 25,000/- की धनराशि एच0आई0वी0/एड्स रोगियों में पाये जाने वाले अवसरवादी संक्रमणों के उपचार हेतु आवंटित की गयी है।

जरुरत मन्द रोगियों को सुरक्षित रक्त, 127 लाइसेन्स प्राप्त रक्तकोषों द्वारा प्रदान किया जाता है।

यौनजनित रोगों का नि:शुल्क उपचार मेडिकल कालेजों एवं जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कुल 68 एस0टी0डी0 क्लीनिकल कार्यरत हैं। एच0आई0वी0/एड्स के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रचार प्रसार एवं जानकारी इलेक्ट्रानिक प्रिन्ट एवं फोक मीडिया के माध्यम से प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिलावटी व नकली उर्वरकों के उत्पादन एवं विक्रय पर नियन्त्रण हेतु योजना

**2-डा0 अजय कुमार तथा श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अधोमानक, अप्रमाणिक, मिलावटी व नकली उर्वरकों के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

जी हाँ।

वर्ष 2003-04 हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना की प्रति संलग्न+ है।

प्रश्न नहीं उठता।

(+ देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ----- पर।)

तारांकित प्रश्न

*1-श्री राम इकबाल सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर में बीड़ी श्रमिकों के उत्थान हेतु योजना

*2-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में बीड़ी श्रमिकों के उत्थान हेतु कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार द्वारा पृथक से कोई योजना नहीं बनाई गई है, बल्कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा "बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1976" के तहत अनेक कल्याणकारी योजनायें बनाई गई है जो समस्त बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित है। योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजना

(2) सामूहिक बीमा योजना

(3) शिक्षा संबंधी योजना

(4) आवासीय सुविधा

(5) कोआपरेटिव सोसाइटी हेतु वर्कशेड/गोदामों के निर्माण हेतु अनुदान

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें जनपद जौनपुर में स्थित चल/अचल औषधालय द्वारा भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्रीमती विमला राकेश-

[तीसरे सोमवार के तारा0प्र0सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहाँपुर में अन्नप्रयुक्त स्टाम्पों की वापसी हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री को जानकारी है कि अनुपयुक्त स्टाम्पों की वापसी के लिये जिलों में धन उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार शाहजहांपुर जिले के अधिकारियों की मांग को देखते हुये अनुप्रयुक्त स्टाम्पों की वापसी हेतु धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के अधिकारियों की मांग को देखते हुए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुप्रयुक्त स्टाम्पों की वापसी के लिये स्टाम्प न्यायिक के मद में रु0 28000/- तथा स्टाम्प न्यायिकेत्तर के मद में रु0 10 लाख की धनराशि शाहजहांपुर जनपद को दिनांक 18.12.2003 तथा दिनांक 3.2.2004 को आवंटित कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित गोरइयादेव मन्दिर के तालाब के घाटों को पक्का कराने की माँग

2-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बरई खुर्द, पो0 बड़ा गांव जनपद फैजाबाद स्थित गोरइयादेव मंदिर के तालाब के घाटों को पक्का कराने हेतु श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

उक्त तालाब के एक भाग में लगभग 65 मीटर पक्के घाट का निर्माण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण रोजगार योजना के कार्यों में गड़बड़ी की जाँच

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा रकेंगे कि पंचायती राज अनुभाग-5 द्वारा निर्गत पत्र सं0-24ए0पी0सी0/33-2-2002, दिनांक 3 दिसम्बर, 2002 जो जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सम्पूर्ण रोजगार योजना के कार्यों में गड़बड़ी की जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 एवं धन वसूली के सम्बन्ध में है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की टास्क फोर्स गठित कर जाँच करायी गयी। टास्क फोर्स की जांच आख्या के आधार पर श्री पाण्डेय का पत्र सं0-24ए0पी0सी0/33-2-2002, दिनांक 3 दिसम्बर, 2002 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसके विरुद्ध श्री पाण्डेय ने मा0 उच्च न्यायालय पीठ लखनऊ में रिट पिटीशन संख्या-7361 (एम0/बी)/2002 देवेन्द्र नाथ पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च

न्यायालय में दिनांक 7-1-2003 को यह आदेश पारित किया कि जब तक विस्तृत जांच नहीं हो जाती तब तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 16-12-2003 को जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसके परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के पिलखुवा क्षेत्र में केबिल आपरेटरों द्वारा मनोरंजन कर की चोरी एवं मनमाना किराया वसूलने के सम्बन्ध में शिकायती -पत्र

4-डा0 विनोद तिवारी-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के पिलखुवा नगर क्षेत्र में केबिल आपरेटरों द्वारा की जा रही मनोरंजन कर चोरी एवं जनता से मनमाना केबिल किराया वसूल किये जाने सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल शर्मा (एडवोकेट), मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड के पूर्व जिलाध्यक्ष, गाजियाबाद का शिकायती पत्रांक-29 दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिशंकर तिवारी-

जी हाँ।

उक्त शिकायती - पत्र की जांच जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से करायी गयी। शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अमरगढ़ चिल्लावां मार्ग को लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका आदेश सं0-511/वी0 आई0 पी0/रा0 मं0 पं0/2003, दिनांक 4-4-03 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण से सम्बन्धित शासनादेश सं0-195 नि0/33- सेल/2002, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 तथा शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2003 में स्वीकृत मार्गों को लेपन स्तर तक निर्माण किये जाने हेतु एवं अमरगढ़ चिलांवा मार्ग का लेपन स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित था, का अनुपालन कर लिया गया है? यदि हां, तो उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निर्गत किये गये शासनादेश का विवरण क्या है?

श्री बलराम यादव-

प्रश्न में उल्लिखित आदेश संख्या511/वी0आई0पी0/रा0मं0पं0/2003, दिनांक 4-4-03 मूल रुप में शासन में प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उक्त पत्र की छाया प्रति प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 23-12-2003 के साथ प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या-195नि0/33-सेल/2002, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 द्वारा 3 मार्ग तथा शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2003 द्वारा स्वीकृत 7 मार्गों का जिस स्तर तक कार्य स्वीकृत किया गया था, पूर्ण कर लिया गया है। उक्त स्वीकृत मार्गों में अमरगढ़-चिलांवा मार्ग सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

6-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-71 के अतर्गत स्थानान्तरित]

7-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[चौथे सोमवार के अता0प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में घाटे पर चल रही दुग्ध समितियां

8-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितनी दुग्ध समितियां घाटे पर चल रही है? क्या सरकार घाटे वाली समितियां बन्द करने जा रही है? यदि हां, तो क्या घाटे से उबारने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी हां।

प्रदेश में इस समय 761 दुग्ध समितियां घाटे पर चल रही हैं।

जी नहीं।

विभिन्न विभागीय योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से इन्हें लाभ में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड देसही के ग्राम प्रधान के विरुद्ध गबन की जाँच

9-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या पंचायती राज मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम पंचायत मदरापाली भरथराय, विकास खण्ड-देसही देवरिया जनपद-देवरिया में वित्तीय वर्ष 1995-96, 97-98, 98-99 में क्या ग्राम प्रधान के विरुद्ध 7647/- (सात हजार छः सौ सैतालिस रुपये) का गबन सिद्ध पाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर गबन की गई धनराशि की वसूली करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम पंचायत में सुनिश्चित रोजगार योजना अंतर्गत नवनिर्मित पोखरी के उत्खनन में रु0 7,647.00 की अनियमितता जांच से प्रमाणित हुई थी जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान

व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जा चुकी है। अत: किसी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

सरेनी विधान सभा क्षेत्र, जनपद-रायबरेली की ग्राम सभाओं में पंचायती भवन के निर्माण की मांग

10-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरेनी विधान सभा क्षेत्र जनपद-रायबरेली में जिन ग्राम सभाओं में पंचायती भवन नहीं है उनके भवन बनाया जाना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो भवनों का निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधन पर्याप्त न होने के कारण।

शुक्रवार की नमाज हेतु शासनादेश विषयक नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस तरीके से जालौन में अल्पसंख्यक महिलाओं को नंगा करके मारा गया है, वह बहुत ही शर्मनाक घटना है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, एक गलतफहमी बहुत फैली हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश जारी कराया है, जिसमें हर विद्यालय में जुम्मे के दिन छुट्टी हो जायेगी दोपहर के वक्त, तो यह घोर साम्प्रदायिक कदम है, इसमें आज तुष्टीकरण की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना चयनित हो गयी है नियम-56 में कृपया कार्यस्थगन की मद तो आने दीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जायेगी, तो यह समस्या का समाधान निकल आयेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो जी0ओ0 जारी हुआ है, चूंकि अभी गया नहीं है वह गलत है, इसे हम स्वीकार करते हैं। जो पहले जी0ओ0 था उस पर आपकी नेता विरोधी दल की राय थी, हम मिल करके बात कर लेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जो सदन के माननीय सदस्यों की भावना के विपरीत हो, सदन की भावना के विपरी हो, हम उसको सुधारेंगे, हम आज तीन-साढ़े तीन बजे, जो गलत है, वापस लेते हैं, दुबारा संशोधन करके लायेंगे।

जनपद जालौन के डकोर गांव में अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को मारे-पीटे जाने विषयक नियम 311 की सूचना पर उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जनपद जालौन के डकोर गांव में अल्पसंख्यक महिलाओं को निवस्त्र करके मारा पीटा गया है। अपराधी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस निष्क्रिय है। रात में उनको मारा पीटा गया है और यह धमकी दी गयी है कि एफ0आई0आर0 कराई तो जान से मार दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जब कार्य - स्थगन की मद आयेगी तो हम आपको इसका अवसर देंगे। हमने इसका संज्ञान ले लिया है।

आज नियम 301 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वह लेता हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के उपरान्त, आज ही विनियोग विधेयक पारित किये जाने का अनुरोध

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले एक निवेदन कर लूं।

आपसे विचार-विमर्श हुआ था, माननीय नेता विरोधी दल के सामने बात रखी थी। इस उत्तर प्रदेश के विकास की एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों की एक बैठक है, वह बैठक हमारी वजह से ही आयोजित की गयी थी और उसमें हमें भाग लेना है। सदन कल भी चलेगा, यह हम आश्वस्त करते हैं, विधान सभा भंग नहीं होगी, क्योंकि काफी लोगों में गम्भीरता से इस पर चर्चा है। इसलिए हम चाहते हैं और प्रार्थना है कि आज ही विनियोग विधेयक हमारे भाषण के बाद पास कर लिया जायेगा, कल के बारे में कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, पूरा सदन चलेगा। किसी भी कीमत पर विधान सभा के चुनाव साथ-साथ नहीं करायेंगे। आपके निश्चय से अनिश्चय की ओर नहीं ले जायेंगे आप बाकायदा विधायक बने रहेंगे। यह इधर भी चिन्ता थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी तीनों आपस में तय कर लें क्योंकि डेढ़ बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय नेता भाजपा, बसपा, सीपीएम और संभी दलों के नेताओं से हमारा निवेदन है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रों का काम है हम लोग शाम को आपसे मिलना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष-

आपके अनुरोध को हम कह देंगे।

नियम- 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम- 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुयीं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर की, दूसरी सूचना श्री जगन प्रसाट गर्ग की, तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की, चौथी सूचना श्री काशी राम की, पांचवी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की, छठी सूचना श्री चन्द्र देव राम यादव की और सातवीं सूचना श्री राम हेत की है। सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सूचनाएं स्वीकार की गयी। प्रतीक्षा सूची में श्री सुरेश कुमार खन्ना व श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सूचना अब नहीं ली जायेगी। माननीय सदस्यों के नाम, जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयी वह 1. श्री मो0 इरशाद खां, 2. डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, 3. श्री विश्राम सिंह यादव तथा 4. श्री लाल जी वर्मा हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गाजियाबाद की सदर तहसील में भू-माफियाओं द्वारा धांधली कर ग्राम सभा की जमीनों को नाम कराने की जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्री नवाब सिंह नागर-

[महोदय, जनपद गौतमबुद्ध नगर की सदर तहसील के अन्तर्गत भू-माफिया द्वारा बड़े स्तर पर धांधली कर ग्राम सभा की जमीनों को नाम कराने एवं गलत तरीके से दूसरी ग्राम सभा में परिवर्तन करने के मामलों की जांच जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा करायी गयी थी, जिसके आधार पर दोषी सदर तहसील के दो उप जिलाधिकारियों को माह जनवरी, 2004 में निलम्बित किया गया है, इस प्रकरण में इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी ग्रेटर नोएडा को भू-माफिया के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए लिखा गया था, इस प्रकरण में दोषी भू-माफिया के विरुद्ध राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण अभी तक न तो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और न ही कोई कार्यवाही हुई है, जिससे जनता में भी आक्रोश हैं। अत: मैं इस अति लोक महत्व के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा में अपराधों पर नियन्त्रण हेतु कमला नगर में नया थाना स्थापित करने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के थाना-न्यू आगरा व थाना एतमा[illegible] में बढ़ रही चोरी, डकैती, राहजनी, अपहरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 10 वर्षों में इस दोनों थाना क्षेत्रों का कार्य भार बहुत बढ़ गया है जिससे अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कमलानगर में एक नया थाना स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इन दोनों थाना क्षेत्रों पर कार्य की अधिकता होने से पुलिस अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है और अपराधी आये दिन आसानी से कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस क्षेत्र में जनमानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कमलानगर जनपद आगरा में नया थाना स्थापित किये जाने की मांग करता हूँ।

मेरठ नगर निगम द्वारा पेयजल हेतु ओवर हेड पानी की टंकी न बनवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मेरठ नगर निगम द्वारा पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ क्षेत्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। वार्ड 62 के मोहल्ला खन्दक में पेयजल का संकट है 50 गज दूर बी0ए0वी0 इण्टर कालेज के निकट मेन रोड पर मेन पाइप लाइन है, पानी की उपलब्धता है। कुछ अनैतिक दबावों के कारण उनको मेन रोड से जोड़कर पानी नहीं दे रहे हैं। रामवाण नौचन्डी में टंकी नहीं बना रहे हैं, सुभाषनगर में भी टंकी के प्रस्तावित स्थल का निर्धारण नहीं करा रहे हैं। धनराशि उपलब्ध है, कार्य नहीं हो पा रहा है। पेयजल उपलब्ध है, खन्दक को पानी नहीं मिल रहा है, जनता कष्ट में है। मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फैजाबाद की जलालपुर तहसील के भियांव ग्राम सभा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बन रही सड़क को रोके जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशीराम-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर अन्तर्गत ग्राम सभा भियांव (ब्रह्मणपट्टी) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त सड़क के ही रामबहोर, रामफेर, रामधनी, बलजोर आदि लोगों द्वारा रोक दिया गया है। बलजोर सजायाफ्ता है और इनके नाम से गलत तरीके से बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है और घमण्डी पुत्र मुरली के नाम से भी लाइसेन्स है, एक परिवार में दो लाइसेन्स है जिसको निकाल कर आये दिन रामकिशोर यादव आदि लोगों को प्रताड़ित करना, मारना पीटना, इनका कार्य है। इस सम्बन्ध में दिनांक 10-02-2004 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी, जिसमें 12-02-2004 को मा0 मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया कि, 27-01-2004 को नायब तहसीलदार द्वारा खूटा गड़वा दिया गया है, परन्तु खूटा दूसरे दिन ही उखाड़ कर लाइसेन्सी दोनों बन्दूकें लेकर हमला रामकिशोर आदि पर किया गया। जो पुलिस एक बन्दूक बरामद व कारतूस की बात उत्तर में ही कही है। लाइसेन्स शस्त्र एस0बी0बी0एल0बी0एस0-19334 की निरस्तीकरण की रिपोर्ट दी गयी है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उत्तर में कहा गया है कि 14-02-2004 को पैमाइश एवं निराकरण करा दिया जायेगा। जबकि 14-02-2004 को समय समाप्त हो गया है मौके पर कोई पैमाइश नहीं करने गया। सदन की अवमानना हुई है और इसके लिए दोषी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए, शासन व सदन की गरिमा गिरायी गयी है। रामकिशोर यादव आदि को डराया धमकाया जा रहा है। कटहेली झांड़ियों को साफ

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करवाया जाये, गलियारे में मिट्टी डलवायी जाये, बन्द रास्ता का निर्माण कराया जाय, दोनों शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जायें, नहीं तो जनता में आक्रोश व्याप्त है, और भय के कारण गांव छोड़ने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। अत: इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में सेना में तैनात जवानों/अफसरों को बहादुरी पर दिये जाने वाले सेना मेडल व पुरस्कार राशि अन्य प्रदेशों की भांति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[मान्यवर, उ0प्र0 राज्य में सेना में तैनात जवान व अफसरों को बहादुरी दिखाने पर दिये जाने वाले सेना मेडल पर सरकार की तरफ से तीन हजार बतौर ईनाम दिया जाता है जबकि पंजाब में सेना मेडल पर 5 लाख रुपया हरियाणा में 25 हजार नकद व एक भूखण्ड दिया जाता है। मेरठ के मेजर राजीव चौधरी को सेना मेडल मिलने पर सरकार ने धनराशि देर से भेजने पर 400/- ब्याज का चेक भी दिया मेजर की पत्नी ने अपने पास से 500/- मिलाकर सधन्यवाद मुख्यमंत्री को भेज दिया कि किसी गरीब की सहायता कर दी जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह धनराशि बढ़ानी चाहिये। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में मान्यता प्राप्त असहायिक जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन व पेंशन सुविधायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

[मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में मान्यता प्राप्त असहायिक हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के समक्ष बिना वेतन के कार्य करने के कारण जीवन रक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है। वर्ष 1984 के स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों को भी अभी तक राज्य अनुदान सूची में स्थान न मिलने से इन संस्थाओं के सैकड़ों शिक्षक/कर्मचारी प्रतिवर्ष बिना पेंशन के ही सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन न कर पाने के कारण आज दिनांक 20 फरवरी को हजारों शिक्षक मा0 मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 24 घण्टे के सामूहिक उपवास पर बैठे हैं।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस लोकहित के महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाय तथा इस मामले में मैं सरकार से वक्तव्य और आश्वासन की माँग करता हूँ]

जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत इमलिया सुल्तानपुर में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम- 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत-

[मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र 64 हरगाँव में इमलिया सुल्तानपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है चूंकि इमालिया सुल्तानपुर में विकास खण्ड (क्षेत्र पंचायत) का कार्यालय तथा थाना एवं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) होने के साथ क्षेत्रीय इलाका बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिये सुल्तानपुर तथा आस-पास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भवानीपुर फीडर से की जाती है जो इमलिया सुल्तानपुर से करीब 35 किमी0 की दूरी पर है जब कि जिला मुख्यालय से इमलिया सुल्तानपुर की दूरी 12 किमी0 है। आये दिन तारों की चोरी हो जाती है अपना लाइन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे 6-6 माह विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है इस बीच उपभोक्ताओं को बिजली तो मिलती नहीं परन्तु विद्युत बिलों का भुगतान करना पड़ता है। यदि इमलिया सुल्तानपुर में पूर्ण प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कर दिया जाय तो क्षेत्रीय जनता की विद्युत समस्या का समाधान हो सकता है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं माननीय ऊर्जामंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूँ तथा विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग करता हूँ।

सत्रकाल में औद्योगिक नीति की घोषणा सदन के बाहर किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20.02.2004 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना माननीय डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की है।

*डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब सदन सत्र में होता है तो सदन से बाहर नीतिगत घोषणाएं नहीं होती है। मान्यवर, औद्योगिक नीति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो आज सदन में घोषणाएं करने की बात है, लेकिन आज समाचार पत्रों में औद्योगिक नीति के सारे विषय समाचार पत्रों में है। मैं इस औचित्य प्रश्न में आपका निर्णय चाहता हूँ कि जब यह सदन का सत्र चल रहा है, मान्य परम्परा है कि किसी प्रकार की नीति की घोषणा जब सदन सत्र में हो तो सदन के बाहर नहीं हो सकती, सदन सत्र में है और आज सत्र था तो जो घोषणा बाहर हो गयी जो समाचार पत्रों में छप गयी तो अब सदन में उस नीति का क्या औचित्य रह जायेगा इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

यह सही है, इसको हम बहुत गम्भीरता से लेंगे, सारा तो नहीं प्रकाशित हो पाया है ऊर्जा उद्योग नीति, लेकिन कुछ समाचार पत्रों में आया है। समाचार पत्रों में पढ़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। कई घोषणाएं हैं जो हम सदन के सामने करेंगे जिससे पूरा सदन सहमत होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन भविष्य में अब ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ तो उसमें अखबार में आ गया है सारी उद्योग नीति बिजली की नहीं आई है। यह क्यों आया है इसको हम गम्भीरता से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों का संकलन 1979-84 के पृष्ठ 174 पर निर्णय संख्या 364 के अनुसार सदन के चलते समय मंत्रिपरिषद के नीति संबंधी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन, परम्परा के विरुद्ध और अनुचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्थिति स्पष्ट कर दी और आश्वासन भी दिया है। इसके उपरान्त मैं आपकी सूचना को निस्तारित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 सदस्यों के प्रश्न के उत्तर सदन की गरिमा के अनुकूल न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, आपकी एक सूचना आ गयी अत: इसे नहीं लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपका जो निर्णय है, वह शिरोधार्य है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि नियम 300 में एक ही सूचना ली जायेगी। मेरा आपसे मात्र इतना कहना है कि दो माननीय सदस्यों लालजी वर्मा और श्रीमती विद्या चौधरी जी द्वारा एक सूचना दी गयी थी, उस पर माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर प्राप्त हुआ है कि यह लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है। मेरा केवल इतना निवेदन है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, विषय अपनी जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों के अधिकार निहित हैं। यह जब वक्तव्य के लिये गया तो संबंधित विभाग को उत्तर देना चाहिये था तो इसमें एक लाइन का उत्तर दे दिया गया कि यह सूचना लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है, यह बात सदन की गंभीरता के अनुकूल नहीं है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति कुछ नहीं कह रहा हूँ। सदन की जो कार्यवाही चलती है, आपके प्रति अधिकारियों में क्रमश: गंभीरता कम होती चली जा रही है। पहले जब हम लोग प्रश्न देते थे तो जिले में हड़कंप मच जाता था। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि सदन के प्रति नीचे के तंत्र में गंभीरता कम होती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये यह संभव नहीं था कि वह उसको देखते, लेकिन यह उस विभाग को ट्रांसफर कर सकते थे। स्वयं लोक निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इस पर मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूँ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। पिछले सत्र में अपने भाषण में मैंने कह भी दिया था और हम निर्देश भी दे चुके हैं, आज ही आदेश दे देंगे कि सबसे पहले, कोई भी अधिकारी माननीय सदस्य को गलत उत्तर नहीं देगा। अगर गलत उत्तर देगा तो वह उत्तरदायी होगा। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि सही जवाब मिले इससे तो सरकार की छवि अच्छी होगी। आप लोग सरकार की कमजोरियों को सवाल के रुप में उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, अधिकारी भी इसको महसूस करेंगे, क्योंकि हमने भी बहुत इस चीज को झेला है। पहले हम लोग सवाल करते थे तो कोई अधिकारी घेरते थे और कहते थे कि सवाल को वापस ले लीजिये, हम खेद व्यक्त करते हैं। वह स्थिति धीरे-धीरे खत्म हो रही है, इसलिये हम आपसे सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह भी सुनिश्चित कर लें कि किसी विशेष विभाग से संबंधित सूचना नहीं है तो संबंधित विभाग को चली जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने तो यहां तक कहा है कि संबंधित अधिकारी कार्यवाही की समीक्षा करवें अपने विभाग में लागू करें। कार्यवाही में सदन के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं, उन पर अमल करें। सब

कितना बिगड़ा हुआ है, कितना बिगाड़ के दिया है, आपने, कब तक सुधारें? ट्रैक्टर और सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब साफ कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को निस्तारित करता हूँ।

सदन में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा के उपरान्त बजट भाषण में उसका उल्लेख न किये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री लाल जी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य की है।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली बार सत्र की बैठक के दौरान माननीय नेता सदन ने इसी विधान सभा में घोषणा की थी कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे और बेरोजगारों में यह सन्देश गया था कि वर्तमान सरकार...

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नही आती।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसी सदन में आप समय-समय पर व्यवस्थायें देते हैं कि यह सदन प्रक्रिया नियमावली से चलता है। मान्यवर, आप बजट भाषण के पेज 26 को देख लें, इसमें कहा गया है कि इसके लिये राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, जबकि पिछले सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस बजट सत्र में आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है। मान्यवर, आप व्यवस्था दे दें कि कौन सी बात सही मानी जाय। आज वाली बात सही है, या पहले वाली बात, इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियमों और संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

मन्त्रि परिषद द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों की घोषणा सदन होने से पूर्व ही प्रचारित हो जाने पर औचित्य का प्रश्न

*श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मेरा विषय भी बी0पी0एड0 बेरोजगारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में था। बी0पी0एड0 के सम्बन्ध में भी बहुत सी जानकारी समाचार-पत्रों के माध्यम से मिली जबकि सदन चल रहा था, कोई भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषणा सदन में होनी चाहिए थी। इसलिए मान्यवर, मेरा भी औचित्य का प्रश्न बनता है और मैंने भी सूचना दे दी थी।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ न कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

पांचवी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है, यह भी नियम-300 में नहीं आती है। कोई कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं हुआ इससे सदन की कार्यवाही से क्या सम्बन्ध है?

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं पंचायती राजमंत्री से चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो चार सड़कें हैं...

श्री अध्यक्ष-

यदि नियम-300 में इस प्रकार की सूचनाएं आयेंगी तो सत्र के प्रारम्भ होने से लेकर अन्त तक नियम-300 की ही सूचनाएं चलेंगी।

*संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं श्री राम इकबाल सिंह की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ परन्तु यह नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूँ।

जनपद झांसी में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर द्वारा नजूल की जमीन पर दुकानें बनवाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

छठी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है। इसमें भी दुकान की बात है, दुकान बने या न बने, इससे सदन का क्या मतलब?

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सुनने की कृपा करें। नगरपालिका परिषद मऊरानीपुर (झांसी) में...

अव्यवस्थित सदन को व्यवस्थित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात उठ रही है कि सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और आप सर्वशक्तिमान हैं। सदन चलाना सत्तापक्ष का काम है जिसमें से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्वैश्चन आवर पूरी तरह से विपक्ष का ही होता है। कुछ दिनों से सदन का संचालन इस ढंग से हो रहा है कि कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। संविधान के अनुच्छेदों और कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत सदन का संचालन होता है। आप इतने सर्वशक्तिमान हैं, सारी शक्तियां आपके पास है। अभी जब इससे पहले आप इस पीठ पर आये तो आपने कहा कि मैं सदन को स्थगित कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं। अगर ऐसा होगा तो सदन का संचालन कैसे होगा? अगर सदन चलाना है तो कुछ तो अधिकारों को प्रयोग करना ही पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 299 में यह व्यवस्था है कि अगर कोई सदस्य आपकी आज्ञा के बिना बोलता है तो आपकी पीठ से उनको इंगित होना चाहिए, उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री निलम्बन का प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद आप उन्हें बाहर जाने की आज्ञा दें, यदि वह तब भी नहीं जाता है, तो इतनी बड़ी रक्षकों की फौज है आपके पास, आप उनको आज्ञा दें। जब तक आप अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे...।

विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हो-हल्ला करके सदन स्थगित कराना चाहते हैं लेकिन हम सदन चलाना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आपत्तिजनक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इस माननीय सदन की मान्य परम्पराओं का ध्यान रखते हुये सदन का संचालन करें तभी सदन ठीक से चल सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह आपके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं और पीठ को अक्षम साबित कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत परम्परा है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने औचित्य के प्रश्न के रुप में कुछ बात रखनी चाही उनको आपने अनुमति दी और वह बोल रहे थे इसी बीच माननीय चौधरी साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया।...

श्री अध्यक्ष-

औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता लेकिन माननीय मंत्री जी ने ऐसा करके व्यवधान पैदा किया और सबसे ज्यादा सदन का समय बर्बाद किया। आप अपने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हों तो सबसे पहले इनके ऊपर कीजिए और इन्हें आज के लिए निलंबित कर दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी की मजबूरी यह है कि इधर से बलिया का प्रश्न आया तो उधर से बलिया का होने के नाते खड़े हो गये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सत्तापक्ष में है और विपक्ष का भी अनुभव है। सदन तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार देख करके चलाया जाता है। अनेक बार मा0 सदस्यों को दण्डित किया जा चुका है। इसी सदन में पहली बार की विधान सभाओं में लोगों को शारीरिक रुप से उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया है। सदन में क्या स्थिति है उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। आपने जो मार्गदर्शन दिया है और नियमों की जानकारी दी, उसके लिए आपके प्रति बहुत-बहुत आभार।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी को आज के लिए सदन से निकाल दीजिए।

जनपद झांसी में नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर द्वारा नजूल की जमीन पर दुकानें बनवाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, इसी विषय पर मैंने नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी जिस पर 13.2.2004 को माननीय नगर विकास मंत्री जी का वक्तव्य आया है। लेकिन वह वक्तव्य घूमा-फिराकर के आया है। मैं चाहता हूँ कि माननीय नगर विकास मंत्री जी के द्वारा वक्तव्य के माध्यम से जो अवगत कराया गया है कि नगर पालिका परिषद् मऊरानीपुर में वोट प्रस्ताव संख्या-87 दिनांक 23.10.2002 के आधार पर 90 दुकानों का निर्माण कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए आप निदेश देखेंगे तो उसमें उपचार है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, जमीन न नगरपालिका का है न नगरपालिका को अधिकार है लेकिन अनियमितताओं के तहत दुकानें बनवाकर आवंटित किया गया है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जांच हो जाय। इसी प्रकार भू-लेखपाल, सदर ने कागजों में हेराफेरी की जो कि आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। उस लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए था। लेकिन यह बताया गया कि विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने उसे कुछ दिन सस्पैंड करके बहाल कर दिया। यह कोई दण्ड नहीं हुआ। इसमें रिपोर्ट दर्ज करायी जानी चाहिए था। मान्यवर, 3 करोड़ रुपये का घपला हुआ है, यह गम्भीर मामला है, इसलिए इसकी जाँच करवा लें। इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष

* माननीय नगर विकास मंत्री जी का इसी विषय पर 13 फरवरी, 2004 को वक्तव्य हो चुका है। आपकी सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, इसमें जाँच करवा दें या फिर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। अगली सूचना डा0 विनोद तिवारी जी की है। श्री तिवारी जी, कही चकबंदी में अनियमितता हो रही है तो यह नियम-300 में कैसे आ जायेगी?

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है अत: इसे अग्राह्य किया जाता है। अगली सूचना श्री नवाब सिंह नागर जी की है।

नागर जी आपकी सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। आप अपनी बात उस समय कह लीजिएगा।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे वर्ष 2001-2002 उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002 उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे वर्ष 2001-2002, उत्तर प्रदेश सरकार व विनियोग लेखे वर्ष 2001-2002, उत्तर प्रदेश सरकार को, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2004 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है:-

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2004 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।"

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 व 6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 17 फरवरी, 2004 को हुई अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 व 21 फरवरी 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रुप में रखे जाने की सिफारिश की है।

फरवरी, 2004

20 शुक्रवार- 1- "उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004" पर विचार एवं उसका पारण।

2- "उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004" पर विचार एवं उसका पारण।

3- "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन), 2004" पर विचार एवं उसका पारण।

4-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 शनिवार- 1-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2- 3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 का सदन की अनुज्ञा से पुर: स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

जनपद औरेया में धरना प्रदर्शन के दौरान श्री कमलेश कुमार पाठक से किये गये कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 मुख्य मंत्रीजी, उत्तर प्रदेश का दिनांक...

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[12.02.2004 को अपरान्ह में मंडी समिति परिसर औरेया में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसमें आसपास एवं दूरदराज से काफी संख्या में भीड़ अपने-अपने वाहनों/ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं पैदल जनसभा में शामिल होने जा रहे थे। करीब 12.30 बजे से 13.30 बजे के मध्य श्री कमलेश पाठक, विधायक, डेरापुर (आवास औरैया) द्वारा औरैया के लोगों को हिंसा हेतु भड़काया गया, अपने घरों तथा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आसपास के घरों पर काले झंडे लगवाये गये थे। विधायक श्री कमलेश पाठक एवं श्री मंजुल चौबे के नेतृत्व में करीब 150 लोगों की भीड़/उपद्रवियों द्वारा नगर क्षेत्र औरैया के विभिन्न स्थान क्रमशः दीवानी कचेहरी, गोविन्दनगर तिराहा, नारायनपुर व तहसील चौराहा आदि पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करते हुए भीड़ को जनसभा स्थल पर जाने से रोकने तथा विरोध करने पर पथराव, फायरिंग, आगजनी, मार्ग अवरोध, सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति, राजकीय कार्य में अवरोध व चोट पहुंचाकर प्राणघातक हमला किया, जिसके फलस्वरुप पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा व जनता के अजीतकान्त अवस्थी पुत्र श्री सूरज प्रकाश आदि के साथ-साथ पुलिस के अधिकारीगण/कर्मचारीगण क्रमशः श्री अशोक कुमार तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक, कानपुर नगर श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी, चकरनगर, इटावा, थानाध्यक्ष बकेवर श्री रामनाथ सिंह यादव, थानाध्यक्ष बढ़कुरा श्री एस0के0 सिंह, उपनिरीक्षक श्री राम स्वारथ एवं उनके साथ हमराही कई पुलिस कर्मियों को मामूली एवं गंभीर चोटें आयीं, जिनका डाक्टरी परीक्षण कराकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना के संबंध में वादी प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, औरैया द्वारा कोतवाली, औरैया पर मु0अ0सं0 30/2004 अंतर्गत धारा 147/ 148/ 149/ 341/ 332/ 353/ 323/ 307/ 435/ 436 भा0दं0वि0 एवं 07 कि0 लॉ अमेण्डमेंट एक्ट व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के विरुद्ध लगभग 150 लोगों के पंजीकृत कराया गया। इसमें श्री कमलेश पाठक अभियुक्त हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। विवेचना प्रचलित है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निम्न अन्य मु0अ0सं0 पंजीकृत किये गये हैं।

1. 30ए/04 अन्तर्गत धारा 147/323/336 भा0दं0वि0
2. 30बी/04 अन्तर्गत धारा 147/323/336 भा0दं0वि0
3. 30सी/04 अन्तर्गत धारा 147/504/336 भा0दं0वि0
4. 30डी/04 अन्तर्गत धारा 147/323/427 भा0दं0वि0 तथा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम।
5. 30ई/04 अन्तर्गत धारा 147/323/504/506/527 भा0दं0वि0

उपरोक्त मुकदमा अपराध 30ए से लेकर 30ई तक सारे अभियोगों में पुलिस वादी नहीं है। और इन सभी मामलों में विधायक श्री कमलेश पाठक, एवं उनके उपद्रवी साथियों को नामजद किया गया है अथवा उनके नाम प्रकाश में आए हैं। इससें स्पष्ट है कि विधायक श्री कमलेश पाठक एवं उनके साथी उपद्रवियों द्वारा आतंक का वातावरण बनाकर शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की होने वाली जनसभा में उपद्रव फैलाने का उद्देश्य था। इस बात की भी सूचनाएं मिली थी कि सभास्थल पर कुछ सपेरों को बुलाकर सांपों को जनसभा स्थल पर एकत्रित भीड़ के बीच छोड़कर अफरातफरी फैलायी जायेगी। 20-25 लोगों के आत्मदाह की भी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई थी। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट रुप से कहा जा सकता है कि विधायक श्री कमलेश पाठक तथा उनके साथी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहते थे कि या तो जनसभा एवं उनमें आने वाले कार्यकर्ताओं व श्री कमलेश पाठक द्वारा उकसाये गये उपद्रवियों में आमने सामने झगड़ा हो जाये अथवा हिंसा की घटनाएं कर ऐसी स्थिति पैदाकर दी जाय जिससे कि पुलिस को बल प्रयोग तथा गोली चलानी पड़े। इसके लिए विधायक श्री कमलेश पाठक ने उपद्रवियों के सहयोग से औरैया नगर क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं की गई तथा इसके लिए प्रेरित भी किया

गया। अपने घर व आसपास की गलियों एवं सड़कों पर जन व पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। इससे स्पष्ट रुप से कहा जा सकता है कि दिनांक 12.02.2004 को हुई सभी घटनाक्रम में विधायक श्री कमलेश पाठक की प्रत्यक्ष भूमिका थी तथा वह नामजद अभियुक्त भी है घटनाक्रम के कुछ फोटो ग्राफ भी है जिससे छतों पर भारी मात्रा में पत्थर एकत्रित होने का साक्ष्य भी परिलक्षित है।

उपरोक्त हिंसा की घटनाओं का प्रभाव मा0 मुख्यमंत्री जी की जनसभा पर क्षणिक भी नहीं हुआ, क्योंकि घटनास्थल सभास्थल से काफी दूरी पर था। इस विशाल जनसभा में लगभग डेढ़-दो लाख लोगों की भीड़ एकत्र हुई थी जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी ने लगभग एक घण्टे तक संबोधित किया तथा जनसभा कार्यक्रम सकुशल एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। यह कथन नितान्त असत्य है कि विधायक श्री कमलेश पाठक के साथ पुलिस अथवा जनता द्वारा अभद्रता, दुर्व्यवहार तथा मारपीट की गई। यह भी कहना असत्य है कि पुलिस द्वारा आन्दोलनकारियों का आन्दोलन दबाने के लिए फायरिंग की गई।]

नियम 311, नियम 300 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2004 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है:-

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की नियम 311 में प्राप्त, श्री नवाब सिंह नागर की नियम 300 में प्राप्त, श्री घनश्याम शुक्ला, श्री राम इकबाल सिंह की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, शासन के शिक्षा विभाग द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का समय किया गया है। 12 बजे के बाद अवकाश हो जाएगा यह निर्णय, जो कि आज से लागू हो जाएगा लाखों छात्र प्रभावित होंगे। यही नही कान्वेंट और नर्सरी स्कूलों में भी यह शासनादेश लागू होगा। इसका कारण क्या है? इसकी मंशा क्या है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। कहीं कुछ गलत बात हो गई है या यह सुविचारित गलती है। यह अलग विषय हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट अभिसूचित हो रहा है कि शिक्षा का साम्प्रदायीकरण किया जा रहा है। इसमें खतरनाक बात यह है कि नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों का मन मस्तिष्क कोमल होता है। उनके मन में इस प्रकार से साम्प्रदायिक बात घर करेगी तो इसका बुरा असर पड़ेगा। शिक्षा में जाति, धन मजहब से कोई सम्बन्ध नहीं होता है छात्रों के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की बात तो पूरी हो जाने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है। विधेयक के बाद कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी निर्देश दे देता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने नियमों को निलम्बित करके चर्चा कराने का आग्रह किया था। आपने नियम-56 में स्थानान्तरित कर दिया। मेरा निवेदन है कि इससे प्रदेश में बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और शिक्षा में भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर वक्तव्य दे रहे हैं तब तक इस सूचना को स्थगित कर दें ताकि जब वह उत्तर दें तो उसके बाद प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार सुरक्षित रहे।

श्री अध्यक्ष-

आपके इस अनुरोध को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मुख्य मंत्री जी इस बारे में क्या स्थिति है स्पष्ट कर देंगे।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति अस्त व्यस्त है, 14 घंटे बिजली देने की सरकारी घोषणा झूठी सिद्ध हुई है। सरकार अनुरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य के चार जनपदों बुलन्दशहर, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई की अस्त व्यस्त विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता आक्रोश और किसानों के गुस्से का सवाल इस आदरणीय सदन में उठाना चाहता हूँ। जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर में विद्युत आपूर्ति शून्य है। आस पास के सभी जनपदों में किसान व उपभोक्ता पीड़ित हैं। विधायकों से विद्युतीकरण के लिए मांगी गई सूची पर भी अमल नहीं हुआ है। अभियंतागण मनमाना आचरण कर रहे हैं। वे पावरहाउस पर निवास नहीं करते सभी फील्ड कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर ही अपने आवास और दफ्तर बना रखे हैं।

राजधानी के पड़ोस के उन्नाव जिले के डिवीजनल इंजीनियर ने अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण में भी घपला किया है। कंडक्टर बेंच दिया गया है। भण्डार स्कंध से प्राप्त व निविदाओं के माध्यम से खरीदी गई सामग्री भी बेंच दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना पढ़ी नहीं जाती है, आप पढ़ रहे हैं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

सबसे गंभीर बात यह है कि विद्युत बिलों के नाम पर वसूली गई धनराशि बैंक में न भेजकर डिवीजन इंजीनियर के पास ही निजी कार्यवश रहती है। वसूली की तिथि और बैंक में जमा धनराशि की तिथि को मिलाकर हमारी शिकायत को जांचा जा सकता है। यह प्रक्रिया राजकोष के धन का दुरुपयोग है और गंभीर अपराध है। उन्नाव सहित पूरे उ0प्र0 में एक मद का धन दूसरे मद में प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी धनराशि

के बिल बनाकर भेजे जाते हैं और संशोधन के नाम पर रिश्वत ली जाती है। पंखा, बत्ती कनेक्शनों के बड़े बकायेदारों का मास्टर डिलीशन कराकर उन्हें ही नया कनेक्शन दिये जाने की घटनाएं सरेआम हैं। लेजर के अंकन इस आरोप के प्रत्यक्ष है।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ने की आवश्यकता नहीं आपकी बात आ गयी।

श्री मुंशी लाल गौतम-

पूरे उ0प्र0 में वितरण खण्डों के अधिशासी अभियंता, एस0डी0ओ0 और जूनियर इंजीनियर अपने-अपने आवास व कार्यालय शहरों में बनाए हुए हैं। उन्नाव, हरदोई और रायबरेली के अधिकारी, राजधानी लखनऊ रहते हैं। मैं बुलन्दशहर की शिकारपुर सीट से चुनकर आता हूँ इस विधान सभा क्षेत्र के सभी जूनियर इंजीनियर और एस0डी0ओ0 बुलन्दशहर ही रहते हैं। यही हाल पूरे उ0प्र0 का है।

जब हम अधिकारी के पास जाते हैं शिकायत करते हैं तो वह कहते जिन्होंने शादी कराई है मैं उन्हें नहीं जानता उनका नाम क्या हैं? हम से कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने यह विभाग उनको बेच दिया है। हमारे यहां के इंजीनियर और एस0डी0ओ0 कहते हैं कि विभाग बेंच दिया गया है तो काम कैसे हो। हमारे यहां एक 132 के0वी0ए0 विद्युत सब केन्द्र बन रहा था लेकिन उसका काम बन्द कर दिया गया है। उ0प्र0 के समस्त उपभोक्ता और किसान राज्य की विद्युत आपूर्ति और अस्त व्यस्तता से रोष में हैं। आन्दोलित हैं जनरोष और जनक्षोभ की इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना को आदरणीय सदन की आज की कार्यवाही को रोक कर बहस कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपका जो निर्देश होगा उसका पालन होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ और इसी के साथ इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री घूरा राम-

मान्यवर, बलिया जनपद में 2 हजार छात्र-छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। सतर्कता विभाग इसमें जाँच कर रहा था। जाँच पूरी हो गई है और प्रमुख सचिव सर्तकता के पास आ गयी है लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, रिजल्ट रोक रखा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह रिजल्ट निकालें और नियुक्तियां की जाय। एक जिला परिषद् विद्यालयों में दो दो विद्यालयों में एक ही अध्यापक पठन-पाठन का काम करते हैं। आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बी0टी0सी0 के 2 हजार प्रशिक्षुओं का रिजल्ट निकाला जाय और उनकी नियुक्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसको मैं नियम-56 में अग्राह्य करता हूँ, लेकिन शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर देता हूँ कि इस पर आवश्यक कार्य करे। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लखनऊ में जो एक घटना घटी है, वह गम्भीर घटना है, इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। अभी लखनऊ के लोगों को विभिन्न माध्यमों से यह समाचार मालूम हुआ कि कानपुर में सी0पी0एम0टी0 की कोचिंग में पढ़ने वाले एक छात्र रामा डेन्टल कालेज में द्वितीय वर्ष का छात्र जो कि हरियाणा का निवासी है और मेडिकल कालेज का एक छात्र सिद्धार्थ चौधरी हेरोइन की तस्करी में पुलिस द्वारा पकड़े गये और जब उनसे पूछ-ताछ की गयी तो यह पता चला कि ये लखनऊ में एक0के0-47 जैसे असलहों को बेंचने का सौदा भी यह तय कर रहे हैं। लखनऊ में अभी कई घटनाएं हुई। सुरक्षाकर्मी मारे गये और उनके असलहे छीने गये। आज लखनऊ भी अवैध असलहों के जखीरे के ऊपर खड़ा है। अवैध असलहों के व्यापार से ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। जब गार्जियन द्वारा अपने बच्चों को सी0पी0एम0टी0, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज में पढ़ने के लिये भेजे जाते हैं और वह हेरोइन की तस्करी और ए0के0-47 को बेचने के मामलों में उनकी गिरफ्तारी हो। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे और कार्यवाही करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के इस प्रकरण को दिखवाने के आश्वासन के पश्चात् मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है।

(सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

माननीया सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिये विशेष उल्लेख में श्री रमेश चन्द बिन्द की सूचना ली जाती है।

*डा0 रमेश चन्द बिन्द-

मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। जनपद मिर्जापुर में मझवा के अन्तर्गत गड़ौली में सर्व सम्मति से मिट्टी का तेल, चीनी राशन की दुकान के आवंटन के प्रकरण में खुली बैठक 10.12.2003 को हो रही थी। वहाँ पर खण्ड विकास अधिकारी थे। प्रमुख जी को वहां पर बुलवाया गया और प्रमुख जी अपने लाव-लश्कर के साथ वहां पर पहुँचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। वहाँ पर मौजूद ग्राम प्रधान विनोद को मार कर उनका हाथ तोड़ दिया और 13 अन्य लोगों को घायल कर दिया। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वह उनको थाने पर ले गई। जब उस गाँव के लोग 5 ट्रैक्टर में भरकर सच्चाई बताने के लिये वहाँ पहुँचे तो उस वक्त वहाँ पर एस0डी0एम0 मौजूद थे लेकिन प्रमुख जी वह टीम वहाँ पर पहुँच गई और थाने में ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा और इन असलहेधारियों ने इन लोगों को वहां से मारकर भगा दिया। मान्यवर, वहाँ पर फर्जी तरीके से मुकदमा कायम किया गया है। 12 लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया है। इन बारह लोगों में से किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर टूटा है सिर टूटा है जिसका इलाज अभी कुछ नहीं हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

डा0 रमेश चन्द बिन्द-

इस प्रकरण की जाँच कराकर जो फर्जी ढंग से फंसाया गया है। इसमें...

श्री मोहम्मद आजम खां-

कौन सा थाना है, तहसील है, फिर बता दें?

डा0 रमेश चन्द बिन्द-

थाना कछवां है।

श्री अध्यक्ष-

शासन का ध्यान बिन्द जी की सूचना पर आकृष्ट कर रहा हूँ।

अगली सूचना लाल जी वर्मा की है।

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 19 फरवरी को सवा आठ बजे थाना कोतवाली से पांच किलोमीटर की दूरी पर रामफल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। 18 फरवरी को रामफल के घर में हत्यारा रात में घुस गया उसको लोगों ने पकड़ लिया उसको थाने पर लाया गया, वह हत्यारे घर में किसी और नीयत से घुसे थे लेकिन उसको पुलिस ने 151 की दफा में चालान करके छोड़ दिया जबकि वह अपराधी किस्म का व्यक्ति था। हिस्ट्रीशीटर था उसके बावजूद कोतवाल द्वारा कार्यवाही न करने के कारण पुलिस की मौजूदगी में धमकी दी कि तुम्हारी हत्या कर दूँगा, छोड़ूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

उसी दिन उसकी हत्या हो जाती है। यह गम्भीर मामला है इस घटना के कारण उस क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। वह व्यक्ति राजभर जाति का है। निश्चित रुप से यह गम्भीर प्रश्न है। इसमें पुलिस संलिप्त होने के कारण यह संदिग्ध हो जाता है। वह व्यक्ति अपराधी किस्म का है और पहले भी वह व्यक्ति दलित बालिकाओं के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर चुका है। इसमें कार्यवाही होनी चाहिए पुलिस मिली हुई है। पुलिस के मिले होने के कारण वह व्यक्ति 18 फरवरी की रात में रामफल के घर में घुस जाता है। उसको पकड़ लिया जाता है। अगर इसमें पुलिस कार्यवाही करती तो 19 फरवरी की रात में हत्या न होती। पांच किलोमीटर दूर कोतवाली है यह गम्भीर प्रश्न है इसमें निश्चित रुप से उस क्षेत्र में उत्तेजना व्याप्त है...

श्री अध्यक्ष-

इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गुजरी रात में 8.15 बजे का यह वाकया है इसमें सूचना मंगाई है। सूचना समय से आ गई, तो अवगत करा देंगे। इतना मैं जरुर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी तरह की कोई रियायत अपराधियों के साथ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मौर्य जी से कहा था कि नियम 56 में समय दे देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना, नवाब सिंह नागर और प्रागी लाल अहिरवार की सूचना अग्राह्य हो गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलन्द हुए हैं, सामूहिक हत्यायें हो रही है हमने सरकार को इस बात के लिए इंगित किया था कि कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए कठोर कदम उठाए जायं लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो गई है उसने इन बातों को अनसुना कर दिया इससे प्रदेश में गुण्डों का हौसला बढ़ा है। भय और दहशत के माहौल में जालौन के डकोर थाने में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़की को निर्वस्त्र करके बुरी तरह से मारा-पीटा गया है और वहां का पुलिस प्रशासन और कानून मौन बैठा है अपराधी जाकर जान से मारने की धमकियां दे रहे है, इतना मारा पीटा गया और कहा जा रहा है पुलिस में एफ0आई0आर0 कराओगे, तो बतायेंगे। मान्यवर, मुस्तरी बेगम पत्नी हलीम तैय्यब खाँ, इम्तमन पत्नी हलीम, तसवीरन पत्नी मुसाफर और हब्बू पत्नी हसरत जिन्हें नंगा करके मारा-पीटा गया एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मान्यवर, आज पूरा का पूरा प्रदेश गुण्डा राज के हवाले हो गया है। इसी प्रकार 16 फरवरी, 2004 को थाना-कदौरा, ग्राम-हरचन्दपुर श्रीमती हल्के अहिरवार के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसको जान से मार डाला गया लेकिन आज भी अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। इसी प्रकार 19 तारीख को इसी जनपद जालौन में एक अपहरण कर लिया गया और यह गूँगी-बहरी सरकार मुँह बांधे बैठी है, गुण्डे-बदमाशों को खुली छुट दे रखी है। मान्यवर, इतने गम्भीर मामले हो रहे हैं और यह सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई की दुहाई देती है कि यह सरकार उनकी रहनुमा है। आज अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उन्हें मारा-पीटा जा रहा है (इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए) दहशत तथा भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। मैं इसकी गम्भीरता को देखते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ और ऐसे अपराधी जो आज खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्यवाई करने की माँग करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मौर्या जी ने काफी जोर से बात कही है। मैंने भी कहा है...

श्री अधिष्ठाता-

इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने नियम-56 के तहत एक सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी सूचना अग्राह्य हो गयी है लेकिन 2 मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, निजी प्रबंध तंत्र द्वारा जो मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट संचालित किए जा रहे हैं, उनके द्वारा फीस लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2003 को एक निर्णय दिया था और इसी के तहत् 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उनकी फीस निर्धारित करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश का अनुपालन करना है। इस आदेश के सम्बन्ध में क्लैरीफिकेशन करने के लिए मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट के रिप्रजेन्टेटिव हाईकोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने 29 सितम्बर, 2003 को यह निर्णय दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न हो जाए, तब तक जो पिछले वर्ष की फीस ली गयी थी उसी के हिसाब से फीस ले ली जाए। यह फीस 19 हजार प्रतिवर्ष निर्धारित है। मान्यवर, आईपीईएम, गाजियाबाद में स्थापित है, वह 19 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये वसूल कर रहे हैं। वह 31 हजार रुपये बढ़ाकर छात्रों से ले रहे हैं। निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा एमसीऐ, बीसीए आदि जो कोर्स कराये जा रहे हैं, वहां बढ़ी हुई फीस वसूली जा रही है। गार्जियन के लिए कितनी बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ तथा मांग करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए। माननीय मंत्री जी आश्वस्त करें कि जो फीस सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है, केवल वही फीस आईपीईएम इन्स्टीट्यूट द्वारा ली जाए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय खन्ना जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने शुक्रवार के दिन समस्त सरकारी स्कूलों को...

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय हो चुका है, इस पर मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, सरकार का पक्ष आने से पहले आप हमारी बात तो सुन लें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया श्री नवाब सिंह नागर जी को दो मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

क्यों सुन लें? क्या आप उनके वकील हैं?

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

थाना तोड़ी, फतेहपुर जनपद झांसी में दलित परिवार की 14 वर्षीय पुत्री का अपहरण दिनांक 3.2.04 को सायं 5.00 बजे हो गया जब वह अपने खेत से घर लौट रही थी तो शाम को तीन लोग कु0 रेखा को जबरन मारुती में उठाकर ले गये इस घटना को गांव के कई लोगों ने देखा व कु0 रेखा दलित की बेटी के पिता को पता चला तो वह इसकी सूचना लेकर थाना तोड़ी फतेहपुर को नामजद अभियुक्तों की लेखित सूचना दी, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी बल्कि कु0 रेखा के पिता को थाने में ही उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये और न ही पुलिस ने कु0 रेखा के अपहरण की रिपोर्ट लिखी और न ही कोई कार्यवाही की। न कु0 रेखा को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया। दलितों पर अत्याचार हो रहा है एवं दलितों की बहू-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और क्षेत्र में कई दलितों की हत्यायें हो गयी है एवं अपराध चरमसीमा पर बढ़ रहा है। तथा कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रही है एवं जंगलराज कायम हो गया है। अत: आपसे अनुरोध है कि विधान सभा की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004

श्री अधिष्ठाता-

अब मद संख्या-10 लेते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी पिछले दिनों ही इस सत्र के दौरान शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग निरसन विधेयक का प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रदेश में एक महिला आयोग बना हुआ था और वह विधान सभा द्वारा गठित करके बनाया गया था और निश्चित रुप से वह आयोग अपना कार्य भी कर रहा था। आज आश्चर्य यह हो रहा है अगर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की आवश्यकता थी तो उसको निरसन करने का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए था और आज पुन: इस तरीके से नया आयोग बनाने का प्रस्ताव आ रहा है। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि उनका मकसद क्या था कि पहले राज्य महिला आयोग के निरसन का विधेयक लाना फिर महिला आयोग बनाये जाने का दोबारा प्रस्ताव लाया जाना। इससे निश्चित रुप से आप अपनी कुछ ऐसी मंशा को पूरा करना चाहते हैं जिससे इस प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। अगर इस तरह से राजनीतिकरण करके आप आयोग बनाने का काम करेंगे तो इससे निश्चित रुप से किसी समुदाय, किसी वर्ग को, इस प्रदेश का हित होने वाला नहीं है और न इस विधेयक और प्रस्ताव के माध्यम से महिलाओं का कोई हित होने वाला है।

इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और मेरा आग्रह है कि चूंकि यह विधेयक बहुत जल्दी में लाया गया है इसलिए हम संशोधन नहीं रख पाये हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस विधेयक को आज पास न कराया जाये इसे रोक दिया जाये।

अभी इसमें विचार न किया जाय। इसको रोक दिया जाय और विस्तृत रुप से सभी लोगों की इसमें कमेटी बने और उस कमेटी के माध्यम से कायदे से विचार विमर्श कर लिया जाय। विचार विमर्श करने के उपरान्त पूरी परिस्थितियों का आंकलन करके इस तरह से कोई विधेयक लायेंगे तो निश्चित रुप से महिलाओं के हित में अच्छा होगा। इसलिए निवेदन है कि आज इसको स्थगित करने का काम करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी कुछ दिन पूर्व एक निरसन विधेयक आया था इसी आयोग के सम्बन्ध में और उसको प्रस्तुत करने का कारण यह बताया था कि महिला कल्याण विभाग है इसलिए इस आयोग की क्या आवश्यकता है। उस समय यह बात रखी गयी थी कि अनेकों आयोग का गठन करके जबकि इन वर्गों के कल्याण के लिए विभाग है-जैसे मानवाधिकार आयोग, पुलिस प्रशासन सरकारी तंत्र है, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए, युवा कल्याण विभाग भी है, इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले दर्जनों विभाग है और विशिष्ट सुझाव देने के लिए आयोग गठित कर दिया है। अभी चार दिन का समय गया है। चार दिन पहले सरकार के पक्ष में यह जवाब आता है कि एक सुदृढ़ विभाग है महिला कल्याण इसको देखने के लिए, इसलिए आयोग की आवश्यकता नहीं है, तो आज इसकी क्या आवश्यकता पड़ गयी? एक मंत्री तो चले गये, राजस्व मंत्री जी यहां पर आये हैं लेकिन वह भी तैयार नहीं है, तदर्थ आधार पर यह लाया जा रहा है। मंत्री ही तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार से विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर तर्क यह रहा होता कि वर्तमान महिला आयोग अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहा है तब तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर सिर्फ दूसरा ही बनाना है तो यह ठीक नहीं है। आखिर [x x x] बोलने की कोई सीमा होती है, सदन का दुरुपयोग करने की कोई सीमा होती है। तीन दिन पहले कोई तर्क दिया जाय और तीन दिन बाद उसको लाया जाय तो क्या परिस्थितियां पैदा हो गयी। मान्यवर, इस सदन की गरिमा तभी रहेगी या उपयोगिता तभी रहेगी जब तर्क रखा जाय और उसका आंकलन किया जाय। केवल मंत्रि पद का प्रलोभन देकर बहुमत के आधार पर पास करा लेना, उल्टा सीधा काम करके हाँ ना में, तो यह उचित नहीं है। इस तरह सदन की गरिमा नहीं रहेगी। तीन दिन पहले निरसन विधेयक लाये तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गयी कि इसको आप दोबारा ले आये। अभी यह भी पता नहीं है कि यह विभाग किसके पास है। अच्छा होता कि यदि उसके मंत्री यहाँ पर होते तो कम से कम मैं उनके दर्शन तो कर लेता। राजस्व मंत्री जी आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे और जवाब दे देंगे तो यह सही नहीं है। अगर सुविचारित निर्णय होता तो ज्यादा अच्छा होता। केवल बहुमत के आधार पर निर्णय कर लें यह नियमों और परम्पराओं के अनुकूल नहीं होगा। कहीं तो आपकी आत्मा होगी।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहीं तो कोई कान्शिस आपकी होगी, जिसके अनुरुप आप कार्यवाही करते होंगे तो अगर आप आत्मा ही कहीं और रख आये तो आपको किसी ने कुछ दे दिया तो आप फिर उसे ले करके आ गए और हाँ, न में आप फिर उसे पास करवाओगें। चौधरी जी कभी आप भी इधर बैठा करते थे, तो मान्यवर, मैं चाहूँगा कि आप उन भाषणों के अनुरुप अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे। औपचारिकता मात्र न करें, आप इस विधेयक को वापस ले लें। अभी माननीय लाल जी वर्मा ने जो बात कही, आप इस पर पुन: विचार करने के बाद, कम से कम तथ्यों के आधार पर संज्ञान ले कि आखिर तीन दिन के अन्दर ऐसा कौन सी घटना घटित हो गयी, कि आपको इसे पेश करना पड़ा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी अभी इसी सत्र के दौरान विगत सप्ताह में इसी सदन के अन्दर महिला आयोग निरसन हेतु प्रस्ताव आया था और हमारे सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने और विशेष रुप से आपके माननीय मंत्रियों ने भी, हमारे दो चौधरी सरकार में मंत्री हैं और दोनों चौधरियों ने बड़ी मजबूती के साथ अपनी चौधराहट का इजहार करते हुए महिला आयोग निरसन प्रस्ताव लाते वक्त अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी थी। हमारे माननीय चौधरी जी ने कहा था कि जब महिला कल्याण विभाग है तो महिला कल्याण आयोग की आवश्यकता क्यों? और बड़ी मजबूती से मेज थपथपाते हुए जाहिर किया था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब कि उस दिन विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया था कि इसको होना चाहिए, जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि यह सरकार तदर्थ निर्णय ले रही है और ऐसा लगता है कि यह सरकार भी तदर्थ है और इसके सारे निर्णय भी तदर्थ हो रहे हैं, यह सरकार की उहापोह की स्थिति में हैं, इसलिए कभी हाँ के लिए और कभी न के लिए यह बड़ी जोर से अपनी आवाज बुलन्द करती है और अपने ही आवाज को जिसको उस दिन यह गलत कहती है और दूसरे ही दिन उसे सही कहती है।

मान्यवर, जिस तरह से अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है मात्र चार दिन का अन्तराल बीतने के बाद इस आयोग की आवश्यकता क्यों हो गयी? इसका मतलब है कि सरकार की नीयत में कहीं न कहीं खोंट है और सरकार ने अपने मन-माफिक लोगों को बिठाने के लिए ही निरसन का प्रस्ताव लाया था और इसीलिए इस प्रस्ताव को पुन: रख रही है और माननीय चौधरी साहब आप तो मंत्री हैं, आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए जब अभी निरसन का प्रस्ताव आया था तो मैं कह देना चाहता हूँ कि विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के तमाम महिला सदस्य भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थीं कि महिला इस प्रदेश की आधी आबादी रखती हैं पुरुषों से विकास में पीछे नहीं रहती हैं मैं उन महिला विधायकों से कह देना चाहता हूँ कि चार दिन पूर्व उनकी कही हुयी बात आज गलत साबित हो रही है। माननीय अधिष्ठाता जी आपको पीठ से निर्देश देना चाहिए कि इस प्रस्ताव को वापस ले करके इस पर पुनर्विचार करें कि निसरन का जो प्रस्ताव लाया गया था वह सही था या जो अब प्रस्ताव लाया गया है यह सही है। मान्यवर, इस एडहाक की सरकार का सारा का सारा निर्णय एडहाक का निर्णय होता चला जायेगा। मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और आप इसे वापस लेने का स्पष्ट निर्देश दें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक तो जिन माननीय मंत्री जी ने इसको तैयार किया है, उन्होंने इसके विभिन्न खण्डों का अध्ययन किया होगा तो ऐसा मंत्री जवाब दे जिसको इसकी विस्तृत जानकारी हो, तो बात समझ में आयेगी। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी विद्वान सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने इसके विभिन्न खण्डों का अध्ययन नहीं कर रखा है। मेरा अनुरोध है कि आप किसी एक व्यक्ति को निर्धारित कर दें जो इसका जवाब दें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम गोविन्द चौधरी जी इस विधान सभा के सदस्य हैं और सदस्य की हैसियत से भी किसी विधेयक पर वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उसमें थोड़ा फर्क है। मंत्रि पद की शपथ लेने के बाद जो विचार व्यक्त करेंगे वह मंत्री के कथन के रूप में माना जायेगा। अगर एक सदस्य ही बनना है तो यहां आ जाय।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रतिपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया आज यहाँ विचारार्थ, लेकिन विपक्ष ने उस पर अपना कोई संशोधन रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। अर्थात्, उस विधेयक की उपादेयता, उसकी उपयोगिता और उसके महत्व को देखते हुए कोई संशोधन नहीं रखा। कोई तर्क, कोई कारण उसके पास नहीं था। इस तरह से उन्होंने प्रकारान्तर से विधेयक का समर्थन किया है जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, पिछली बार जब इसके निरसन विधेयक पर विचार हुआ था तो अपने दो वाक्यों की तरफ स्मरण कराना चाहूँगा, मैंने यह कहा था कि क्या संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए माननीय सुखदेव राजभर जी ने जो विचार रखे थे, उसमें संशोधन रखने वाले माननीय सदस्य माननीय श्री लालजी वर्मा को मैं पूरी गम्भीरता से सुन रहा था उन्होंने एक वाक्य भी ऐसा नहीं बताया जिसमें उस महिला आयोग की क्या उपलब्धियां थी और, इस कारण स्वत: चूँकि उसकी कोई उपलब्धियां नहीं थी जिस हेतु उसके निरसन का कारण उनके वाक्य से स्वत: स्पष्ट है। मान्यवर, आज भी उसमें संशोधन न रख कर उस विधेयक को प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया है। केवल विरोध करने के लिए विरोध में कोई बातें दर्ज कराने का काम किया गया है। वरना बाहर यह कहा जाता उनसे कि इतनी खामोशी से इसे क्या स्वीकार कर लिया।

मान्यवर, यह सरकार चूँकि महिलाओं के सम्मान के लिए न केवल सिर्फ चिन्तित है बल्कि संकल्पबद्ध भी है। हमने अपनी योजनाओं में उनको प्राथमिकता दी है हमने कन्या धन योजना चलाने का काम किया है। जिसमें प्रत्येक गरीब वर्ग की कन्या को इण्टर पास होने के उपरान्त बीस हजार रूपये की सहायता आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जायेगी। मान्यवर, हमने किशोरी शक्ति योजना श्रम विभाग के माध्यम से लागू की है हमने महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनायें लागू की हैं उनके लिए बजट में प्राविधान् भी लेकर आये हैं। और संकलपबद्ध भी हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। मान्यवर, जो हम विधेयक लेकर आये हैं उसमें विपक्ष ने कोई संशोधन नहीं रखा है क्योंकि उसमें उनके पास शंका किये जाने का कोई मामला भी नहीं है। विपक्ष केवल अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात वहां कह कर अपने विपक्षी धर्म का निर्वाह कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को, जिसके विरोध में कोई संशोधन नहीं आया है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसके बाद उस पर विपक्ष का मत आ गया उसका उत्तर आपने दे दिया। प्रस्ताव आपने रखा है, अब जो तीसरे महानुभाव हैं वह किसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं वह किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी की तरफ से कोई नयी बात आ गयी जो रखना चाहते हैं। मान्यवर, जब इनका उत्तर आ गया और इनके उत्तर के आने के बाद ये टीका-टिप्पणी तो कर सकते हैं। आपको यह नहीं करना चाहिए भले ही आपकी इनकी न बनती हो, जिला एक ही है, आपकी भले ही आपस में न बनती हो लेकिन विधान सभा में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्रियों की जो औरते हैं उनको इसमें समाविष्ट करना है?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ हैं और श्रद्धेय हैं इसलिए उनकी हर बात का जवाब हमारे पास नहीं है। मान्यवर, इसमें न इसका उद्देश्य उनकी पत्नियों को समाविष्ट करने का है और न कोई ऐसी विशिष्ट औरते, न जिनकी ऐसी औरते रही हैं उनको करने का है, जो इसके योग्य होगी उन्हीं को करना है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004

राज्य महिला आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2- इस अधिनियम में,-

(क) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से है;

(ख) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है;

(ग) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है;

(घ) "महिला" में बालिका या किशोरी सम्मिलित है।

अध्याय-दो

राज्य महिला आयोग

आयोग का गठन

3-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कहा जायगा।

(2) आयोग में निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित ऐसी कोई महिला होगी, जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो;

(ख) राज्य सरकार द्वारा ऐसी महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट सात सदस्य, जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया हो:

परन्तु निम्नलिखित में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा:-

(एक) अनुसूचित जातियों या जनजातियों;

(दो) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों;

(तीन) अल्पसंख्यकों;

(चार) अधिवक्ताओं (न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव सहित);

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सचिव जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति की महिला अधिकारी और राज्य की किसी सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा की सदस्य हो या राज्य के अधीन कोई सिविल पद समुचित अनुभव के साथ धारण करती हो।

पदावधि और सेवा की शर्तें

4-(1) अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

(2) अध्यक्ष 35 वर्ष की आयु से कम होने पर और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा और कोई अन्य सदस्य 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व और 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष एवं सदस्य को क्रमश: राज्य के राज्यमंत्री एवं उपमंत्री का दर्जा दिया जायेगा।

(4) अध्यक्ष या सदस्य सचिव से भिन्न कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(5) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया और कारावास से दण्डित किया जाता है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है;

(ग) विकृत चित का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना, आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बने रहना लोक हित के लिए हानिकर हो गया है, या ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहना, अन्यथा अनुपयुक्त या असंगत है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(6) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नये नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(7) अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5-(1) राज्य सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

वेतन और भत्तों का अनुदान से दिया जाना

6- अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और प्रशासनिक व्यय, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों से किया जायगा।

रिक्तियां आदि आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी

7- आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर विवादग्रस्त या अविधिमान्य नहीं होगी।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया

8-(1) आयोग जब भी आवश्यक हो ऐसे समय और स्थान पर जैसा अध्यक्ष उचित समझे, बैठक करेगा।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चिय सदस्य सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य

आयोग के कृत्य

9-(1) आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, उपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके:

(ङ) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेना:-

(एक) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(दो) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(तीन) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ, नीतिगत विनिश्चयों, दिशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों से उद्भूत विवाद्यकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा से सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बन्दी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिपोर्ट देना;

(ढ) ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएं फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्ही अन्य स्थानों में काम करती हों, जांच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार को संस्तुति देना;

(ण) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से, जिसमें विवाह, दहेज, बलात्संग, व्यपहरण, अपहरण, छेड़-छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी सम्मिलित हैं और प्रसव कराने या नसबन्दी या प्रसव या शिशुजन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना;

(त) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठों से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सके।

(थ) अपने कृत्यों के पालन में धारा-17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन की सहायता लेना;

(द) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश, को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवाएगी।

आयोग की शक्तियां

10- किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषत: निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय-चार

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

11-(1) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, व्यय कर सकता है, और ऐसी राशि को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझा जायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

12-(1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र, में, जैसा विहित किया जाये, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखाओं का लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा वार्षिक रूप से की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

13- आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाये, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा विवरण देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक और अन्य रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

14- राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ उनमें दी गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी वर्ग लोक सेवक होंगे

15- आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

राज्य सरकार आयोग से परामर्श करेगी

16- राज्य सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श कर सकती है।

स्वैच्छिक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण

17-(1) महिलाओं के कल्याण कार्य में लगा हुआ ऐसा कोई स्वैच्छिक संगठन, जो आयोग को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने का इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए आयोग को विहित रीति से आवेदन कर सकेगा।

(2) आयोग, समाज में ऐसे संगठन के महत्व, भूमिका और उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ऐसे संगठन को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, रजिस्टर कर सकेगा।

(3) आयोग, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत संगठनों की सूची किसी न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा, यदि ऐसे न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसा अपेक्षित हो।

(4) आयोग, किसी संगठन का रजिस्ट्रीकरण, संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

18- किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

19-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियमों में इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए फीस लेने की व्यवस्था की जा सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्य सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख) धारा 10 के खण्ड (च) के अधीन कोई विषय;

(ग) प्रपत्र जिसमें धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन लेखे का वार्षिक विवरण तैयार किया जायेगा;

(घ) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 13 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

20-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अध्यादेश के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-20 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चौधरी साहब ने इसके प्रश्न में जो बात कही.....

(टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मान्यवर, पारित किया जाय इस बात पर भी मैं बोल सकता हूँ इस पर आप मना नहीं कर सकते हैं हमारा यह अधिकार है आप पता कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें कई बार अवसर नहीं देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

जब एक बार सदन में खण्डशः विचार हो गया तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप नियमावली देख लें जब यह प्रस्ताव पारित किया जायेगा तो कोई भी सदस्य उस पर खड़े होकर बोल सकते हैं मान्यवर, उसमें आवश्यकतानुसार वह अपना सुझाव दे सकते हैं। मान्यवर, इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें इस पर पहले व्यवस्था न दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

इस सम्बन्ध में यह परम्परा नहीं रही है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग विधेयक, 2004 को पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य विचार व्यक्त करना चाहते हैं?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारा सौभाग्य है कि इस समय पीठ पर आप विराजमान हैं और चिकित्सा जगत से सम्बन्धित है और सारी समस्याओं को जानते हैं। दन्त चिकित्सा का क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय अलग से न होने के कारण मेडिकल की जो यूनिवर्सिटी है उससे सम्बद्ध होने के कारण सिर्फ एक ही फैकल्टी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में थी और जितनी दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यकता हुई है तमाम दूसरे मेडिकल कालेज ऐसे खुले हैं डेन्टल कालेज हैं जिनके माध्यम से दन्त चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है और दन्त चिकित्सा पर पिछले दशक में विशेष तौर से इसका बड़ा व्यापक प्रसार हुआ है। इसके लिए यह आवश्यकता थी कि इसके लिए अलग से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। इन्हीं उद्देश्यों को सम्मुख रखकर एक विधेयक सदन में लाया गया है। इस पर कोई संशोधन भी नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको पारित कराये जाने की आज्ञा देने की कृपा करें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, कल जो शासनादेश निकला है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या उसका पालन करने गये हैं?

श्री अधिष्ठाता-

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है डेढ़ बजे से, वहीं गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय टण्डन जी को भी साथ ले जाना चाहते थे, नेता विरोधी दल भी संभवत: वहीं जा रहे हैं, जहाँ संसदीय कार्य मंत्री गये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

यह माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना का विधेयक लाये हैं और उन्होंने बार-बार यह कहा कि इसमें कोई संशोधन नहीं है, इसलिए इसकी मौन सहमति है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रस्ताव आ रहे हैं, जिस तरह से विधेयक इन्ट्रोड्यूस किये जा रहे हैं, इसमें समय ही नहीं मिल पा रहा है कि हम संशोधन का प्रस्ताव लगावें। इनका तो नियमावली में विश्वास नहीं है, इसलिए नियमावली के अनुसार कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिस कारण संशोधन लगाया नहीं जा पा रहा है। मान्यवर, दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना उचित था, लेकिन एक विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम पर बना। मान्यवर, जब किसी भी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उसमें कम से कम दो संकाय की अनिवार्यता होती है। चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया गया तो उसमें दो संकाय बनाये गये थे, एक डेन्टल विभाग और दूसरा मेडिकल विभाग, दोनों बढ़िया ढंग से कार्य कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया, अंग्रेजों से ज्यादा प्यार हो गया, यह विदेश गये और माननीय स्पीकर साहब की अध्यक्षता में लन्दन घूमने गये, पता नहीं इन्होंने क्या देखा कि लन्दन से प्यार हो गया और किंग जार्ज से प्यार हो गया, अभी तक जो स्वदेशी की बात करते थे, जो अंग्रेजी हटाओ का नारा देते थे, वहीं अब अंग्रेजी लाओ का नारा दे रहे हैं, यह अपने आप में एक आश्चर्य हुआ है। जो अभी तक पूँजीवाद का विरोध कर रहे थे, वही अब उनकी बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। इनकी मानसिकता बदली है और किंग जार्ज से प्यार होने के कारण यह उसका डंका बजाने के लिए लखनऊ में एक ही कैम्पस में चिकित्सा विश्वविद्यालय और दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किये दे रहे हैं, यह समझ के परे बात है। अभी तक यह दो संकाय के रूप में कार्य कर रहे थे और किसी भी विश्वविद्यालय में दो संकायों का होना लाजिमी है। निश्चित रूप से इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को वाइस चांसलर बनाकर और कुछ अन्य पदों पर रखकर आप किंग जार्ज के साथ चापलूसी कर रहे हैं और जो आपको लन्दन में और अंग्रेजों में अच्छा नजर आया, उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यह कुछ नहीं है। हमारी यह चाहत है कि इसको जल्दबाजी में न पास किया जाय, बल्कि हम लोग इस पर विचार-विमर्श करें। इस पर और अधिक अध्ययन करें। दुनिया के तमाम अन्य देशों का पूरी तरह से संकलन करें कि उनके यहां कैसा है? मैं नहीं समझता कि इसको अलग बना देने से किसी उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी। यह भी देखना चाहिए कि इससे वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा। खजाना ऐसे ही खाली है प्रदेश के ऊपर और अधिक वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा, इन सारी चीजों को आंकलन करने के बाद ही बनाया जाना चाहिए था। सदन की कार्यवाही सीमित दायरे में आ जाने के कारण मैं यह संशोधन नहीं ला सका लेकिन आपके पास यह अधिकार है कि आप कभी भी संशोधन लाने का प्रस्ताव हमें दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वह अधिकार हमें दें और संशोधन लाने की हमें अनुमति दें कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और एक महीने का विचार का समय दें, उसके सदस्यों के नामों पर बाद में विचार कर लिया जायेगा। जब

यह प्रवर समिति के सामने जायेगा तो इस पर विस्तृत अध्ययन होगा। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो एक नहीं अनेक दन्त विश्वविद्यालय बनने चाहिए। लेकिन जो छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर था उनके नाम को हटाकर अंग्रेजों के नाम पर कर दिया जाना और यह कहना कि जार्जियन के रूप में हमारी प्रतिष्ठा थी, उचित नहीं है। किसी संस्था से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए मान्यवर, हमें यह संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दें और मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूँगा कि हमारे संशोधन को मानते हुए कृपया इस पर विचार कर लें और गहन विचार-विमर्श के बाद इसको लाने का प्रयास करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, लाल जी वर्मा जी ने भी स्वीकार किया है कि दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी। उस पर जो तर्क दिया है वह तर्क तो नहीं थे और विद्वान सदस्य के वह वाक्य भी नहीं थे। किंग जार्ज के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में जो यह काम किया जा रहा है उससे दन्त चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर अवसर, बेहतर सुविधा प्रदेश की जनता को दी जा सकेगी। इस कार्य की सदन में प्रशंसा होनी चाहिए। जिस आधे मन से इसका विरोध करने का प्रयास किया है और औचित्य को स्वीकार किया है कि डेन्टल कालेज की युनिवर्सिटी हो। मैं इस पर पुन: बल दे रहा हूँ और इसके औचित्य को पूरे सदन ने स्वीकार किया है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-57 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से दन्त विज्ञान संकाय (जिसके अन्तर्गत उक्त संकाय से सम्बद्ध हास्पिटल भी है) को अन्तरित करके एक दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने के लिए।

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

(2)- इस अधिनियम में,-

(1) 'विद्या परिषद्', 'सभा' और 'कार्य परिषद्' का तात्पर्य क्रमश: विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्, सभा और कार्य परिषद् से है;

(2) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है;

(3) 'दन्त चिकित्सा' और 'चिकित्सा' के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमश: दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है;

(4)'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(5) 'हास्पिटल' का तात्पर्य दन्त विज्ञान संकाय से सम्बद्ध हास्पिटल से है और इसके अन्तर्गत ऐसे औषधालय और प्रयोगशालायें हैं जो ऐसे हास्पिटल से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों;

(6) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो;

(7) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(8)''रजिस्ट्रीकृत स्नातक'' का तात्पर्य परिनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है और इसके अन्तर्गत ऐसा स्नातक भी सम्मिलित है जिसने-

(एक) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के प्रारम्भ होने के पूर्व यथा विद्यमान किंग जार्ज मेडिकल कालेज के छात्र के रूप में; या

(दो) नियत दिनांक के पूर्व छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय या किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में कोई चिकित्सा उपाधि प्राप्त की हो;

(9) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' का तात्पर्य क्रमश: विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है;

(10) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो;

(11) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3- विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण कर रहे कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्य परिषद्,सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

दन्त विज्ञान संकाय का विश्वविद्यालय को अन्तरित किया जाना

4- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 या तदधीन जारी परिनियमों या आदेशों में किसी बात के होते हुए भी, और नियत दिनांक को और उसी दिनांक से-

(क) दन्त विज्ञान संकाय के विद्यमान भवन के चारों ओर की भूमि और प्रादेशिक हाईजीन संस्थान का भवन और जो चिकित्सा संकाय का भाग है तथा किंग जार्ज

चिकित्सा विश्वविद्यालय (जिसे आगे पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय कहा गया है) की दन्त विज्ञान संकाय से सम्बन्धित समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, जिनके अन्तर्गत भूमि, भवन, छात्रावास, उपस्कर, फिटिंग, फिक्सचर्स, संयंत्र, मशीन, उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और वाहन भी हैं, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ख) दन्त विज्ञान संकाय की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो, जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा धृत या उसके लेखे में कोई नकद धनराशि भी है, चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ग) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, ऋण, कर्तव्य, दायित्व और आभार, जो दन्त विज्ञान संकाय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हों, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे;

(घ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें दन्त विज्ञान संकाय के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा मानों उसमें पूर्ववर्ती, विश्वविद्यालय के स्थान पर किंग जार्ज दन्त विश्वविद्यालय का नाम लिखा गया हो।

(ङ) दन्त विज्ञान संकाय, पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का संकाय नहीं रह जायेगा और वह उन्नत हो जायेगा और विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेगा;

(च) दन्त विज्ञान संकाय का कोई छात्र जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था नये विश्वविद्यालय के छात्र की रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा और नये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा;

(छ) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो दन्त विज्ञान संकाय के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से नियुक्त हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व में संकाय में सेवारत हो, जब तक कि वह नियत दिनांक से नब्बे दिन के भीतर विश्वविद्यालय को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायेगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य विषय के अधिकार के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के अधीन धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के

अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के अनुसार निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय।

(ज) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध दन्त विज्ञान संकाय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में संस्थित और नियत दिनांक को लम्बित सभी वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त हो जायेंगी।

अस्तियों इत्यादि का उपयोग

5- धारा 4 के आधार पर विश्वविद्यालय को अन्तरित सम्पत्तियों, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग नहीं प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है।

विवादों, यदि कोई हों, का निराकरण

6- यदि धारा 4 के अधीन पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय से किसी आस्ति या दायित्व के नये विश्वविद्यालय को अन्तरण के कारण कोई शंका या विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण दोनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा किया जायेगा और व्यतिक्रम की दशा में मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

7- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) दन्त विज्ञान और उससे सम्बद्ध शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना;

(ख) ऐसे विज्ञान और शाखाओं में दक्ष और व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना;

(ग) निम्नलिखित की विशिष्टताओं को उन्नत करना;

(एक) मैक्सिलो-फेसियल डेन्टिस्ट्री

(दो) इम्पलान्ट डेन्टिस्ट्री

(तीन) ऐस्थटी एण्ड कास्मेटिक डेन्टिस्ट्री

(चार) कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री फार मासेस फार प्रिवेन्शन आफ ओरल डिजीजेज

(पाँच) एडवान्समेण्ट आफ डेण्टल मैटीरियल साइन्सेज

(घ) प्रशिक्षण और अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए सभी ग्यारह विभागों, को उन्नत करना, वर्तमान में चार और विभागों को उन्नत करना, अर्थात्:-

(एक) ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी

(दो) कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री

(तीन) डेण्टल एनाटोमी

(चार) डेण्टल मैटेरियल्स, भारतीय दन्त परिषद के मानकों के अनुसार

(ङ) विषय में उपयुक्तता के अनुसार अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(च) डी0एन0बी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(छ) नवीन सहायक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(ज) अपने अस्पतालों में रोगियों का उपचार करना;

(झ) एक परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना;

(ञ) अस्पताल का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना;

(ट) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करना;

(ठ) खण्ड (क) से (ट) तक में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना;

अन्तरिम कार्य परिषद

8- इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के लिए नई कार्य परिषद् के गठन हो जाने तक एक अंतरित कार्य परिषद्, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, कार्य परिषद् के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी:-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) संकायों के अध्यक्ष;

(ग) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न);

(घ) उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ का ज्येष्ठ न्यायाधीश या किसी बैठक के लिए उसके द्वारा नामित उस पीठ का अन्य न्यायाधीश;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामित किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य;

(छ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ज) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली या किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य;

(झ) किंग जार्ज मेडिकल कालेज जैसा कि वह नियत दिनांक के पूर्व था, के दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और दो सेवानिवृत्त आचार्य जो कि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे;

(ञ) कुलाधिपति द्वारा नामित, चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक प्रख्यात व्यक्ति;

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

9- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) दन्त विज्ञान की सभी शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना और ऐसी शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना;

(दो) उपाधियां, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाएं और परीक्षणों को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तों को अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियां स्वीकृत या प्रदान करना जिन्होंने-

(क) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो,

या

(ख) विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो,

(पांच) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(छः) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अधीन गठित भारतीय दन्त परिषद और अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(सात) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारिपोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(आठ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करना;

(नौ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य मान्यता देना;

(दस) किसी निजी दन्त महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर देना जैसा कि विहित की जायं और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे विद्यालय के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(बारह) छात्रावासों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(तेरह) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(चौदह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(सोलह) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(सत्रह) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिए व्यवस्था करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उददेश्यों को अग्रसर करने के लिए यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

10- अपनी जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय-

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता सीमित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित छात्रों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण तथा जांच

परिदर्शन

11-(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को

उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

12- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति कुलपति; यदि कोई हो

(घ) वित्त अधिकारी;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलधिपति

13-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनो और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

कुलपति

14-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, या छात्रावास से सम्बन्धित न हो) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है,

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा:

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले नाम-निर्दिष्ट करेंगे।

(3) उपधरा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो उपधारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षिरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के सम्बन्ध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा।

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा), कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिये जैसा वह विर्निदिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा।

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात् में:

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहां प्रति कुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम् आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था:

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

15-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और :-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दिक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नये छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्यपरिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 12 तथा 39 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, सभा, विद्या परिषद तथा वित्त समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी:

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसा रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विद्यिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यक्ति हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) जहां कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गयी हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्ति की गयी हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति से नियुक्त दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रतिकुलपति

16-(1) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रासाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति-कुलपति को एक हजार रुपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

(5) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायं।

वित्त अधिकारी

17-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हो, न किया जा;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितायें न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(7) वित्त अधिकरी की अन्य शक्तियों और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जायं।

कुलसचिव

18-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा विहित किये जायं या अपेक्षित हो किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियंत्रक

19-(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जाय या जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रक रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रण परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

अन्य अधिकारी

20- कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जायं।

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय प्राधिकारी

21- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

(क) कार्य परिषद्;

(ख) सभा;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) संकायों के बोर्ड;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाये।

कार्य परिषद् का गठन

22- (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) कुल सचिव;

(घ) वित्त अधिकारी;

(ङ) परीक्षा नियंत्रक;

(च) दंत विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्त संकायाध्यक्ष;

(छ) दंत विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्त आचार्य;

(ज) सकाय का संकायाध्यक्ष;

(झ) विश्वविद्यालय का एक ज्येठतम आचार्य चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा;

(ञ) सभा द्वारा चयनित चार सदस्य (सभा के गठन के पश्चात)

(ट) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो विहित रीति से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2- कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

3- कोई व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह, होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के

लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्ही कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण:- इस धारा में 'नातेदार' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

23-(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना;

(पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि-छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक ओर अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझें;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों, या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझें, या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद, सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझें और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझें प्रत्यायोजित कर सकेगी।

सभा

24-(1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

वर्ग-1-पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कार्य परिषद के सदस्य;

(तीन) वित्त अधिकारी;

वर्ग-2-आजीवन सदस्य

(चार) ऐसे भारतीय, जिन्होंने विश्वविद्यालय को दो लाख रुपये से अन्यूनतम का संदान किया है;

(पाँच) ऐसे अप्रवासी भारतीय जिन्होंने विश्वविद्यालय को दस हजार से अन्यून पाउण्ड स्टर्लिंग या उसके समतुल्य कोई विदेशी मुद्रा का संदान किया है;

वर्ग-3-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधित्व

(छः) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और अन्य सभी विभागाध्यक्ष;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रावासों के प्रोवोस्टों और वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति से चक्रानुक्रम में किया जाना है;

(आठ) दस अध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जाना है।

वर्ग-4-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(नौ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जैसा विहित किया जाये, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों।

वर्ग-5- छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) विश्वविद्यालय का एक छात्र जो विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्नातक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर दन्त उपाधि के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो।

वर्ग-6-राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(ग्यारह) विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य;

(बारह) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित (सिवाय वर्ग 1,2 और 5 के) प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियां और कर्तव्य

25- सभा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एक सलाहकार निकाय होगी। उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जाय सलाह देना; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा कृत्यों का संपादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों या कुलाधिपाति द्वारा सौंपे जाय।

सभा का अधिवेशन

26- (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को होगा जो कुलपति द्वारा नियत किया जाये और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(2) कुलपति जब कभी ठीक समझे सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

विद्या परिषद्

27-(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए:-

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेंगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(एक) कुलपति;

(दो) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(तीन) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(पांच) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;

(छः) दन्त विज्ञान संकाय के दो सेवानिवृत्त संकायाध्यक्ष;

(सात) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(आठ) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(नौ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष और;

(दस) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से सहयोजित किये जायेंगे।

वित्त समिति

28-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा

(3) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

संकाय और विभाग

29-(1) विश्वविद्यालय में केवल एक संकाय होगा, अर्थात् दन्त विज्ञान संकाय।

(2) संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायं, परन्तु नियत दिनांक से ठीक पूर्व के दिनांक को विद्यमान विभाग तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक उन्हें अध्यादेशों द्वारा परिवर्तित या उपान्तरित नहीं कर दिया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी:

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो नियुक्त दिनांक से पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर ऐसा पदधारण किये रहेगा जिन पर उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(4) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायं।

(5) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

प्रवेश समिति

30-(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों का अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति प्रवेश के लिए मापदण्ड या रीति जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए प्रयोज्य उपबन्धों द्वारा शासित जारी, होते रहेंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

31-(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायेगी।

(2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्ट या किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति का यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

32- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

अध्याय-पाँच

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

33-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमत: एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढाया जा सकेगा:

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे:

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह भी यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अन्तिम आदेश न दे दिये जायं।

3-(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद पर परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या, नव सृजित हो वहां, जब तक कि कार्यपरिषद कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करती है तब तक ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा जिसे आगे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष:

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम् आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां व ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझे;

(iii) किसी आचार्य, सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थानों से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छ: या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाले प्रत्येक विशेषज्ञ वहीं व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-(2) जहाँ चयन किये जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा:

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्यपरिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा तब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सहयुक्त प्राचार्य एवं प्राचार्य के पद पर पदोन्नति

34-(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक प्राचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय में पदोन्नत कोई सहयुक्त प्राचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायं, को क्रमशः सहयुक्त प्राचार्य या प्राचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) उप धारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

35-(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को कोई वैतनिक अधिकारी या अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन भविष्य निधि आदि

36- विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है, जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति

उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान किया जायेगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

37-(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण:- ''पारिश्रमिकीय पद'' शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी हैं।

माध्यस्थम अधिकरण

38-(1) धारा 34 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाये तो उस रिक्त की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष, कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना,

(ख) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना, और

(ग) तीन सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित हो:

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय - छ:

परिनियम, अध्यादेश तथा विनिमय

परिनियम

39- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगे :--

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियों और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिये उपबन्ध करना जो आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी है):

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा योजना की स्थापना;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुन: संगठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना उनका उत्सादन और पुन: संगठन;

(ड) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं है) की संख्या न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हताएं, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनायें जायेंगे

40 (1) - विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे, परन्तु जब तक कि प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायें, नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हो, के रुप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपांतरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(2) कार्य परिषद नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(3) कार्यपरिषद् किसी ऐसे परिनियम, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, के प्रारुप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो औ इस प्रकार की राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी. राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या संस्तुति या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारीवृन्द के लाभ के लिए किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित

करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उप धारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

41-(1) इस अधिनियम औ परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलियत होना और इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी, विशिष्टतायें;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जाएगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें,

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध,

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग के लिए या नये छात्रों का उनके ज्येष्ठ छात्रों द्वारा किसी उग्र या अश्लील रैगिंग के लिए निलंबन, निष्कासन या विनिष्कासन भी सम्मिलित है,

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सकें;

(झ) परीक्षण, निकायों, परीक्षकों, अनुसीमाकों अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उसके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हो, अध्यादेश द्वारा किये जायं।

किंग जार्ज चिकित्सा

42-(1) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का अध्यादेश होगा जैसा कि नियम दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त है जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से प्रतिकूल न हों;

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहें वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नही की जायेगी।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद समय-समय पर नये अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा-

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारुप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की, प्रस्थापना के अनुसार न हो पा या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो; या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वेविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद की उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णत: अथवा भागत: पुन: विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्यपरिषद सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दें और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद की उपधारा (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अनुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

विनियमन

43-(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा,-

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्यपरिषद्, सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद् की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रतर विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन किन्हीं विनियमों के बनाये जाने तक किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सुसंगत विनियम, जैसा कि वे नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, बने रहेंगे।

अध्याय-सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

44-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के संबंध में संस्तुति कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा संपरीक्षा

45-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी श्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद् द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित रकम से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी संस्तुतियाँ कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद् जो वित्त समिति की संस्तुतियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

(8) कुलपति या कार्य परिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा,-

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो;

परन्तु धारा 14 क उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पचास हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के संबंध में हो।

अधिभार

46-(1) धारा 11 के खण्ड (ख) से (ज) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरुप हो।

(2) अधिभार कि प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

अध्याय-आठ

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

47-(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकार के सदस्य यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

48-(1) विश्वविद्यालय के किस प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होगा

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

49- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :-

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन मे कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

50- सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

51- यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश-

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास के अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा :

परन्तुक यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में-

(क) परन्तु पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि के समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा,

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

52-(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर

की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय को कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभी विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय-नौ

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्रथम कुलपति

53- विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो तब तक पद धारण करेगा जब तक कि धारा 13 के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति न कर दी जाय।

विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकारी

54-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जाएगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा ओर रीति से किया जायेगा।

अन्तरिम व्यवस्था के सम्बन्ध में उपबन्ध

55-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी-

(क) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के अधीन दंत विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में की गयी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण-पत्र, स्वीकृत किये गये विशेषाधिकार अथवा सम्पादित किया गया कोई अन्य कार्य इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी, जारी की गयी, स्वीकृत या की गयी समझी जाएगी।

(ख) उक्त संकाय के सम्बन्ध में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो नियत दिनांक के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियां, जहाँ नियत दिनांक के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो या न जारी किया हो विधिमान्य मानी जाएगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।

(ग) जब तक कि धारा 33 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता तब तक, कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विद्यमान हों, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा।

(घ) जब तक विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा पालन किए जायेंगे;

(ङ) जब तक कि विश्वविद्यालय में कोई कुल सचिव नियुक्ति नहीं किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन कुलसचिव के कृत्यों कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

(च) जब तक अध्याय छ: में निर्दिष्ट प्रथम परिनियम, अध्यादेश और विनियम न बना लिये जायं, तब तक उक्त संकाय के सम्बन्ध में नियत दिनांक के ठीक पूर्व परिनियम, अध्यादेश और विनियम प्रवृत्त बने रहेंगे।

56-(छ) जब तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम व्यवस्था नहीं कर दी जाती है तब तक-

(एक) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय द्वारा उनकी संख्या के अनुपात में प्रदान की जाएगी

(दो) भारतीय दन्त परिषद के मानकों के अनुसार चिकित्सा विषयों का अध्यापन पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अध्यापकों द्वारा किया जायेगा

(तीन) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के परीक्षा हाल, क्रीड़ास्थल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष का प्रयोग विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया जाएगा।

(चार) पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के कार्य एवं विद्युत विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

57-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टिता: किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम 2002, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक समीचीन समझे, प्रभावी होंगे;

परन्तु नियत दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश दिया या जारी नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-57 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रिग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004, पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य इस पर विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, बहुत छोटा सा संशोधन है। इसमें मात्र यह है कि प्रति कुलपति का पद था उस पद की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। इसके पूर्व दृष्टांत यह था कि जो कनिष्ठ हुआ करते थे, कुलपति द्वारा कनिष्ठ अध्यापकों को प्रति कुलपति बना दिया जाता था तो उस कनिष्ठ व्यक्ति के प्रशासनिक तौर पर अधिकार अधिक हो जाते थे और वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा हो जाती थी इससे उनमें असन्तोष हो जाता था। उस व्यतिक्रम को ठीक करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। प्रति कुलपति के पद को समाप्त करने के बारे में किसी विपक्षी सदस्य द्वारा संशोधन नहीं रखा गया है। इसलिए इसको एक राय से स्वीकार किया जाय।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें मैं एक क्लारिफिकेशन चाहता हूँ। किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अब तक कई संकाय कार्य कर रहे थे और डेन्टल कालेज भी किंग जार्ज मेडिकल कालेज का अंग था और वह कार्य कर रहा था। किन्तु अब डेन्टल कालेज को डेन्टल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज में डेन्टल फैकल्टी अलग से खोलने की कोई व्यवस्था की गयी है?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, आप कार्यसूची देखें। यह मद संख्या-14 किंग जार्ज मेडिकल कालेज संशोधन विधेयक, 2004 है। माननीय मंत्री जी प्रति कुलपति का पद समाप्त करने के लिए संशोधन ला

रहे है। आप जो विचार व्यक्त कर रहे है वह मद संख्या 12 व 13 पारित हो चुके हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हालांकि मद संख्या 12 व 13 पारित हो चुके हैं परन्तु मैं माननीय सदस्य के स्पष्टीकरण का उत्तर देना चाहता हूँ। डेण्टल फैकल्टी को पूरी तरह से डेण्टल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और आप सबने यह प्रस्ताव पारित किया है। अलग से किंग जार्ज मेडिकल कालेज में डेंटल फैकल्टी खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है। एक फैकल्टी में आवश्यकतानुसार उसके बहुत सारे पाट्र्स होते है। जब डेण्टल यूनिवर्सिटी अलग हो गयी है तो फिर मेडिकल कालेज में अलग से डेण्टल फैकल्टी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 7 का संशोधन

2- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में उपधारा (2) में शब्द प्रति-कुलपति और हास्पिटल का एक मुख्य अधीक्षक के स्थान पर शब्द हास्पिटल का मुख्य अधीक्षक रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 8 में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

धारा 14 का संशोधन

4- मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

धारा 16 का संशोधन

5- मूल अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (11) में शब्द प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति-कुलपति न हो निकाल दिये जायेंगे।

धारा 18 का निकाला जाना

6- मूल अधिनियम की धारा 18 निकाल दी जायेगी।

धारा 30 का संशोधन

7- मूल अधिनियम की धारा 22 में से शब्द "प्रति-
निरसन और अपवाद कुलपति" निकाल दिया जायेगा।

8- मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

9- (1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थ्ा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

स्वास्थ्य एवं सूचना विभाग का बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न कराये जाने तथा मुख्य बजट के स्थान पर लेखानुदान लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इससे पहले कि अनुदान प्रस्तुत हों मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूँ। मान्यवर, आज की कार्यसूची में 42 मदें इस प्रकार की हैं जिनमें से 40 ऐसी हैं जिन पर कटौती का प्रस्ताव आता। अभी तक कम से कम एक परंपरा रही है कि जिस विभाग की अनुदान मांगे प्रस्तुत की जायेंगी वह विभाग अपने से संबंधित साहित्य उपलब्ध करायेगा। साहित्य मिलता तो कुछ जानकारी हो जाती कि विभाग की कार्य योजना है। बहस हो या न हो वह अपनी जगह पर है। साहित्य से माननीय सदस्यों को वंचित रखना उचित नहीं है। मैंने चेक कर लिया है स्वास्थ्य विभाग तथा सूचना विभाग का एक भी कागज आजतक नहीं दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग, सूचना विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक भी कागज नहीं दिया गया है। मैं मानता हूँ कि आपकी कठिनाई है। कुछ महीने हुये सत्ता में बैठे हैं। आप बहुत गंभीर भी नही हैं, पता नहीं सरकार रहेगी या नहीं। आप गंभीर हों या न हों लेकिन यह सदन गंभीर है अपने अधिकारों की रक्षा के लिये। श्रीमन्, 2004-2005 का बजट जो आप पास कराना चाहते हैं उसके लिये आप बिल्कुल गंभीर नही हैं। मान्यवर, आपकी पीठ

से निर्देश हो जाय, सारे वर्ष का बजट न लेकर 2-3 महीने का लेखानुदान ले लें और सदन को मुक्त करें। यहां पर जिस प्रकार से पूरे वर्ष का बजट आना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश का बजट आता तो अनुदानों पर चर्चा होती और हमारे सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों की बात रखने का अवसर मिलता। आपका साहित्य, लिट्रेचर मिलता तो कम से कम आपकी फोटो ही देख लेते और फोटो के माध्यम से आपके कृत्यों कुकृत्यों का एक चित्र सामने आ जाता। आप सदन को बिल्कुल उपहास न बनायें। मान्यवर, जिन विभागों का साहित्य आज तक नहीं आया है उनके अनुदान प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। श्रीमन्, आप इस संबंध में निर्देश देने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है उसमें जो सिद्धांत है उससे हमारी कोई असहमति नहीं है। मान्यवर, जैसा उन्होंने कहा कि बजट साहित्य आना चाहिये, बजट साहित्य देखकर अपने सुझाव या संशोधन रखे जाते तो यह बात सही है। लेकिन श्रीमन् आप जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विधान सभा का जो वर्तमान सत्र है उसका कार्यक्रम 10 मार्च तक के लिये प्रस्तावित था और कार्य मंत्रणा समिति के सिफारिश के हिसाब से अनुमोदित था। लेकिन जिन परिस्थितियों में 10 मार्च तक कार्यक्रम संक्षिप्त होकर 21 फरवरी तक कर दिया गया है उन परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता। कार्य मंत्रणा समिति में माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्य थे, माननीय अध्यक्ष जी थे, जिन किन्हीं परिस्थितियों में यह कार्यक्रम संक्षिप्त होकर 21 फरवरी तक कर दिया गया उस पर चर्चा करना यहां सदन में न अभीष्ट ही है और न उचित। सिद्धान्तत: यह बात सही है कि जिस विभाग का बजट रखा जाय उसका साहित्य हमारे सम्मुख होना चाहिए था लेकिन जिन कारणों से यह कार्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया उस परिवर्तित कार्यक्रम के कारण निश्चित रुप से जो यह 9 तारीख तक विभिन विभागों का बजट रखा जाना चाहिए था उन सबका बजट साहित्य परिवर्तन के कारण किसी तरह से व्यावहारिक तरीके से रखना सम्भव नहीं था। इन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो सका। जो बात आपने कही है इसको उतनी ही गम्भीरता से लेते है। मेरा अनुरोध है आपकी शंका का समाधान हो गया है अब अगली मद लेने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मेरी शंका का समाधान न तो इन्होंने किया है न होने का कोई प्रश्न है। मैंने मौलिक प्रश्न उठाया जो कार्यमंत्रणा की सिफारिश है उसे सदन ने स्वीकार किया उस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह साहित्य उपलब्ध कराए मैं आपसे वरिष्ठ मंत्री होने के नाते यह अपेक्षा करता था कि जिन विभागों ने अपना दायित्व नहीं निभाया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और सदन को सूचित करेंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बजट साहित्य उपलब्ध कराने का एक समय निर्धारित है कि इतने समय पहले उपलब्ध कराया जाय और ऐसा न करने पर ऐसा मौका भी आया है या अनुदानों पर चर्चा स्थगित हुई है। आप दोनों बातों में एक भी बात नहीं करने जा रहे है न ही चर्चा स्थगित होने की बात है। अगर आपका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास हे, संसदीय परम्पराओं में विश्वास है, तो खड़े होकर यह कहें कि ठीक है हम दो महीने का लेखानुदान ले लेंगे और लोक सभा चुनाव के बाद जब सदन होगा तो उस समय जैसी परिस्थितियाँ बनेगी, जो मंत्रिपरिषद यहाँ रहेगी उसको बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आप एक साथ बजट पारित कराना चाहते है और बजट पारित कराने पर आप गम्भीर भी नहीं है आप स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन विभागों का साहित्य समय के अन्दर उपलब्ध नहीं हुआ है उनके सम्बन्ध में कम से कम खेद व्यक्त करें और सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय हुकुम सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इस संबंध में परम्परा भी यही रही है कि चार दिन पूर्व साहित्य उपलब्ध हो जाना चाहिए कार्यमंत्रणा समिति ने बजट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परिवर्तन किया उसके कारण यह स्थिति आई। जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार सभी विभागों ने बजट साहित्य उपलब्ध करा दिया भले ही कम समय पहले उपलब्ध कराया हो लेकिन खेल विभाग और सूचना विभाग द्वारा साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि दोनों विभागों के अधिकारियों को कम से कम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था। भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाय। कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिस तरह से हो उसी हिसाब से बजट साहित्य समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाय और विभाग के मंत्री को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसी हिसाब से अधिकारियों को निर्देश दे दें। इसी के साथ इसका निस्तारण किया जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो भी आपके निर्देश होंगे उनका पूरी तरह से अनुपालन होगा किन्तु यह जो लेखानुदान लाने की आपने बात कही है एक सरकार इस प्रदेश में ऐसी थी जिसके जमाने में बजट लाने की सुविधा नही थी।

श्री अधिष्ठाता-

पीठ के निर्देश के बाद कोई किन्तु परन्तु नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपका आदेश शिरोधार्य है। किन्तु हुकुम सिंह जी ने जो लेखानुदान की बात कही है। हम एडहाक तरीके से प्रदेश नहीं चलाना चाहते है। हम पूरे वित्तीय वर्ष की योजना लेकर आए है। पूरा बजट लेकर सरकार आई है। लेखानुदान प्रस्तुत करके हम तदर्थ रूप से सरकार चलाने को प्रश्रय नहीं देना चाहते हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य और निश्चित रूप से निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। हम सुनिश्चित करायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

आपने एक टिप्पणी की है कि एक सरकार ऐसी आई थी जो बजट को लेखानुदान के माध्यम से लाई थी लेकिन यह सरकार तो ऐसी आई है जिसने सम्पूर्ण बजट को लेखानुदान में परिवर्तित कर दिया। वह सरकार तो कम से कम ऐसी थी जो लेखानुदान के माध्यम से बजट लाई थी लेनिक यह तो बजट को लेखानुदान के माध्यम से ला रहे है। अम्बिका जी यह पहला अवसर है जब सदन व्यवस्थित हो और सदन के व्यवस्थित होने के बाद भी साधारण बजट पर चर्चा न हो। मैं काफी समय से सदन का सदस्य हूँ और पक्ष और विपक्ष दोनों में रहा हूँ। सम्भवत: यह पहला अवसर है, व्यवस्थित सदन में बिना चर्चा के उन अनुदानों को पारित कर दिया जायेगा जिन पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है और उन को बिना साहित्य के प्रस्तुत किया जा रहा है। अम्बिका जी आप इस सदन में कितनी बातें खड़े होकर कहते है। कम से कम एक दो बातें ऐसी कहें जिन पर आप स्वयं ठीक हों। आपने बजट को लेखानुदान में परिवर्तित कर दिया और इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे है।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की माँग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,99,30,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य - विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जैसा कि वरिष्ठ सदस्य श्री हुकुम सिंह, जी ने यहाँ पर एक प्रश्न रखा कि कटौती का प्रस्ताव हम विपक्ष के लोगों ने रखा है। मान्यवर, यह सरकार के सम्वेदनशील मंत्री लोग बजट के साहित्य को आज तक उपलब्ध नहीं करा सके है। अभी कुछ साहित्य सुबह मिला है और उसमें भी तमाम ऐसे विभाग है जिनका साहित्य के नाम पर एक पर्चा भी नहीं मिला है। यह सत्ता पक्ष की गम्भीरता है। जिस तरीके से यह सरकार असमन्जस की स्थिति में है उसका सामान्य बजट भी उसी स्थिति में है। इनके इस सामान्य बजट की कोई रुप रेखा नहीं है, कोई प्रारुप नहीं है। यह पूरे प्रदेश की आँखों में धूल झोंकना चाहते है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को मौज मस्ती में उड़ाना चाहते है। यही कारण है कि इन्होने बजट साहित्य नहीं प्रस्तुत किया। जिस तरीके से एक ही दिन में सम्पूर्ण विभाग का बजट रखने जा रहे है, यह पहला अवसर है जिसमें बिना साहित्य के सरकार अपना बजट प्रस्तुत करने की औपचारिकता निभा रही है। मान्यवर, हम इस पर आपका संरक्षण चाहते है। आप सरकार को निर्देश दें कि जो भी बजट का साहित्य है वह हमको दिया जाना चाहिए जिससे हमको पता चले कि इनका बजट क्या है उस पर गम्भीरता से विचार कर लिया जाय और पढ़ लिया जाय। इस पर आप निर्देश दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर मैने पहले ही व्यवस्था दे दी है। कोई और माननीय सदस्य विचार रखना चाहता है?

(किसी अन्य सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,99,30,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान,

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 63,21,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे है?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं दो-तीन बातें सुझाव के रुप में कहना चाहता हूँ मुझे सुन लें। मान्यवर, इससे पहले भी कार्य-स्थगन के रूप में गन्ना का प्रश्न उठाया गया है। गन्ने के मामले में पहले भी प्रश्न उठाये जाते रहे है। इस सत्र में गन्ने के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि शाम तक इस पर कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। चीनी मिलों ने मनमाने तरीके से गन्ना किसानों का बेसिक कोटा कम कर दिया है मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आदेश निर्गत किए जायंगे, कोई आदेश गन्ना आयुक्त ने निर्गत नहीं किए है जो बेसिक कोटा गन्ना किसानों का कम किया गया है इसका अधिकार उनको दे दिया गया है यह उनकी अकर्मण्यता और निष्क्रियता है कोई आदेश नहीं हुए। मैं चाहूँगा आज जो इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है इसे गम्भीरता से लेकर गन्ना किसानों के हित में कुछ कार्यवाही की जाए। बार-बार इस आवाज को सुनाने की कोशिश की गई लेकिन वह आवाज आपके मनों में घर नहीं कर पाई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। गन्ने के मूल्यों को लेकर आज विडम्बना इस बात की है, पहले समय दिया गया या नहीं, यह अलग बात है लेकिन यहां खड़े होकर कह दें कि इतना करोड़ रुपया दे दिया। फलाने वर्ष में इतना करोड़ मिला यह समस्या का समाधान नहीं है। क्या सारे प्रदेश के गन्ना किसानों को जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें एकरुपता है? आपको स्मरण होगा पूर्व में यहां पर एक व्यवस्था थी कि पश्चिम के किसानों को दो रुपया ज्यादा दिया जाता था और पूर्व के किसानों को दो रुपया कम मिलता था। सबकी मांग यही थी कि पूर्व, पश्चिम, मध्य में रहने वाले किसानों को दिए जाने वाले गन्ना मूल्य में एकरूपता होनी चाहिए। इस बात को सुनकर तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि एक रुपता होगी लेकिन आज इस वर्तमान सत्र में आप देखें क्या हो रहा है गन्ना किसानों को, पश्चिम और पूर्व तो आप छोड़ दें, एक गन्ना किसान को गन्ना मूल्य एक मिल में ज्यादा दिया जा रहा है, एक गन्ना किसान को गन्ना मूल्य कम दिया जा रहा है। एक किसान को कुछ कीमत मिल रही है दूसरे किसान को दूसरी कीमत मिल रही है। मिल मालिकों द्वारा इस तरह से गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। प्रदेश सरकार अनुदान ला रही है, बजट पास करा रही है लेकिन किसानों को मिलने वाले गन्ना मूल्य में एकरुपता नहीं ला

पा रही है। जो चीनी मिलों की रिकवरी है उसमें 80 प्रतिशत मिल का हिस्सा होता है, किस प्रकार फैक्ट्री चल रही है? 20 प्रतिशत गन्ने की किस्म का होता है अगर किसानों का गन्ना खरीदते है इसलिए वह दे रहे है यह होता तो मान भी लिया जाता लेकिन मिल की कार्यक्षमता क्या हे, उस पर दे रहे है मैं अपेक्षा करता हूँ प्रदेश सरकार कब होश में आएगी, मिल मालिक किसानों को विभिन्न दाम दे रहे है, उसमें एक रुपता कैसे आएगी? जो भारसाधक मंत्री है वह इस बात की घोषणा करें कि इस प्रदेश में सारे प्रदेश के किसानों को एक मूल्य दिया जाएगा एक रूपता होगी। रही बात भुगतान के सम्बन्ध में, सुझाव के रुप में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह भाड़ा जो गन्ना किसानों से लिया जा रहा है, पौने छ: रुपये प्रति कुन्तल ले रहे है। इसमें सोचने की आवश्यकता है कि एक किसान मिल पर 3 कि0मी0 से गन्ना ला रहा है और एक मिल पर 30 कि0मी0 से ला रहा है। 30 कि0मी0 और 3 कि0मी0 दोनों से ही पौने छ: रुपये ले रहे हैं। जो 3 कि0मी0 से ला रहा है, उससे भी पौने छ: रुपये और जो 30 कि0मी0 से ला रहा है, उससे भी पौने छ: रुपये लिए जा रहे है। शासन से यह निर्णय हो जाए, एक स्लैब सिस्टम बन जाये कि 10 कि0मी0 से लाने वाले को इतना पड़ेगा और 20 कि0मी0 से लाने वाले किसान को इतना पड़ेगा। एक स्लैब होना चाहिए।

मान्यवर, एक सिस्टम था इस प्रदेश में कि जो गन्ने की सूखन होती थी, उसमें .2 प्रतिशत, .3 प्रतिशत की कटौती होती थी। आज सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें, सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिलें तो .2 प्रतिशत अनुमन्य कर रही है लेकिन निजी क्षेत्र के मालिकों ने सूखन को समाप्त कर दिया है। इसका कितना घातक परिणाम हो रहा है जो मिल के कर्मचारी बैठे हैं, उन्होंने कम तोलना शुरु कर दिया है। रास्ते में जो गन्ना खींच लिया जाता है, चोरी हो जाता है, सूखन जाती है उसकी सारी जिम्मेदारी आज गन्ना किसान पर डाल दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

3.00 बजे मुख्यमंत्री जी सामान्य चर्चा का उत्तर देंगे, तब तक के लिए मैं सदन को स्थगित कर रहा हूँ।

(वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री द्वारा 3 बजे दिये जाने के कारण श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 12 मिनट पर स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी।

(मेजें थपथपायी गयी।)

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मा0 नेता विरोधी दल नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने कही भेजा होगा।

नोट :- †दिनांक 13 फरवरी, 2004 की कार्यवाही से।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

भविष्य में कहीं भेजने की योजना तो नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम चाहेंगे कि वह भविष्य में दिल्ली जायें।

अध्यक्ष महोदय, हम इंतजार कर रहे थे नेता विरोधी दल का। क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था और संसदीय प्रणाली में नेता विरोधी दल का भाषण महत्वपूर्ण माना जाता है और वह सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से एक भाषण होता है। खैर वह अनुपस्थित हे लेकिन आपका निर्देश हुआ है, हम अपना बयान, उत्तर देना शुरु करते है। माननीय नेता विरोधी दल का और सभी माननीय नेताओं तथा जितने भी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने प्रदेश की जनता की तरक्की करने वाले बजट में हिस्सा लिया हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद भी देते है और बहुत महत्वपूर्ण कुछ सुझाव भी दिये है उनका हम आदर सम्मान करते है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह के वातावरण की आवश्यकता पूरे देश के लिए है लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। देश की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश ही देश के विकास में भूमिका निभा सकता है। इसलिए इस पूरे सदन में विपक्ष और सत्तापक्ष को जनहित में उत्तर प्रदेश के विकास में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यह एक अच्छी शुरुआत है। इसी तरह का वातावरण विधान सभा और विधान परिषद् में प्रारम्भ हुआ है। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका माननीय अध्यक्ष जी की भी रही है हम आपको भी धन्यवाद देते है। इसी तरीके से सभी माननीय नेता तथा सभी माननीय सदस्य ऐसा वातावरण बनाने के पक्षधर हैं। अभी हमने विपक्ष के माननीय सदस्यों से बातचीत की वह भी ऐसा ही सोचते है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि नेता बसपा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आप प्रशिक्षित कर दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

गुस्ताखी माफ, जो कुछ प्रशिक्षण मैं आपसे लेकर आया था, जो भी आपने सिखाया था वह ही मैं व्यवहारिक रूप से व्यवहार कर रहा हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, नेता बसपा ने कहा कि उन्होंने नेता सदन से सब कुछ सीखा है अगर कुछ बात छूटी रह गयी हो तो वह जाकर फिर से सीख लें।

(हंसी)

श्री मुलायम सिंह यादव-

.....यह सही है कि प्रारम्भिक प्रशिक्षण तो हमने दिया है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मगर एक आध तो ऐसा निकल ही जाता है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह बहुत ही मृदुभाषी और अनुशासित थे। जब अब यह अपनी बात रखते है तो कोई सुन भी नहीं पाता है। इनको तो लाउडस्पीकर की भी जरूरत नही है। पता नहीं इनके दिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि चीखने से दिल पर असर होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस गूंगी बहरी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चीखना चिल्लाना तो पड़ता ही है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब तो यह हमारे बस के बाहर हो गये है। अब तो इन्हें केवल आप ही प्रशिक्षण दे सकते है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने सबसे पहले चिन्ता व्यक्त की है आनपारा 'सी' को लेकर। आपने कहा है कि जो जापानी बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लेने का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको सरकार ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आनपारा 'सी' को दे देंगे इससे उनका एकाधिकार हो जायेगा। उनका यह कहना गलत है कि जापान पैसा नहीं दे रहा है। वे नेता विरोधी दल है लेकिन हो सकता है कि उनको पूरी जानकारी न मिली हो वरना इतनी महत्वपूर्ण बात पर ऐसी बात न करते। हम यह कहना चाहते है कि जो हमें ऋण लेना था उसमें 808 करोड़ सरकार को ऋण लेना था और 1.3 प्रतिशत का ब्याज था। लेकिन जो जापानी बैंक है, जो बैंक 8 प्रतिशत पर ऋण देने को तैयार थी और यह लेते तो ऋण हमें लेना पड़ता 1454 करोड़ रुपया और बिजली देना शुरु करते 2011 में। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दौड़ है, विकास का वातावरण बना था उससे 2011 तक इंतजार करते यह ठीक नहीं था। जो दौड़ है उसमें अगर हम आगे नहीं निकल सकते हे तो कम से कम बराबरी में पहुचंने का प्रयास तो करेंगे। एक राजनैतिक इच्छा शक्ति लेने से ऐसे निजी क्षेत्र में आनपारा 'सी' को, ओपेन टेन्डर पर जो हमें सुविधा देंगे हम उसको दे देंगे। उसमें सरकार का एक रूपया भी नहीं लगना चाहिए। पहले ही ऋण इतना ज्यादा हमारे ऊपर लदा है। उसी कम्पनी को देंगे जो सरकार का एक रुपया भी नहीं लेगी और तीन साल बात जो निजी क्षेत्र लेगा उसको यह सम्पत्ति और जो सरकार की तरफ से लगने वाला ऋण 03 साल बाद आपकी सम्पत्ति हो जायेगी उत्तर प्रदेश की सरकारी सम्पत्ति हो जायेगी, बताइये इससे ज्यादा और सुविधा हम क्या दे सकते हैं? बिना पैसा लगाये सन् 2008 तक हम उत्तर प्रदेश को बिजली देंगे। इस शर्त के साथ निजी क्षेत्र में देने के लिए हम लोगों ने फैसला किया है। दूसरी बात आपने कहा कि मोनोपोली हो जायेगी, इसलिए नेता विरोधी दल से मैं कहना चाहूँगा कि यह देश की कम्पनियां हैं, वह विदेशी कम्पनियां नहीं है क्योंकि आपको पता है कि एनरान कम्पनी भी अमेरिका की है और बिजली का जिस तरह से उन्होंने प्लाण्ट लिया था और जिस तरह से छोड़ कर चले गये और वहां के मुख्य मंत्री ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और अमेरिका की कम्पनी पर अंकुश लगाने की कोशिश की तो अध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा हिन्दुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकेता, एक मामूली राजदूत अमेरिका में उसकी हैसियत क्या है? आपके यहां के वरिष्ठ आई0ए0एस0 के बराबर। वहां की व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली की है वहां कैबिनेट मंत्री स्तर के पद को भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण पद नहीं माना जाता है जो हिन्दुस्तान की कैबिनेट का माना जाता है वहां के राजदूत की यह हैसियत कि वह यह कहें कि अगर महाराष्ट्र सरकार एनरान कम्पनी का विरोध करेगी तो सारी की सारी सहायता जो विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है वह महाराष्ट्र को बन्द की जाती है, तो यह है मोनोपोली और दूसरे यह भी आया कि कोई निवेश नहीं करेंगे हिन्दुस्तान के अन्दर, यह कौन धमकी दे रहा है। एक मामूली सा राजदूत और महाराष्ट्र जैसे विशाल प्रदेश के मुख्य मंत्री को, यह मोनोपोली है। दूसरे आये रिचर्ड एफ कैलेस्पी और रिचर्ड ब्लैक मेन उन्होंने चेतावनी दे डाली। अध्यक्ष महोदय हमने गम्भीरता से इसका विरोध किया था और मुझे इस वक्त आंकड़े याद नहीं है, वही कम्पनी जो अमेरिका की है पूरे के पूरे हमारे महाराष्ट्र सरकार को बेईमान कह करके धन-दौलत लूट करके वहां से चले गए और कम्पनी छोड़ गए, यह है मोनोपोली। हम हिन्दुस्तान को इन कम्पनियों को देने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपना घोषण-पत्र आज ही आपको दे देंगे। विनिवेश के पक्ष में हमारी सरकार है लेकिन हम हिन्दुस्तान के पूँजीपतियों को निजी क्षेत्र में लायेंगे, उन पर हमें

विश्वास है वह इस तरह से हमारी पूरी सम्पत्ति लेकर नहीं भाग सकता है, उस पर हमारा अंकुश है और भी इतने सारे रास्ते हैं जो आपको स्वयं मालूम है। यह उत्तर प्रदेश के विकास की बात है एकाधिकार की बात नहीं है। हम दोहराना नहीं चाहते हैं, नेता विरोधी दल आपकी ही सरकार की नीति है, उस नीति पर हम पूरी तरह से चलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारी नीति है उस नीति को केन्द्र सरकार के वरिष्ठ आई0ए0एस0 अधिकारियों ने स्वागत किया है और हमने जब शपथ ली थी तो कहा था कि उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनायेंगे और उत्तर प्रदेश जिस नीति पर चलेगा उस नीति पर हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेश भी चलेंगे। उत्तर प्रदेश की जो बिजली नीति बनाई जा रही है और जो बनी है वह केन्द्र सरकार की हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को भी स्वीकार करनी पड़ेगी। यह सही है कि आप बिजली मंत्री रहे और आपने हमें सावधान किया और आपने जिन बातों के लिए हमें सावधान किया है, हम उस बात के लिए सावधान हैं। उनका एकाधिकार नहीं हो सकेगा।

यह निजी क्षेत्र की जो हिन्दुस्तान की कम्पनियां हैं वह विदेशी कम्पनी का मुकाबला कर रही हैं आपको उनकी सराहना करनी चाहिए और इन सारे उद्योगपतियों को बधाई देनी चाहिए। आपको तो इस बात का भी स्वागत करना चाहिए कि यह सरकार विदेशी कम्पनियों की मोनोपोली को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप जानते हैं कि इन विदेशी कम्पनियों के हमारे देश में आने पर कितने गम्भीर परिणाम होंगे। हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारे रहन-सहन पर इनका कितना बड़ा हमला हो रहा है। आप तो स्वदेशी जागरण मंच चलाने वाले थे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि विदेशी कम्पनियों की मोनोपोली की जो आपने बात रखी है तो उसमें हिन्दुस्तान के निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के माध्यम से हमारी ये कम्पनियॉं विदेशी कम्पनियों का मुकाबला कर रही हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, अभी तक इस बात का उत्तर नहीं है कि जो बिजली चाहे निजी क्षेत्र में हो, चाहे विदेशी ऋण से कोई पावर प्रोजेक्ट बने, तो उसमें किसका होल्ड होगा। यह जनरेट करके किसको बेचेंगे? अभी तक निजी क्षेत्र जो फेल हुआ है उसका मुख्य कारण यह है सरकार के हाथ में डिस्ट्रिब्यूशन है, ट्रान्समीशन है, वह जनरेट करके बेचते हैं सरकार को और अगर वह सरकार उसे खरीदने की स्थिति में नहीं होती है तो नतीजा वही होता है, जो इनरान वालों के साथ हुआ। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपनी ऊर्जानीति को फिर से देखिए। अगर एक आदमी जो बिजली पैदा करता है, वह ट्रान्समिशन करेगा वहीं डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तब वह जाकर सफल हो सकेगा।

मान्यवर, मैंने आपकी नीति का विरोध नहीं किया है। पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं किया। इससे एक हाथ में आपके सारे सोर्श चले जायेंगे। दूसरी ओर आप विज्ञापन भी निकाल रहे हैं कि दो रुपये यूनिट बिजली हम देंगे। आपके यहां एक विद्युत नियामक बोर्ड बना हुआ है जो बिजली के मूल्य तय करता हैं। तो उन्होंने जो रेट तय किया है अगर वह दो रुपये मैं नहीं दे पायेंगे तो स्थिति क्या होगी? मान्यवर, मैंने उस दिन यह बात कही थी कि जरूर लगवायें क्योंकि यह आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल रहा है वह कम से कम सरकार के हाथ में तो रहना चाहिए। वह बनाकर दें आप उसका संचालन करें, वितरण करें। भले ही डिस्ट्रिब्यूशन के लेवल पर आप किसी को भी दें यह आपका अधिकार है। लेकिन सबका सब अगर निजी हाथों में होगा तो आपका अधिकार उसमें नहीं है। अगर किसी समय उन्होंने हठ ठान ली तो बिजली का संकट इतना गम्भीर प्रदेश में पैदा होगा कि आप उसे संभाल नहीं पायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हमारी नीतियों को आपने स्वीकार किया जो आशंकाएं माननीय नेता विरोधी दल ने व्यक्त की हैं उसे हम दूर करेंगे। आपने मोनोपली के बारे में कहा वह उसमें नहीं चलने वाला है। मैं यहाँ पर यह बात कह देना चाहता हूँ। मोनोपली इनरान कम्पनी ने की जो उन्होंने सात रूपये आठ रूपये रेट रखा जबकि हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं भी सात रुपये रेट नहीं था तो उससे हम सावधान हैं। हमारी शर्तें हैं। जो आशंका है आपकी और अन्य माननीय सदस्यों की आखिर ये बिजली कहाँ देंगे। इसके लिए शर्त है हमारी कि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश को मिलेगी। अगर बचेगी तो भले ही आप कहीं और उसे दे दें। जो कीमत वाली बात है हमने दो रुपये वाली बात कही है उन्होंने वायदा भी लिया है, एग्रीमेन्ट भी हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि कल ही शाम को एग्रीमेन्ट हो चुका है। यह कोई घोषणा नहीं है। मैं तो आपको निमंत्रण देता हूँ आने का। बात आयी कि यह प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा तो यह गाजियाबाद जनपद में दादरी के पास जहाँ एन0टी0पी0सी0 का है, वहाँ पर लगेगा और 22 तारीख को साढ़े दस बजे इसका भूमि पूजन होगा यह कोई कोरी घोषणा नहीं है। इतनी तेजी से इसमें काम किया जाना है कि हम पाँच साल से पहले देने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

यह इसलिए कह रहे हैं कि कहीं इनका फील गुड फैक्टर फेल न हो जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव-

दूसरी बात आपका सुझाव महत्वपूर्ण है हम मानते हैं इसलिए सारे एग्रीमेन्ट पर विस्तार से जब बहस होगी तब आयेगा। अभी तो बजट पेश हो रहा है। लोकसभा के चुनाव के तत्काल बाद विधान सभा फिर बुलायी जायेगी आपके जो सुझाव महत्वपूर्ण होंगे वह मैं मान लूंगा। अभी जो सुझाव देंगे हम उस पर विचार कर लेंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से मैंने शुरु में ही कह दिया कि आज उत्तर प्रदेश के विकास का सवाल है। दूसरी बात है आप जापान पर भरोसा क्यों करते हैं जब हमारा एटमबम का विस्फोट हुआ था राजस्थान में पोखरन में। हांलाकि इस बात का मुझे फक्र है। अक्टूबर, 1997 में मैंने कहा था और उस व्यक्ति का जोकि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कई बार मेरे पास आये कि किसी तरह से स्वीकार कीजिए। आपने बड़ी मेहनत की है एटमबम में इसलिए आपके जमाने में ही हो जाय इसका प्रयोग हो जाय दिखा दूँ पूरी दुनिया को। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की क्या राय थी और हमारी क्या राय थी वह अलग बात है लेकिन तब जापान कहाँ था? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेजी से राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं पता नहीं कब कौन सा देश किसके गुट में चला जाय। ऐसी स्थितियों में विदेशी कम्पनियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सीमा को लेकर विवाद हल हो रहा है। हमारी पार्टी का यही मत था और हमने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे को नकली बँटवारा माना था। जो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश है वह अच्छा काम है। अगर किसी विदेश नीति को लेकर मतभेद होगा तो जापान कहाँ खड़ा होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पोखरन में जब विस्फोट हुआ तो जापान कहाँ खड़ा हुआ था उसने मदद करना बन्द कर दिया था उसके भरोसे में चलायेंगे, हमारी विदेश नीति की परिस्थिति होती हैं। विदेश नीति का मतलब है हमारे देश का हित। हमारे देश के नीति के विरोध में नीति जापान बनाना शुरु करेगा तो स्थितियां बदल जायेंगी, यह सारी स्थितियां हैं अगर देश हित के प्रतिकूल कोई नीति होगी तो हमारे संबंध बिगड़ जायेंगे।

इसको सोचकर हमने एक नीति आपके सामने रखी है जिसके चलते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप सहयोग करिये हमारी सरकार को चलवाइये तीन साल अभी और पांच साल बाद में तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का हिन्दुस्तान के अन्दर कितना सम्मान होगा। हमारा प्रदेश एक आदर्श प्रदेश होगा।

कांग्रेस पार्टी के तो हम सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बजट का सारे सदन के अन्दर और सदन के बाहर में समर्थन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको बधाई देता हूँ। लेकिन माननीय नेता विरोधीदल आपने मुझे बधाई अभी नहीं दी।

श्री हुकुम सिंह-

कितनी बधाई लेंगे? आपको शुरु से बधाई दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

बजट की लेकिन बधाई नहीं दी है, दे दीजिए खड़े होकर।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैंने तो बच्चन जी के शब्दों में आपके बजट को बधाई दी जैसा उन्होंने पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा था। मैंने कहा था कि जिस प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वह स्वागतयोग्य है 3400 मेगावाट प्रदेश को बिजली देने जा रहे हैं तो मेरा कहना यह है कि अगर एग्रीमेन्ट हुआ जब भी हो जायेगा यह तुरन्त बनाना शुरु कर देगा उसको न देकर आप कहते हैं कि आनपारा में टाइम लगेगा क्लीयरेंस लेने में दो साल का समय लगेगा उनका तो सारा प्रोजेक्ट क्लीयरेंस हैं। बी और सी के बीच में कामन है वह सारा एक कम्पनी को देना ही होता है और आपको ही संचालन करना होता है। अगर इन सब चीज़ों को उचित नहीं समझते तो फिर आप जानें। हमारा काम सुझाव देना हे, मैंने बता दिया। मैं प्राइवेटाइजेशन का न विरोधी हूँ और जो आप कर रहे है, न उसकी आलोचना कर रहा हूँ। कुछ चीजों को आप अनुभव के आधार पर सीखें, उसको मानें। अन्यथा जो उसका परिणाम होगा, उसको सारा उत्तर प्रदेश भुगतेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल हर बात को गंभीरता से लेंगे तो गड़बड़ हो जायेगा, यह तो मैं उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बातें कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता विरोधी दल कहते हैं यह बजट अर्थहीन हे, दिशाहीन है और इसमें न सुर है न ताल हे, तो क्या है? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनायेंगे। तो हम यह कहना चाहते हैं कि फिर यह कैसे दिशाहीन है, अर्थहीन है और सुर और ताल नहीं है। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के लिये बीमे की सुविधा इस बजट में दी गयी है और उनके बारे में सोचा गया है। पहली बार किसानों के लिये बीमा योजना शुरु की गयी है। यह पहली सरकार है जिसने किसानों की दिक्कत को समझा। किसान की अगर किसी दुर्घटना में मौत होगी, चाहे सॉप के काटने से, डूबने से, बिच्छू के काटने से, तो उसके परिजनों को उसी दिन एक लाख रुपया दे दिया जायेगा। आप तो जानते हैं कि खेतों में पानी भरा होता है, उसी में छेद होता है और सॉप कैसे काटता है। हुकुम सिंह जी को तो पता होगा, आप इन्हें समझाइये, इनको पता नहीं है। अध्यक्ष जी, यह सुर है कि ताल है, बैंड के बीच में एक भोंपू बजता है, उसका भी अपना महत्व होता है। हम बोल भी सकते है लेकिन यह सदन है और हम इसकी मर्यादा रखेंगे। गॉव के लड़के इसको अपनी भाषा में भोंपू कहते हैं। भोंपू के बिना बैन्ड पूरा नहीं है, कुछ लोग कहें तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें क्या दिशाहीन है, अर्थहीन है, क्या सुर और ताल नहीं है? किसान को यह कोई मामूली सुविधा नहीं दी गयी है। अगर किसी भी प्रकार के औजार से, ट्रैक्टर ट्राली से उसकी मौत हो जाती है तो उसे एक लाख रुपया मिलेगा। आप तो जानते हैं कि किसान किन परिस्थितियों में काम करता है।

श्री लाल जी टण्डन-

इसका प्रीमियम कौन देगा? यह स्पष्ट करना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव-

सरकार ऐसी व्यवस्था बनायेगी और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वह बता दें वर्ना सरकार देगी।

श्री हुकुम सिंह-

यह बहुत अच्छी बात है। तो हम यह माने कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ढाई करोड़ किसान है, सबको हम आज से बीमित मानें। सबका बीमा आप जमा करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिस प्रकार से दंगा वगैरह में पीड़ितों को पैसा दिया जाता है, इससे प्रीमियम से क्या मतलब?

श्री हुकुम सिंह-

आप इसमें मुआवजा नहीं दे रहे है, आप तो इसमें पालिसी बना रहे है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। यह तो एक तरह का अनुदान है, अभी मुझे वहां भी भाषण देना है, अगर इस तरह से चलेगा तो पूरा नहीं हो पायेगा।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, एक छोटा सा सवाल है कि कोई भी बीमा होता है उसमें बीमा धारक को प्रीमियम देना पड़ता है तो इसमें प्रीमियम कौन देगा?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह बीमा नहीं है यह तो एक अनुदान के रुप में है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसान 9 लाख रुपये जमा करता है, कोई 5 लाख रुपये जमा करता है। 9 लाख रुपये वाले का 1 लाख रुपया हो सकता है और 5 लाख रुपये वाले का 50 हजार रुपया हो सकता है, ऐसा नहीं है। यह योजना अभी हमने बनायी है, आप अपने सुझाव भी इसमें दे सकते है। हम अनुदान के रुप में बाकायदा किसानों की मदद करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं व्यवधान नहीं करुंगा केवल इतना कहूंगा कि अभी आपने कहा कि सारे किसानों का बीमा होगा। किसी को चोट आयेगी, किसी को सांप काट लेगा तो उसको एक लाख रुपया दिया जायेगा। क्या प्रदेश में जितने खातेदार है सभी का बीमा करके प्रीमियम की धनराशि की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ले रही है? और अगर ले रही है तो क्या उसका प्राविधान बजट में कर दिया गया है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अनुदान सरकार से दिया जायेगा और बाकी बीमा कम्पनी देगी। यदि हुकुम सिंह जी को समझाने में इतना समय लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इस बजट में रिक्शा चालकों को मदद दी गयी है। वह लोग अभी अपने मालिकों से रिक्शे ले करके चलाते है, जिसका पैसा उन्हें देना ही पड़ता है। कभी-कभी रिक्शे में सवारियां नहीं मिलती है, तो मालिकों को पैसे का भुगतान अपनी जेब से करना पड़ता है।

तो फिर अपनी जेब से भरना पड़ता है, यह दुर्दशा है रिक्शा वालों की। हमारी कोशिश है कि उनका निजी रिक्शा हो जाये। इसके लिए सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। इसी तरह से जो गरीब है पढ़े-लिखे हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं उनको 4 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जायेगा ताकि वह स्वयं रिक्शा मालिक बनें। हमारी कोशिश 10 हजार रिक्शा चालकों को लाभ पहुंचाने की है। तो फिर यह बजट कैसे दिशाहीन है? हमारी कोशिश है कि धीरे-धीरे रिक्शा-चालक खुद मालिक बन जायें। माननीय नेता विरोधी दल आप बता दो कि कैसे यह बजट अर्थहीन और दिशाहीन है? हम उस अन्तिम व्यक्ति की मदद करना चाहते है जो कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है। हमने अपनी पिछली सरकार में वह दिन देखें हैं कि एक गरीब रिक्शा चालक रिक्शे पर बैठा सो रहा था उसके ऊपर मैंने कम्बल डाला। 11-00 बजे के बाद मैं इसलिए गया था कि पता चलेगा कि बिना वस्त्र के कौन-कौन सो रहा है। स्टेशन पर कड़ाके की ठण्डक में जो गन्दगी थी उसी को किसी तरह से वह जला रहा था। मैंने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक गरीब आदमी बिना कपड़ों के सो रहा था। महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का सपना है कि भारत सन् 2020 तक समृद्धशाली और ताकतवर बनेगा। तो मान्यवर, इनको ऊपर उठाये बिना कैसे बन सकेगा? आप मन से बतायें कि क्या इस बजट में सुर व ताल नहीं है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षको के बारे में घोषणा की। जो 4-6 महीने में या 30 जून तक रिटायर होने वाले थे आज उनमें पढ़ाने का कितना उत्साह आया है। शिक्षकों को महत्व दिया जाना चाहिए इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान शिक्षकों का है और देश की रक्षा करने में सबसे ज्यादा योगदान फौज का है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चर्चिल के नेतृत्व में हुआ था तो यह कहा गया कि इग्लैण्ड बर्बाद हो जायेगा। लेकिन चर्चिल ने कहा कि हमें कोई चिन्ता नहीं केवल इस देश के बच्चे और शिक्षक को बचा लिया जाये। देश के निर्माण और रचना में सबसे ज्यादा योगदान शिक्षकों का है और देश की रक्षा करने में हमारी फौज का। इसलिए इसको दूसरी दृष्टि से न देखें। पहले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल थी तो शिक्षकों की 60 वर्ष थी अब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी तो शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु दो साल बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गयी है। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। पहले औसत उम्र क्या थी? अब हिन्दुस्तान में औसत उम्र क्या है? 62 साल का कोई व्यक्ति क्या बूढ़ा होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी 78-79 साल के है, अभी भी दहाड़ रहे है। क्या उनमें बुढ़ापा है? अध्यक्ष महोदय, बुढ़ापा उम्र से नहीं होता है, बुढ़ापा मन से होता है। माननीय नेता विरोधी दल आपको देखने गये थे, अभी आपको बुढ़ापा नहीं आया है। लेकिन आज आपको मुस्कराते हुये देखकर लग रहा है कि बुढ़ापा मन से आता है, उम्र से नहीं। जो महसूस करता है बुढ़ापा आ गया वह बूढ़ा होता है। हमारे देश के प्रधान मंत्री 86 साल के हो सकते हैं। मोरारजी भाई 86 साल की उम्र में गृह मंत्री बन सकते हैं तो 62 साल का शिक्षक शिक्षण कार्य कैसे नहीं कर सकता है। कुछ लोगों की मानसिकता थी कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र संघ का अध्यक्ष 18 साल का नहीं हो सकता, यह हमारी सोच नहीं है, यह हमारी सरकार का चिन्तन नहीं। इसलिए हर वर्ग के लोगों के लिए हमने कल्पना किया। हमारी सरकार हर वर्ग की है। यह सरकार केवल समाजवादी पार्टी की नहीं है, किसी धर्म या जाति विशेष की नहीं है, यह सरकार किसानों, शिक्षकों, रिक्शावालों और आपकी भी है। आपने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को सुविधा नहीं दी जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जो शिक्षित बेरोजगार है बी0एड0 और एल0टी. के जो अभ्यर्थी थे जो बेरोजगार थे उनके लिए बहुत बड़ी चिन्ता थी। वह हर एक सभा में बैनर लगाते थे। चाहे भाजपा चाहे, कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी की सभा हो, सभी जगह बैनर लगाते थे, हम 46, 189 बी0एड0 और एल0टी0 योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की और

67,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्यिॉं करने जा रहे हैं। इस तरह से लगभग 1 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना है। जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें सुधार किया जायेगा जो अंग्रेजी स्कूलों की मंहगी शिक्षा है उस को किसान, गरीबों, मजदूर के बच्चे नहीं हासिल कर सकते हैं। इसलिए सरकार की दृष्टि है कि हम अपनी शिक्षा पर ज्यादा जोर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) वित्तीय स्थिति जर्जर होते हुए भी आप देखेंगे कि हम बहुत से काम करेंगे जिसके लिये आप हमें धन्यवाद देंगे। बजट पास होने के बाद पूरे प्रदेश के हर शहर में विकास कार्य होंगे कोई शहर वंचित नहीं होगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहॉं पर विकास तेजी से चालू नहीं हो जाये। आप आगरा जायेंगे तो देखेंगे कि आगरे में 2 महीने के अन्दर कितना काम हुआ है। आगरा चमक रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है। हमने वहॉं के नागरिकों से कहा कि खुलकर बोलो, मुख्य-मुख्य सड़कों की ही सफाई तो नहीं हुई है, वहॉं के नागरिकों ने जिसमें सामान्य नागरिक थे, राजनीतिज्ञ थे, अन्य दलों के लोग थे, सब ने कहा कि गलियों के अन्दर भी सफाई है। आगरे में ताजमहल है जो दुनिया का एक आश्चर्य है। इसी तरह से आपका गोमतीनगर है, इन्दिरानगर है अच्छे-अच्छे नगर बने हैं। लेकिन जो लखनऊ की गलियॉं हैं वहॉं अभी विकास नहीं पहुँच पाया है। वहॉं बहुत अधिक काम रह गया है। आप देखें कि टाट लगे हैं और गन्दगी पर मक्खियॉं भिन-भिना रही हैं।

श्री लालजी टण्डन-

आपने लखनऊ की गलियॉं नहीं देखी हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, प्रदूषण की यदि कोई जड़ है तो गरीबी है। डीजल से प्रदूषण नहीं है, धुए से प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण की अगर कोई वजह है तो गरीबी है। इसीलिए हमने 6 लाख शौचालयों को बनवाने का लक्ष्य रखा है। तीन साल के अन्दर पूरे प्रदेश के हर घर में शौचालय का इन्तजाम करेंगे। मान्यवर, गॉंव में छोटे-छोटे बच्चे, बहनें हाथ में लोटा लेकर जहॉं जगह मिलती है, सड़क के किनारे बैठ जाती हैं तो सबसे पहले हमको गन्दगी जो प्रदूषण की जड़ है हमें उसको दूर करना होगा। गन्दगी दूर किये बगैर प्रदूषण हटाना सम्भव नहीं हो सकता है। अभी तक सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में थी जिनकी बहू बेटियॉं लोटा लेकर सड़क पर नहीं जाती थी। हम लोग सुन्दर चेहरे वाले जरुर नहीं हैं.....

श्री हुकुम सिंह-

आपके यहॉं सुन्दर लोग तो है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वह जमाना निकल गया जब आप हमारे साथ बैठते थे और कानाफूसी किया करते थे। रामसरन दास जी भी बैठते थे वह दिन याद करिए। वह सुन्दरता हम लोगों में नहीं है। हम गरीबों की ओर ध्यान दे रहे हैं जिनके चेहरे सुन्दर नहीं है। इस बजट में दिशा भी है, अर्थ भी है, सुर भी है, और ताल भी है। ताल कितनी है सुर कितना है यह आप देखें। हमने 40 हजार सहायक अध्यापकों और 17 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की है। बालिका शिक्षा व कन्या दान के रुप में 200 करोड़ का प्राविधान किया है इसमें ऊँच नीच का भेद भाव नहीं किया है गरीब लड़कियॉं चाहें किसी की बेटी हों चाहे ऊँची जाति की हों या पिछड़ी जाति की, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी नीति साफ हैं कि महिलाए किसी भी जाति की हों, धर्म की हों, महिलाएं पिछड़ी हैं। चाहे कितने सम्पन्न परिवार की हों, चाहें रानी महरानी कहलाने वाली हों, कहीं न कहीं उन पर दबाव है। आप कहेंगे कि लोकसभा में आपने बवाल क्यों खड़ा किया? हमने इसलिए खड़ा किया कि आप

सबको बचाने के लिए एक हथियार निकाला। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इलाहाबाद और बनारस समाजवादियों का गढ़ रहा है हिन्दुस्तान में महिलाओं को विशेष अवसर देने की नीति किसने चलाई है ऐसी नीति समाजवादी पार्टी ने चलाई है। जो 100 में प्रतिशत 60 का हमारा नारा था उसमें महिलाएं भी शामिल थीं। चाहें वह किसी जाति या धर्म की हो। इस वर्ष कक्षा 12 पास करने पर बालिका को 20 हजार रुपया दिया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। जहाँ तक व्यापारियों की बात है आप व्यापारियों की बात बहुत करते हैं लेकिन व्यापारियों को भला बुरा भी बहुत कहते थे। मुझे याद है कि आपने एक बार क्या कहा था व्यापारियों के बारे में। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। अभी थोड़े बहुत व्यापारी आपकी तरफ चले जाते थे लेकिन यह संख्या घट रही है। बजट के बाद और घट जाएगी। अध्यक्ष महोदय मैं कह सकता हूँ इतनी व्यापारियों को सुविधा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। हमारी सरकार जब 1990 में थी तब चुंगी समाप्त की गई थी। पुन: 1997 में सरकार बनी और आज सरकार बनने पर जो व्यापारियों को सुविधा दी गई है, वह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं दी गई।

इस पर कहा गया कि हमने इसलिए किया कि हमको वोट मिलेंगे बहुत सारे। हम दोहराना नहीं चाहते कि किस तरीके से हमको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। जो कही के भी कुछ नहीं थे, हम आज कहना चाहते है कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उनको तीन-तीन बार हमने अपने साथियों के विरोध के बाद भी उन लोगों को हमने टिकट दिया है। हमारे काम हमारे रहेंगे। हम हमेशा बुराई का बदला भलाई से देंगे, यह हमारा सिद्धान्त है। हमने जीवन में फैसला किया है कि हम धोखा खा लेंगे लेकिन किसी को धोखा नहीं देंगे। हम तो थे नहीं। हम तो बदायूं में थे। आज आप उनका समर्थन करेंगे? माननीय हुकुम सिंह जी को पता है, उनको मालूम है, क्या बोलते थे? उनके बारे में क्या कहा जाता था? क्या तस्वीर पेश की गयी थी, आज वे हैं नहीं। माननीय वीर बहादुर सिंह जी इसी कुर्सी पर बैठते थे। उनके बारे में क्या कहा गया था। जब वे बीमार थे तो हम उनको लेकर गये थे। हम थे नहीं, हम होते तो जवाब देते। उन लोगों का आप समर्थन करेंगे? क्या हम वोट की खातिर कर रहे है? यह लोग तो करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी भाग रही है। कभी आपके यहाँ तो कभी कांग्रेस पार्टी के यहां और अगर हम छूट दे दें तो सबसे पहले हमारे यहां आयेंगे। यह सही है कि सबसे पहले यह हमारे यहां आयेंगे। जिन्होंने देश का प्रदेश का अपमान किया है, नौकरशाही से लेकर राजनीति को कुछ नहीं समझा उन लोगों के साथ क्या हम सत्ता में आने के लिए समझौता करेंगे? हमको कितनी देर लगे सत्ता में आने में मगर हम इस तरह के विचार वालों के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। साम्प्रदायिकता, जातीयता की राजनीति करने वाली शक्तियों के साथ हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि भले ही हमको सत्ता में आने में देर लगे लेकिन इस तरह के लोगों के साथ हम समझौता नहीं कर सकते है। हम अकेले खड़े रह गये हैं। 1999 के चुनाव में हम जीते है। हम अकेले खड़े रह गये थे। हमको भी हरा दिया था क्या कहते है, आपके एग्जिट पोल जाने एग्जिट पोल क्या है। इनकी तो पोल ही निकल गई। इसलिये हम दोहराते है। हमने यह उदाहरण दिया था कि हमने आपने 3/4 नेताओं की मदद की है। पुराने दिनों में मदद की है इस बात को याद रखना चाहिए। यह बात सही है कि यह चारों हमको दिल से याद करते है। पता नहीं कौन सा अनुशासन तोड़ने का डर है। हम तो कहीं भी रहें कोई डर नहीं। आपको डर है, आपके तो प्रतिनिधि बैठे हैं फिर भी आपको डर लगता है कि कोई शिकायत न करे। हम तो दिल्ली में रहते थे हमको भी डर लगता रहता था। जब तक चौधरी साहब रहे हमको डर नहीं लगता था। हमने देखा है कि दिन रात काम करते थे। 17-17 दिन घर नहीं जाते थे। ढाबे में ही सो जाते थे। पार्टी के लोग उनसे मिलने गये तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एयर कन्डीशन में रहते हो, मुलायम सिंह धूप में घूमते है। उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम आपकी शिकायत कभी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हाई कमान क्या होता है।

इसलिये जो कानून बना है, हमने मजबूरी में उस कानून को स्वीकार किया है हम जानते है कि इस कानून के माध्यम से अध्यक्ष और पार्टी की तानाशाही पर रोक लगेगी। इसलिये जो संशोधन हुआ है कि जो दूसरा दल बदलेगा। उसकी सदस्यता चली जाएगी अब कोई भी आपके माध्यम से निकलवाकर बाहर कर देगा। इतनी पावर है आपको, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसमें कुछ नहीं कर सकता है इतनी पावर है आपको। लेकिन हम इसके पक्षधर नहीं थे। 1977 में मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी इस कानून को लाये थे उस समय मदन लाल जी ने इसका विरोध किया था। कानून पास नहीं होने दिया था। आपका जो यह कानून बना है इसका मैं पक्षधर नहीं था अब तानाशाही पार्टी की चलेगी। आपकी सरकार बनते ही यह कानून बन गया। समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जिसका एक भी विधायक नहीं टूटा, चाहे जितने जुल्म हुए विधायक उतने ही बढ़ते गये।

(मेजें थपथपाई)

साढ़े आठ साल हमने झेला है। क्या-क्या नहीं झेला है लेकिन हमारी पार्टी का ही दम है कि चार एम0पी0 लेकर हम चले थे लेकिन आज इतने सांसद हैं कि विपक्ष में अगर कोई दिखाई देता है तो समाजवादी पार्टी के सांसद ही दिखाई देते हैं।

(मेजें थपथपाई)

केवल इसलिए कि हमने इस तरह की छवि बनाने में जोर-शोर से प्रयास किया है हमारी जो नीतियां है यदि वह सही नीतियां है तो हमें जन समर्थन मिलेगा और यह हमने दो जनों से सीखा है महात्मा गाँधी जी और चौधरी चरण सिंह जी से। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधान मंत्री तक पहुँचे है। यह भी सही है जब चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी थी वह रो पड़े थे। उस समय सी0बी0 गुप्ता जी, यही बैठे थे, जहां हम बैठे हैं जब चौधरी चरण सिंह जी बोल रहे थे उस समय सी0बी0 गुप्ता जी ने एक भी निगाह इधर-उधर नहीं देखा, उनकी निगाह चौधरी साहब की ही ओर थी और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ वह आसन की तरफ गए और कहा अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुमत नही है इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। अगर वह चाहते तो रुक जाते अगर रुक जाते तो बहुमत हो जाता। राजनीति में, छात्र जीवन में था तो राजनीति करने का मतलब झूठ, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार अधिकारियों से वसूली यह सब चीजें राजनीति में नही थी। यह छात्र जीवन में कभी नही सोच सकते थे। तब नीतियों की बहस होती थी। तब एक-एक को खड़ा करके बुलवाया जाता था चाहे जैसा बोलिए बोलना है। अब मुश्किल हो रही है अध्यक्ष महोदय अब वर्तमान राजनीति में काम करना मुश्किल हो रहा है। पहले का समय था जब छांट-छांटकर देखा जाता था कि कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है लेकिन आज की राजनीति में छांटते है ईमानदार कौन है। यह हालत है राजनीति में अब ईमानदार को छांटना पड़ता है यह समाज व्यवस्था बिगड़ी है इसको सुधारने का काम हम लोग कर रहे हैं हमें हर क्षेत्र में समाज व्यवस्था सुधारनी पड़ रही है हो सकता है सुनने की दृष्टि से हम छोटे हों, कम हों लेकिन वैचारिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमसे बड़ी कोई पार्टी नहीं है।

(मेजें थपथपाई गई)

कई मौके आए हैं कांग्रेस पार्टी नाराज चली आ रही है लेकिन फिर भी हमें समर्थन दे रही है। 1999 में एक ऐसा स्टैप उठाया था कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दे सके जो जोखिम था, उस जोखिम को मैंने उठाया था। असल यदि किसी को पता है तो माननीय चन्द्रशेखर जी को पता है। मैं अपने घर पर बैठा था, उन्होंने कहा था कि मैं भी हारना पसन्द करूंगा लेकिन इस तरह समर्थन नहीं दे सकता हूँ। हमारे कांग्रेस के साथी नाराज है और नाराज होना चाहिए। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि इसके बावजूद भी आपने हमें समर्थन दिया।

इन्होंने समर्थन दिया है हमारी नीतियो के पक्ष में, वह इसलिए कि यदि कोई साम्प्रदायिक ताकतों से लड़ सकता है तो वह समाजवादी पार्टी लड सकती है, इसलिए समर्थन दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमने व्यापारियों के लिए भी किया है, व्यापारियों के लिए पंजीकरण के लिए छूट सीमा दो गुना किया जाना, बीमा राशि को दो गुना किया जाना, दलहन व्यापारियों के लिए लाइसेंस का प्रतिबन्ध समाप्त किया जाना और व्यापार कर पंजीकरण बिना जमानत के किया जाना। यह राव हमें टण्डन जी का ही काम करना पड़ रहा है। इसी में आज मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, जो लोहे के व्यापारी हैं और ऐसे सम्बन्धित व्यापारियों के लिए जो फार्म-49 की औपचारिकता थी, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ।

यह आपको पहले ही कर देना चाहिए था। यदि बीजेपी आज किसी के वोट से मजबूत हुई है तो नम्बर एक है, व्यापारी, उसने पैसा भी दिया। हमें तो शहरों में घुसने भी नहीं देते थे लेकिन आज घुस गया हूँ, जीत भले ही न पायें लेकिन घुस गये है। अध्यक्ष जी, इस तरह कारीगरों के लिए हमने काम किया है और हम कोशिश करेंगे आपसे राय लेकर। हमारे यहाँ चिकन का काम हो रहा है, यह सिर्फ काम नहीं हो रहा है, आज हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में चिकन को पसन्द किया जा रहा है। हमने सोचा था कि हमारे सारे लोग लोकसभा में चिकन का कुर्ता पहन कर ही जायेंगे, हमारे गृह मंत्री जी कभी-कभी सूट पहनने लगे हैं लेकिन तब तक आपने हमारी सरकार बनवा दी। हमने सोचा था कि जब सारे लोग चिकन का कुर्ता पहन कर जायेंगे और कोई पूछेगा तो कहेंगे कि गृह मंत्री जी को याद दिलाने के लिए हमने पहना है। जो असली चिकन का काम करने वाले है, जो चिकन की कढ़ाई करते हैं, उनके हाथों में खून आ जाता है, उनके नाखूनों में खून आ जाता है, इससे कभी-कभी उनकी मौत भी हो जाती है। इन कारीगरों के लिए हम अवश्य करेंगे। हमने गृह मंत्री जी से भी मांग की तो उन्होंने कहा कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम गृह मंत्री जी को याद दिलायेंगे। नेता विरोधी दल हमें सुझाव दे सकते है, मिलकर हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक बुनकरों की बात है, उनके बिजली बिलों में 50 प्रतिशत की छूट दिया है। मान्यवर, हमने बुनकरों और कारीगरों सभी के लिए किया है। उद्यमियों, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा फोरम का गठन किया है। अधिवक्ताओं के लिए भी हमने कल्याण निधि में डेढ़ करोड रुपया दिया है क्योंकि उनको न कोई पेंशन मिलती है और न उनको कोई सहारा मिलता है। सभी जानते हैं कि अदालत में वकील कहाँ पर बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत विद्वान वकीलों में से हैं। उत्तर प्रदेश के जो बड़े वकील है उनसे आप आते है। हमारे खिलाफ जब आपको अधिवक्ता बनने के लिए आपको दस्तखत करने के लिए जब आपको बाध्य किया गया तो आपने कहा था कि इस मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हाईकोर्ट में खड़े नही हो सकते। यहाँ इस तरह की परम्पराएं है। हम लोगों ने भी किया है। ऐसे बहुत से लोग है जिनके विरोध में हम नहीं जाते है। उन्हें चुनाव में जिताने के लिए नहीं कि वह जीत जायें और हमारी पार्टी हार जाये। लेकिन हम कभी-कभी ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाते हैं कि जहाँ हमारे संबंध हैं। उस जगह हम नहीं जाते। इसलिए हमने अधिवक्ताओं के लिए जो सर्दी में, गर्मी में या बरसात में पेड़ों के नीचे रहते हैं उनके लिए फैसला किया है कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल के अंदर सारे वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर की अच्छी व्यवस्था हो जाये।

मान्यवर, आप इससे सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आप अधिवक्ताओं के बीच से आये है। इसलिए हमने चैम्बर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया है। आगरा में हमने कहा है कि आगरा आदर्श शहर बनेगा। सारी दुनिया के लोग आते है। आगरा की लखनऊ, कानपुर और अन्य छोटे शहरों को भी हम अच्छा बनायेंगे। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से आगरा को सुन्दर बनाने के लिए हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आगरा पर्यटन का विशेष केन्द्र बन जाये। यह हमने फैसला कर लिया है। इसलिए आगरा जो ताज की वजह से महत्वपूर्ण है ताज महोत्सव के लिए हम श्री नरेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

क्या वहाँ मुजरा भी हो रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मुजरा क्या बुरा है?

श्री नरेश अग्रवाल-

हमने तो टण्डन जी के मुहल्ले की संस्कृति को किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, किसकी रुचि कहाँ हैं इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं उठनी चाहिए। हमने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए भी, उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड का गठन और रामपुर में उर्दू/फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही है। उर्दू भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। हमने रामपुर में मौलाना मुहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की स्थापना का भी निर्णय किया है। हम विस्तार में नही जाना चाहते। जब यह लगा कि मौत के दिन आने वाले हैं तो उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि यह मेरे भाई हैं और हमको गुलाम देश में न दफनाया जाय। उनकी मौत इंग्लैण्ड में हुई। तो ऐसे लोग आजादी की लड़ाई में प्रेरणा देने वाले थे। यह पहली सरकार है जिसने उनकी पहचान बनाने का काम किया है और एक शोध केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

श्री लालजी टण्डन-

उनका कार्य क्षेत्र लखनऊ था और वह फिरंगी महल में रहते थे। मंत्री जी ने आपको गलत सूचना दी है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने पढ़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

जुल्म सारे उनके ऊपर रामपुर में हुए थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

रामपुर क्या जुल्म की नगरी थी?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इन्होंने हमारे जीवन को प्रेरणा दी है। हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। जिस तरह से पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी उसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो मैं यह कह रहा था कि बम्बई में उन्होंने हमारा स्वागत किया था उसे हम भूल नहीं पायेंगे। नौजवानों ने अपना हाथ काट-काटकर हमारे ऊपर सर से अपना खून डाला था और हमारा पूरा शरीर और कपड़े खून से तर हो गये थे। हमारे कुछ मित्र मुसलमानों पर ऊंगली उठाते है तो क्या उन्होंने मुझे मुसलमान समझकर आदर किया था। अगर उन्होंने कहा होता कि मोहम्मद आजम खॉ साहब नेता है तो आप लोग कह सकते थे। लेकिन उन्होंने हिन्दू का सम्मान किया। आज मैं यह कहना चाहूँगा कि आप देखें कि अस्सी फीसदी मुसलमान मजदूरी से संबंधित है। चाहे वह ट्रैक्टर-ट्राली बनाने वाला हो, सुई बनाने वाला हो, सिन्दूर बनाने वाला हो, चूड़ियां बनाने वाला हो या बुनकर हो। इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर मुसलमान

ही काम करता है। हमने कई बार टण्डन जी से कहा कि आप अपने नेताओं को समझाइये कि यह हमारी बात मान लें जिससे हमारे और आपके बीच की जो दूरियां है वह कम हो जायें लेकिन यह तैयार ही नहीं हो रहे है। अगर हमारी और आपके बीच की दूरियां कम हो जायेंगी तो देश का वातावरण बदल जायेगा .....

श्री लालजी टण्डन-

आज तो मैंने आपका कहा मान लिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जो चार बात मैंने कहीं उसे आप मान लीजिये लेकिन आपने नहीं मानी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आलिया स्तर की समस्त बालिकाओं के जो अनुदानित मदरसे हैं उसमें नि:शुल्क कम्प्यूटर हम देने जा रहे है। आज पोलियो के बारे में काफी भ्रम पैदा कर दिया गया था। आपने न जाने क्या भ्रम फैला दिया था कि मुसलमानों के बच्चे दवा पीने नहीं जाते थे। लेकिन आज आप देखें आज उन्होंने पंक्तियां लगानी शुरु कर दी है आज यह सरकार की नीति है, सरकार का भरोसा है, विश्वास है, चमत्कार है उसके चलते आज मुसलमानों की लाइन लगी है पोलियों की दवा पिलाने के लिए, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं ला पाये? ऐसा ही नहीं, जो बड़े धार्मिक नेता, जिनसे इसका विरोध था, उनसे हम लोगों ने बात-चीत की और ऐसा वातावरण बना दिया कि उन्होंने स्वयं खड़े होकर दवा पिलवायी। हम नहीं चाहते कि राजनीति में सारा का सारा लाभ हमें ही मिले, आपको भी मिले। जहां तक वृद्धावस्था पेन्शन, किसान पेन्शन, आदि की जो योजनाएं हैं यह सब हमने किया है हमने इसे रुपये 125.00 से बढ़ाकर रुपये 150.00 प्रतिमाह कर दिया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बजट में हमने बढ़ोत्तरी की है। यह आपके बजट की शिक्षा ही नहीं अर्थ है। ऐसा नहीं है हमने शिक्षा के बजट में 138 करोड़ रुपये बढ़ाया है सिंचाई में 106 करोड़ रुपया बढ़ाया है और विद्युत में 10 हजार करोड़ रुपये। यह तो आपको पता ही है, यह कोई मामूली काम नहीं है। विद्युत के क्षेत्र में जो 10 हजार करोड़ रुपये लगाने की बात अनिल अम्बानी और मुकेश अम्बानी जी ने की है असके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं और अमिताभ बच्चन जी ने, जया बच्चन जी ने जो बालकों के विकास के लिए किया है उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। बच्चों के लिए कई ऐसी योजनाएं और कार्य किए गए हैं जिससे देश के बच्चों में कहीं किसी प्रकार का भेद-भाव न बढ़े।

श्री लाल जी टण्डन-

नमाज के वक्त का क्या हुआ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे साहब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर मस्जिद आप नहीं गिरायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब 71 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए है। हमने देखा है बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनसे गांवों का कोई वास्ता नहीं है, कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनसे गांवों का कोई वास्ता नहीं है। हम चाहते हैं चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़के हों, दवाई हो, खेल का मैदान हो यह सब गांवों में हों। अभी हम खेल के महत्व को देखते हुए खेल के लिए घोषणा करेंगे। गांवों में केवट हैं, निषाद रहते हैं अगर उन्हें तैराकी में प्रशिक्षित कर दिया जाय तो कोई मामूली तैराक है वह, लेकिन उन्हें मौका थोड़े दिया जाता है, मौका ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्हें अगर पानी में फेंक दो तो डूब जायें। खिलाड़ियों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वह हमारे गांवों से भी निकलेंगे।

श्री मुंशी लाल गौतम-

गांवों के खिलाड़ियों के लिए कुछ आपने किया है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जहां तक गांवों के खिलाड़ियों की बात है जो खेलने में इरादा रखते हैं, हम उनको महत्व देंगे, वहां सड़के बनाकर, स्टेडियम बनायेंगे जरुरत समझेंगे तो, हमने इटावा में स्टेडियम बनवाया, इतना बढ़िया बना हुआ है, इटावा के लड़के और पी0ए0सी0 के सारे जवान स्टेडियम में जाकर वहां खेलते हैं।

तो वह गांवों में खेलों के विकास के बाबत हमारी शुरु से ही कोशिश है। माननीय विक्रम वर्मा जी भारत के खेल मंत्री है उन्होंने सैफई में खेलों के विकास के लिए साढे नौ करोड़ रुपये दिए। उनको भी उस महोत्सव में आना था, शायद किसी वजह से वह वहां नहीं आ पाये। वहां अभी नितीश कुमार भी आये थे तो क्या सैफई के लिए रेलवे लाइन बन रही है? वह रेलवे लाइन सैफई से दो किलोमीटर दूर बन रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय राम नरेश यादव जी के नेतृत्व में काम करना शुरु किया था। आज 27-28 साल में जाकर सैफई का वह स्थान बन पाया है। कभी स्कूल बनवाये, तो कभी सड़कें बनवाई और कभी कुछ बनवा दिया। अपनी जन्मभूमि को भूलेंगे, तो क्या हम इन्सान हैं। हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमने वहॉ का विकास किया है और विकास करेंगे। हम चाहते हैं कि हर सांसद और हर आम जनता ने इस विकास की भूख जगे, कि सैफई जैसी सुविधाएं हर जगह हो। आपको पता नहीं सैफई से क्या परेशानी है? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि पॉच सौ इक्तीस लोग अन्धे थे जो दुनिया नहीं देख पा रहे थे। इन लोगों को आंखें देने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। एक डाक्टर का भी इस्तेमाल यहॉ के नहीं हुआ, न सुई का इस्तेमाल हुआ न किसी और चीज का और हम लोगों ने पॉच सौ इक्तीस लोगों को ऑख वाला कर दिया और तीन घण्टे के बाद वह सारी दुनिया को देखने वाले हो गये। सैफई की जो पहचान बनी है वह इसी सब कारणों से बनी है। जो संगीत सम्मेलन वहॉ हो गया, कवि सम्मेलन हो गया यह देखने लायक था।

हिन्दुस्तान के अन्दर इतना बडा जो कवि सम्मेलन होता है वह सैफई में होता है उसमें दूर दूर गॉवों से लोग उस कार्यक्रम को देखने आते हैं। वह केवल वहॉ के इक्तीस लोगों के सहयोग से सब काम हुआ, जिसके लिए हैं उस इलाके की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। हॉ, राष्ट्रपति जी के स्वागत में जरूर सरकार को खर्च करना पड़ता है और कोई कार्यक्रम सरकारी नहीं हुआ। आप लोग कहॉ जाते तो हैं नहीं जो देखें सारी चीजें। वहॉ पहलवानों का दंगल हुआ आप एक रुपया भी बता दे जो लगा हो। यह सब उन इक्तीस लोगों का चमत्कार है। वह केवल एक सैफई के नहीं हैं वह फिरोजाबाद के हैं इटावा के हैं और आस-पास की दूसरी जगहों के हैं मैनपुरी के हैं और वह सब मिलकर यह कार्यक्रम कराते हैं।

मान्यवर, सैफई के आस-पास के गॉव के लिए वह एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो देखने लायक होता है और उस लड़के किसी तरह का गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अपने गांवों को नहीं सुधार सकता है तो वह फिर अपने देश और प्रदेश को कैसे सुधार सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहॉ कुछ नाम बता रहा हूँ, मुझे उच्च सदन में भी जाना है, अनिल अम्बानी, आदि गोदरेज, कुमार मंगलम बिड़ला, सुब्रतराय सहारा, नन्दन, नन्दकर्णी।

(व्यवधान)

आप डा0 लोहिया की जो बात कह रहे हैं पहले आप उन्हें पढ़ तो लीजिए कि वह कहाँ पढ़ते थे और कहाँ खाते थे। वे एक राजा के यहाँ रहते थे। सरदार पटेल जी अन्त समय में गाँधी जी के यहाँ रहते रहे। मैं कह रहा था कि इन लोगों से पारिवारिक संबंध हैं लेकिन उद्योगपतियों की चमक-दमक से हमारे ऊपर कोई असर नही पड़ा। हमारी पहल तो रिक्शाचालकों की बेहतरी की रही, मजदूरों की बेहतरी की रही और बुनकरों की बेहतरी की रही। हम आज भाषा को बेकार लड़ रहे हैं। आज भारत की संस्कृति पर किस तरीके से हमला हो रहा है नेस्तनाबूद-विदेशी कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया, विश्व बैंक कर रहा है। आप पहले थोड़ा पढ लीजिए क्या गाँधी जी पर किसी का असर पडा। (बहुजन समाज पार्टी की ओर इशारा करते हुए) यह अम्बेडकर जी को क्या जाने, इन्होंने अम्बेडकर जी को पढ़ा है? यह कैसी भाषा बोलते हैं आप पन्द्रह महीने में नहीं सिखा पाये, बस राखी बंधवाते हैं। और बता दूं आपके वर्तमान प्रधान मंत्री कहाँ ठहरते हैं लंदन में, आपको पता हैं। मैंने भी वहाँ नाश्ता किया है। तो क्या वह लन्दन जाने से लखनऊ को भूल गये। इसलिए पहले सीखा। न पढना न लिखना। डा0 प्रताप अपोलो, मैंने कोशिश की है तो वह उद्योग लगा सकते है। यह देखने की बात है कि उद्योग की बढ़िया नीति कौन बना सकता है, एजूकेशन कौन ठीक करेगा, आवासों की व्यवस्था कौन करेगा, बिजली की व्यवस्था कौन करेगा? यह सारे के सारे इस विकास परिषद् में बड़े-बड़े लोग हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं। जो वह काम कर रहे हैं उससे लोग आश्चर्यचकित दिखते हैं। हमने पहले भी कहा था, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे तो आश्चर्यचकित रह गये होंगे। यह सारे लोग अमर सिंह जी की अध्यक्षता में आये हैं। हम तो अमर सिंह जी को सदन के अन्दर धन्यवाद कह सकते हैं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाना है। लेकिन जैसी अमर सिंह की भूमिका है, उन्होंने जो दिमाग लगाया है, मेहनत की है और जो उनके सम्पर्क है और बेहतर संबंधें के कारण ही ये लोग आये हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल मुनाफा उठाने के लिए आ रहे हैं? ये अमर सिंह के संबंधें के कारण आ रहे हैं। हमारा भी थोड़ा बहुत संबंध है, लेकिन उनके संबंध अच्छे हैं। हम उनके संबंधों की कद्र कर रहे हैं इसलिए आज आपको खुशी होनी चाहिए। आपको विदेशी कम्पनियां बहुत पसन्द है जो आज हिन्दुस्तान की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, सभ्यता खुशहाली और रोजगार तमाम आज अर्थव्यवस्था, जो पूरा विदेशी चंगुल में, उनके हाथों में जा रही है, हम उस को बचाने के लिए इसको ला रहे हैं आज सदन में सर्वसम्मति से आपकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए कि हम उनका अभिनन्दन करते हैं, बधाई देते हैं, बधाई का प्रस्ताव आना चाहिए था। ये लोग विदेशी कम्पनियों का मुकाबला कर रहे हैं।

आप विदेशी कम्पनियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह हमारी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, अगर विदेशी कम्पनियों का मुकाबला करने की शुरुआत किसी ने की है तो वह उत्तर प्रदेश का सरकार ने की है। जब उनके हाथों में जायेगा तो उसका परिणाम गम्भीर होगा। राजनीतिक हमला होगा जैसे महाराष्ट्र में देखा एक कम्पनी के पीछे मुख्य मंत्री को अपमानित कर दिया, एक कम्पनी के पीछे धमकी दे दी कि वह अनुदान बन्द कर देंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर। तो मान्यवर, सदन के सभी सदस्यों ने व नेताओं ने इस बजट में हिस्सा लिया है उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को खत्म करूँगा। थोड़ी घोषणा है इसलिए समय हम बचाना चाहते हैं और बजट में जो आपने कहा उसमें सुर भी है, दिशा भी है और अर्थ भी है, सुर भी है और ताल भी है और बीच बीच में कुछ लोगों का भोंपू भी है। इसलिए हम कह सकते हैं आप कहेंगे कि सुर क्या है और ताल क्या है और आज हम कह रहे हैं कि सुर हमारा है और उस पर पूरा ताल दे रही हैं आपकी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता 17 करोड़। सुर है आज पूरा का पूरा सरकार का और ताल कौन दे रहा है, ताल दे रही है 17 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता। इसलिए इसमें सुर भी है और ताल भी है, अर्थ भी है और दिशा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष यह बजट जो प्रस्तुत पर

है, जो आपने बजट में हिस्सा लिया आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नेता विरोधी दल ने सराहना की है उनको बधाई देता हूँ इसके सभी दलों के नेताओं को सोचना चाहिए। उस समय हमारे जो मुख्य मंत्री रहे थे इनके नेतृत्व में काम भी किया है और इन्हीं से सीखा भी हूँ इनके मंत्रिमंडल में मैं बहुत कम उम्र का मंत्री बन गया था और आपका पूरा पूरा संरक्षण रहा था। इन्होंने कहा था समर्थन देते रहेंगे मजबूत बनाते रहेंगे।

मुख्य मंत्री द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी हम कुछ घोषणा कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। बहुत से विधायक भला-बुरा कहने लगे, लेकिन आप अभी देखियेगा कि सुविधा हमने कितनी दी है। मैंने पहले कहा था कि जब औरों की आमदनी बढ़ेगी, तब अपनी आमदनी बढ़ायेंगे, इसी आधार पर हम अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन समय तो लगेगा पढ़ने में। उद्योग नीति जो हमारी है, उसे पढ़ रहा हूँ।

हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की एक आदर्श प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार प्रदेश को उद्योग प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिये संकल्पबद्ध है। हमारा उद्देश्य राज्य की असीमित औद्योगिक संभावनाओं को साकार करते हुये औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के नये अवसर सृजित करना है, जिससे प्रदेश को आर्थिक प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर किया जा सके।

मेरे वर्ष 1990 के मुख्य मंत्रित्व कार्यकाल में प्रदेश में पहली बार लिखित रूप से औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी थी, जिसमें कृषि के साथ-साथ तीव्र गति से औद्योगिक विकास करने के प्राविधान किये गये थे। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करना था ताकि प्रदेश में लघु एवं ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देकर उनका जाल बिछाया जा सके। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास तथा क्षेत्रीय विकास में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने तथा नये उद्यमियों को विशेष सहायता देने पर भी भरपूर बल दिया गया। शासन के समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना तथा अन्य सुविधायें समयबद्ध रूप में उपलब्ध करायी जायें, जिससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में कठिनाई न हो।

सम्मानित सदन इस तथ्य से अवगत है कि नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरु की गयी.....

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि बजट प्रस्तुत किया गया, सामान्य चर्चा के लिये और सारा भाषण बड़े विश्वास से मुख्यमंत्री का सबने सुना, उसके बाद चर्चा हो गयी। चर्चा के बाद माननीय मुख्य मंत्री उत्तर भाषण के लिये खड़े हुये। अब उत्तर भाषण में एक नई नीति आई, इसके बारे में सदन को चर्चा करने का अवसर न मिले, यह तो ठीक नहीं है। नीति आती, सामान्य चर्चा से पहले, वह उसका हिस्सा बनता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम नियमों का कुछ तो पालन हो। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष करें तो बाकी लोग करेंगे। आज यह कोई अवसर नहीं है, जब उत्तर भाषण दिया जा रहा है तो उसमें नई नीति ले आई जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि तेजी से औद्योगिक विकास करना है। इस पर 2 दिन, 4 दिन बहस करने के लिये सब सहमत हो गये थे, नेताओं के बीच बातचीत हो गयी थी कि यह बजट पास कर लिया जाय, ऐसा

पहली बार हुआ है, अभी दो दिन पूर्व हाउस में ऐसा मौका आया, जब कोरम पूरा नहीं था, अगर इसे अभी नहीं लेंगे तो फिर परसों 22 तारीख को जो हम आपके इलाके में करने जा रहे हैं, 3300 मेगावाट का, वह कैसे लागू हो पायेगा। यह कार्य-मंत्रणा समिति में पहले ही तय हो चुका है। हम तो आपकी इजाजत में खड़े हुये हैं, आपसे अनुमति मॉगी है। अगर आपको ठीक न लगे तो हम भिजवा दें, इसे बँटवा देंगे। इसको भिजवा दीजिये, सबको यह चला जायेगा। प्रेस को अलग से दे देंगे। 2-3 दिन इस पर बहस के लिये हम तैयार हैं। यह कोई गीता पुराण तो है नहीं। आपके जो सुझाव ओयंगे, उससे इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। यह तो अभी हमने नीति रखी है, यह हम प्रेस के माध्यम से दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा के पिछले सत्र में भी 3-4 नीतियां आपने घोषित की थी और बाजपेयी जी ने चर्चा के लिए अनुरोध किया था लेकिन वह सत्र छोटा था और उसमें यह बात कही गयी थी कि हम अगले सत्र में उन नीतियों पर चर्चा करायेंगे। उस समय यह किसी को अन्दाजा नहीं था कि लोक सभा के चुनाव हो जायेंगे और यह सत्र भी छोटा हो जायेगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी को अवसर मिलना चाहिए। कुछ नीतियों पर कल भी चर्चा हो सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जितने दलों के नेता हैं वह जितने दिन भी बहस करना चाहें, हम तैयार हैं। हमारी तो कोशिश यह है कि 90 दिन सत्र चले और यदि इतना न हो सके तो कम से कम 60-70 दिन तक तो पहुंचा ही लें। जैसे ही चुनाव सम्पन हो जायेंगे उसके बाद माननीय नेतागण जितने दिनों के लिए चाहेंगे, उतने दिनों के लिए हम तैयार हैं।

यह कुछ घोषणाएं बजट से अलग है। प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है, हालांकि वे सभी मानक पूरे करती है। इसमें से भर-राजभर भी एक है। हमारी सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोगों को राजनीति और विकास में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले। भर-राजभर को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने के संदर्भ में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सर्वेक्षण कराया गया, जिसमे यह तथ्य प्रकाश में आया कि भर-राजभर एक ही जाति है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों तथा साक्षरता के आधार पर भी भर-राजभर जाति का वर्गीकरण अनुसूचित जाति में किया जाना न्यायोचित पाया गया। अत: प्रदेश सरकार द्वारा भर-राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार भारत सरकार में निहित है, अत: प्रदेश सरकार द्वारा भर-राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने की संस्तुति करते हुए भारत सरकार को संदर्भित किया जायेगा।

निषाद (मछुआ) जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किये जाने का मामला पहले से प्रदेश सरकार के स्तर पर विचाराधीन था। निषाद (मछुआ), केवट, मल्लाह, बिन्द, निषाद, धीवर, धीमर, बाथम, कश्यम, मांझी, गौंड, कहार, तुरहा आदि शामिल हैं, को प्रदेश सरकार द्वारा वास्तविकताओं के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार को इसकी भी संस्तुति भेजी जायेगी। उत्तर प्रदेश में जनपद बांदा एवं इलाहाबाद के पठारी क्षेत्र में कोल जातियां प्रवास करती हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश कीसूची में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, जबकि कोल जाति को मध्य प्रदेश में अनुसूचित

जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाएं मिली हुई हैं एवं इन कोल जातियों का आपस में शादी-ब्याह का संबंध भी है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार अपनी संस्तुति भेजेगी। इसी तरह हेंड़ी/हेडिया तथा मीना जातियों को भी उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार अपनी संस्तुति भेजेगी।

हमारी सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान बहाल करना चाहती है। विकेन्द्रीकरण प्रणाली के अन्तर्गत विकास कार्यों में पंचायत पदाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार यह आवश्यक समझती है कि त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को यथोचित सम्मान व सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। अत: पंचायत पदाधिकारियों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उनके प्रोत्साहन हेतु मानदेय एवं भत्ते तथा सुविधायें निम्नवत् स्वीकृत किये गये हैं :-

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत की बैठकों में भाग लेने पर 200 रूपये का भत्ता, ब्लाक प्रमुखों को रु0 1000 मासिक मानदेय, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को क्षेत्र समिति की बैठक में भाग लेने पर 100 रुपये का भत्ता तथा ग्राम प्रधानों को 500 रुपये मासिक मानदेय दिया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्षों को वर्तमान में 10 प्रतिशत निजी व्यय पर गनर दिये जाने के आदेश हैं। प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिला पंचायत अध्यक्ष को नि:शुल्क गनर दिया जायेगा।

सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा शासकीय कार्य के लिए बुलाये जाने पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा विकास कार्यों से जुड़े अधिकारीगण उनके कार्यालय में अवश्य जायेंगे।

जिला पंचायत अध्यक्ष यदि जिलाधिकारी अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भेंट करना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समय देंगे।

सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र प्रमुखों को खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के फिल्म इण्डस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों ने हिन्दुस्तान ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है और मुम्बई में उनका ज्यादा सम्मान है लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका इतना सम्मान नहीं है। मुम्बई की तरह लखनऊ भी बने यह मैं चाहता हूँ। कलाकारों की वजह से मुम्बई आज उद्योग नगरी बन गया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को सार्थक बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में लागू फिल्म नीति 2001 में कुछ संशोधन किये जा रहे है जिससे अच्छी ख्याति के जाने-माने फिल्म निर्माताओं को उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। यह सुझाव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद् द्वारा दिये गये हैं, जिसमें फिल्म उद्योग के सभी जाने-माने एवं उच्च स्तरीय सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जिन हिन्दी फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी, उनको रुपया 40 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा। अनुदान हेतु पात्र फिल्मों का चयन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद् की विशेष उपसमिति द्वारा किया जायेगा। वर्ष में रुपया 2 करोड़ से अधिक अनुदान के रुप में नहीं दिया जायेगा। जो अनुदान दिया जायेगा, वह फिल्म में आये लैब फीस आदि की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जायेगा। इसके लिये नियम फिल्म बंधु द्वारा बनाये जायेंगे।

उच्च स्तरीय फिल्म को पुरस्कार देने के लिये उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा चयन किया जायेगा। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक को रुपया 2 लाख 51 हजार का पुरस्कार प्रत्येक को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता/निर्देशक को यह सुविधा दी जायेगी कि यदि वह दूसरी फिल्म उत्तर प्रदेश में शूटिंग करेगा तो उसके लिये रुपया 50 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान भी लैब फीस आदि की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जायेगा।

यह प्रस्तावित है कि फिल्म नीति में कतिपय नये प्राविधान किये जाय जिससे उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इसके लिए फिल्म विकास फण्ड में वर्ष 2004-2005 के बजट में रुपये 12 करोड़ का प्रारम्भिक प्राविधान करना प्रस्तावित है। इस धनराशि से निम्न कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे :--

1- उत्तर प्रदेश फिल्म अभिलेखागार-

आधुनिक तकनीकों पर आधारित इस इकाई द्वारा भारतीय सिनेमा का इतिहास एवं व्यापहारिक अध्ययन, अनुसंधान व दस्तावेजों का वर्गीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें पुरस्कृत फिल्मों का संग्रह किया जायेगा। इसकी स्थापना हेतु विशेषज्ञ से अध्ययन कराकर सुझाव प्राप्त किये जायेंगे। अध्ययन हेतु रुपये पचास लाख तक का व्यय अनुमानित है। यह प्रस्तावित है कि इसे नोएडा फिल्म सिटी में स्थापित किया जायेगा।

हम तो चाहते हैं कि लखनऊ में स्थापित हो और इसके लिए सहाराश्री श्री सुब्रत राय जी से बात हो रही है अगर वह बना सकते हों तो बनायें। हमारी पहली कोशिश यही है कि लखनऊ में बने।

2- रायटर्स वर्कशाप-

इसके माध्यम से यह प्रयास किया जायेगा कि फिल्मों की पटकथा लेखन के गुणवत्ता में सुधार लाया जाय। प्रस्तावित है कि इसका आयोजन नोएडा फिल्म सिटी मे किया जायेगा। वर्कशाप के दौरान जो पटकथा सबसे उच्चकोटि की सिद्ध होगी, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा सह निर्माता के रूप में फिल्म का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के सदस्यों तथा पीठासीन अधिकारियों की उपलब्धियों एवं अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जाय। इस संबंध में उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1952 में संशोधन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

विधायकों का मासिक वेतन रु0 2000/- से बढ़ाकर रु0 3000/- किया जाता है।

विधायकों का मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रुपया 5000/- से बढ़ाकर रु0 7500/- किया जाता है।

विधायकों का मासिक चिकित्सा भत्ता रु0 1000/- से बढ़ाकर रु0 2000/- किया जाता है।

विधायको का मासिक सचिवीय भत्ता रु0 1000/- से बढ़ाकर रु0 2500/- किया जाता है।

मान्यवर, विधायकों को जनसेवा कार्यो के लिए देय भत्ता रु0 200/- प्रतिदिन से बढ़ाकर 250/- किया जाता है। विधायको के विधान सभा उपवेशनों तथा उसकी समितियों की बैठकों के लिये देय दैनिक भत्ता रु0 250/- से बढ़ाकर 300/- किया जाता है। अध्यक्ष, विधान सभा, सभापति, विधान परिषद्, उपाध्यक्ष, विधान सभा, उप सभापति, विधानपरिषद् एवं मंत्रि मण्डल के सदस्यों का जेब खर्च प्रदेश के बाहर एवं भीतर रु0 500/- प्रतिदिन किया जाता है। विधान सभा भंग होने की स्थिति में और नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि में अध्यक्ष, विधान सभा के पदासीन रहने पर ऐसी अवधि की गणना उन्हें सदस्य के रुप में देय पेंशन

के लिए की जाएगी। अध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आवास के अनुरक्षण आदि के लिए अनुमन्य रु0 2,500/- को बढ़ाकर 5,000/- किया जाता है। सदस्यों को उनके लखनऊ तथा क्षेत्रीय आवास पर लगाये गये टेलीफोन पर प्रतिमाह काल्स की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1250 कर दी जा रही है और लखनऊ तथा क्षेत्रीय काल्स को समेकित (क्लब) करके उनके बीजक का भुगतान किया जाय ताकि एक टेलीफोन पर कम की गई काल्स दूसरे टेलीफोन में समायोजित हो सके।

सदस्यों को अनुमन्य रु0 100000/- (रु0 एक लाख) के रेलवे यात्रा कूपन को बढ़ाकर रु0 120000/- (रु0 एक लाख बीस हजार) के समतुल्य कर दिया जाए और उसमें से उन्हें डीजल/पेट्रोल के लिए प्रतिमाह अधिकतम सीमा रु0 3,000/- के स्थान पर रु0 5,000/- प्रतिमाह तक किए जाता है। पूर्व सदस्यों को अनुमन्य रु0 10,000/- के समतुल्य रेल यात्रा कूपन को बढ़ाकर रु0 20000/- कर दिया जाय और उन्हें मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 1500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 2000/- प्रतिमाह की जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष रु0 200/- के स्थान पर रु0 250/- की बढ़ोत्तरी कर दी जाए। वर्ष की गणना इस प्रकार की जाएगी कि यदि किसी वर्ष में छः माह या उससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि संगणित होती हो, तो उसे पूरा एक वर्ष माना जाए। माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण तथा राज्य विधान मण्डल के पीठासीन अधिकारियों का वेतन रु0 2500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 5000 प्रति माह किया जाता है। माननीय उप मंत्रीगण का वेतन रु0 2225 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 4000 प्रतिमाह किया जाता है। अच्छा रहा कि आपने मेजों को नहीं थपथपाया।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुलायम सिंह यादव-

अच्छा रहा कि अपनी सुविधाओं के लिए आपने मेजे नहीं थपथपायीं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉं)-

अब आप लोग भी बजा दें।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी ने माननीय विधायकों मंत्रियों और माननीय पीठासीन अधिकारियों को सुविधाऐं देने के बारे में बातें कहीं हैं। विधान मंडल में एक पद ऐसा भी है जो इन सब बातों से जुड़ा है, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस दिया हुआ है लेकिन सुविधायें नहीं दी हैं। मैं अपेक्षा करता था कि सरकार उसको भी इसमें सम्मिलित करेगी। आपने जेब खर्च की बात कही है और उसमें सभी पदों को शामिल किया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम उसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जो वेतन और अन्य सुविधायें मंत्रियों को मिलती हैं वही वेतन और सुविधायें नेता प्रतिपक्ष को हैं अगर कोई भ्रम हो तो उसका निवारण कर दें, स्पष्ट कर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपके सामने एक फैसला लिया गया है जो नियमावली बनेगी उसमें हम स्पष्ट कर देंगे। कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहेगा और वही सुविधायें रहेंगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

लेकिन हमारे साथ बिलकुल उल्टा किया गया। हमको मकान तक नहीं दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हम कह चुके हैं कि हम बुराई का बदला भलाई से देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने बहुत बुराई की है। हम भलाई कर रहे हैं। दारुलसफा में आपने कमरा नहीं दिया था।

श्री हुकुम सिंह-

न मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ और न तो यह अब मंत्री हैं। आप हमें क्यों सुना रहे है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हुकुम सिंह जी अच्छी तरह जानते है पाँच साल तक हमें किस तरह से एक कमरे में रहना पड़ा। उस समय भी हम महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे हमने वह दिन भी देखा है। हम भुक्तभोगी हैं। लेकिन हम मकान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वे समस्त खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में एकल गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं उन्हें वर्तमान में पुरस्कार की धनराशि रु0 20 हजार से बढ़ाकर रु0 3 लाख, रजत पदक विजेताओं को वर्तमान में पुरस्कार की धनराशि रु0 12 हजार से रु0 2 लाख एवं कास्य पदक विजेताओं के लिए वर्तमान पुरस्कार की धनराशि रु0 9 हजार से रु0 1 लाख की जायेगी। टीम गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को वर्तमान में रु0 10 हजार प्रति खिलाड़ी पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर रु0 25 हजार प्रति खिलाड़ी, रजत पदक विजेताओं को वर्तमान में रु0 6 हजार प्रति खिलाड़ी की पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर रु0 15 हजार प्रति खिलाड़ी तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए वर्तमान में रु0 4 हजार प्रति खिलाड़ी पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 15 हजार प्रति खिलाड़ी करके सम्मानित किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में ओलम्पिक कामनवेल्थ, वर्ल्डकप, एशिया एवं एफ्रो एशियन एकल खेल एवं टीम गेम में भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपये की आजीवन बीमा योजना संचालित की जायेगी, जिसकी प्रीमियम की किश्तों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले ऐसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को रु0 50 हजार एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षको को रु0 10 हजार पुरस्कार स्वरुप दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करेगी जिसके अन्तर्गत खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलम्पिक, कामनवेल्थ, वर्ल्डकप एशिया एवं एफ्रो एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को रु0 10 हजार एवं रजत पदक विजेता को रु0 7500/- एवं कांस्य पदक विजेता को रु0 5000/- प्रतिमाह आजीवन दिया जायेगा एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता को रु0 5000/- रजत पदक विजेता को रु0 3500/- एवं कांस्य पदक विजेता को रु0 2500/- प्रति माह आजीवन दिया जायेगा। एवं टीम खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को रु0 5000/- रजत पदक विजेता को रु0 3500/- एवं कांस्य पदक विजेता को रु0 2500/- प्रतिमाह दिया जायेगा।

विकास परियोजनाओं के सफल संचालन का दायित्व आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से क्रमश: रु0 200 एवं रु0 100 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि वे पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर चीनी मिल जो राज्य चीनी निगम की रुग्ण इकाई है इसी वर्ष गन्ना पेराई हेतु प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं प्लाण्ट के रिपेयर आदि के लिये रु0 3 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इसमें रिपेयर आदि का काम तेजी से प्रारम्भ किया जायेगा।

सुबह यहाँ पर एक जी0ओ0 के प्रकरण को लेकर सदन नहीं चल सका था हमने स्वीकार किया था कि वह जी0ओ0 गलत हो गया है इसको पूरी तरह संशोधित करके दूसरा जी0ओ0आपके सामने रख रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के स्कूलों में 12 बजे छुट्टी करने के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है। जारी किये गये शासनादेश के स्थान पर एक नया शासनादेश जारी किया गया है जिसमें जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वे, अपने विवेक से, जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर, जहाँ आवश्यक हों, वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, वहाँ पर शुक्रवार को, जुमे की नमाज के लिए, 12 बजे छुट्टी करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर लेने के लिये अधिकृत है।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

*श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार का समर्थन किया और आज भी वह समर्थन जारी है (मेजें थपथपाई गई)। यह बात अवश्य है कि पूरे पूरे बजट को जिस भावना के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में रखा है और व्यक्त किया है, हमारी पार्टी उनका समर्थन करती है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये भी बधाई देना चाहता हूँ कि 1999 में कांग्रेस के प्रति सरकार बनाने के सम्बन्ध में जो उनकी भावना थी, उस भावना में अब काफी परिवर्तन हो गया है। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि दो प्रश्न है जिस पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाइता हूँ। एक तो यह कि पहली बार सदन में प्रश्न उठा था महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के समय, कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की जो जमीन है, उसके सम्बन्ध में जो उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था और सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार उस पर कदम उठायेगी। आपने इस पर आश्वासन भी दिया था कि विचार करेंगे और उच्च न्यायालय की भावनाओं का सम्मान करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसके लिये बजट में व्यवस्था की है? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? दूसरा यह है कि मान्यवर, इसी सदन में औचित्य के प्रश्न में यह था कि जैसे लोक सभा में संसदीय समितियाँ, विभागों से संबंधित है क्या उसी तरह से यहाँ पर भी बनायी जायेंगी? आपने कहा था कि विचार करेंगे। मान्यवर, बजट आ गया है क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है? मान्यवर, जैसी आपकी भावना थी और पहले भी कमेटी बनी थी, मैं उसका अध्यक्ष था और उसकी रिपोर्ट आयी थी जो सदन के सम्मुख रखी गयी थी और आपने आश्वासन दिया था कि इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया है? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह दो स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूँ और एक बार फिर उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सदाशयता उन्होंने मेरे प्रति व्यक्त की है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय राम नरेश यादव जी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में कहा है। हमने इस बारे में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्वासन दिया था उस पर गम्भीरता से विचार किया है। कुछ व्यस्तता की वजह से हम इस बारे में बातचीत नहीं कर पा रहे है। हम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर विचार करेंगे। यह सही है कि इसकी लागत बहुत है लेकिन हम इसकी शुरुआत करेंगे कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत करके। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है संसदीय समितियों के बारे में। इस बारे में भी कहना चाहता हूँ कि इस पर भी विचार चल रहा है। जैसा आपके सामने आया था लोक सभा की तरह यहाँ पर संसदीय समितियाँ बनें विधान सभा की, तो थोड़ा सा अंतर तो है। कई तरीके से इन बातों को सोचते हुए अभी विचार चल रहा है। माननीय नेता विरोधी दल भी थे, नेताओं की बैठक में। आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। हम लोग विचार कर रहे है, अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री विजेन्द्र सिंह-

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हेतु बजट में व्यवस्था की गयी है। (मेजें थपथपाई गई)।

श्री राम नरेश यादव-

कितने करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह हम देखकर बता देंगे। बहुत करोड़ रुपये का संस्थान है। हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के नेताओं से और इसकी शुरुआत तो हो जायेगी ...

*श्री विजेन्द्र सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए घोषणायें की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूर्व की तरह सम्मानित सदस्यों के लए मकान हेतु प्लाट आवंटन पूरे प्रदेश में पूर्व की भॉति कराया जाएगा पूर्व सरकारों ने लखनऊ गाजियाबाद में किया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ और एक स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूँ कि नगरीय विधायकों को, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों को पांच गॉव विद्युतीकरण के लिए मिलते है उसी के समतुल्य राशि को सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने की सुविधा प्राप्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार कहा था कि इसको देख लेंगे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हैण्डपम्प वाला मामला है शहर के कितने विधायक हैं उनको जैसे औरों को सुविधा है उसी तरह से 100 हैण्डपम्पों की सुविधा शहरी विधायकों को देते है।

(व्यवधान)

बहुत गम्भीरता से बात हुई थी मेरे आने पर माननीय सभी पक्षों के नेताओं ने अपनी बात रखी थी कि पांच गॉव देहात के विधायकों को दिए जाते हैं शहरों में बिजली की कमी है तो जिस तरह से गॉव के लोगों को दिए जायेंगे उसी तरह से शहरों के विधायकों को पांच गॉव दिए जायेंगे।

(मेंजे थपथपाई गई)

(कुछ सदस्यों के खडे होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह सिलसिला तो अनन्त हो जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नेता विरोधी दल ने 100 हैण्डपम्प और पांच गॉव के लिए लिखा था उसको कर दिया।

श्री विजेन्द्र सिंह-

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि आवास आवंटन कराये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सुन ली है।

*श्री समरपाल सिंह-

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी ने जो जन हित का बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड विकास निधि के लिए और पूर्वांचल विकास निधि के लिए 200 करोड़ निधि का प्राविधान किया है इसमें हमें एतराज नहीं है। इस सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हालत है वह सभी सदस्य जानते हैं वहां सड़कों की दुर्दशा है। 90 प्रतिशत बिजलीघर ओवर लोडिंग पर चल रहे हैं इससे जो बिजली आप दे रहे हैं वह उपभोक्ता और किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहां स्कूल और मदरसे की कमी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री जी बुंदेलखंड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि की तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए घोषणा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर आई0ए0एस0,पी0सी0एस0, के परीक्षा केन्द्र लखनऊ और इलाहाबाद में है, क्या मुख्य मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए आई0ए0एस0,पी0सी0एस0 के परीक्षा केन्द्र और राज्य की खंडपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करायेंगे? हाई कोर्ट की खंडपीठ तो आपके हाथ में है नहीं क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तरह हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष-

बजाय इसके कि मुख्य मंत्री बार-बार खड़े हों और उत्तर दें। आपकी बात उन्होंने सुन ली, एक बार में उत्तर दे देंगे। यह कोई मॉग करने का समय नहीं हे, यह तो अन्तहीन सिलसिला है। 400 सदस्य अगर अपनी-अपनी मॉग रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

*श्री विवेक बंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सर्व प्रथम बधाई देना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में सभी वर्गो के हित को ध्यान में रखा है। मान्यवर, आनपारा-सी के लिए जो बजट निर्धारित किया था, चूंकि उसका निजीकरण कर दिया गया है और उससे कुछ पैसा बचेगा। मान्यवर, अलीगढ़ में काशिमपुर थर्मल पावर स्टेशन है, वह अपने अनुपात से बिजली नहीं दे पा रहा है यदि यह बचा हुआ पैसा वहाँ लग जाये, तो उसका सदुपयोग हो जायेगा और इससे जनहित का काफी काम हो जायेगा। मान्यवर, खिलाड़ियों के, प्रोत्साहन हेतु काफी चीजें रखी गयी है। मैं मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस बात को रखूंगा और पहले भी रखी गयी थी। पहले खिलाड़ियों से क्रिया स्थल के लिए 200 रुपये लिये जाते थे अब उसे 350 रुपये कर दिया गया है जो कि आप खिलाड़ी के लिए ज्यादा है। मै मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि उस पैसे को 350 से घटाकर 200 रुपये कर दिया जाए ताकि जो आम ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी है, वह क्रीड़ा-स्थल का उपयोग कर सकें। मान्यवर, अलीगढ़ का ताला उद्योग विश्वविख्यात था। लेकिन सरकार के प्रोत्साहन न देने की वजह से पिछड़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ यदि वह कोई स्कीम इसके लिए वहाँ दे दें तो इस कार्य से जुड़े लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय सदस्य ने मॉग नहीं की है, सुझाव दिए है। इन सुझावों पर हम विचार करेंगे। आप लिख कर भी दे देंगे और मिलकर भी बात कर लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

अध्यक्ष महोदय, बजट पर बहस जहाँ से शुरु हुई थी उसमें गन्ना किसानों के मूल्य की भी बात थी। पूरे उत्तर में कहीं पर यह नहीं है कि गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य बढ़ेगा, क्या मूल्य तय हुआ है, बजट में कहीं दिखायी नहीं दे रहा है। मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बिन्दु को बिल्कुल अलग कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि गन्ना मूल्य के बारे में, उन्होंने कहा कि बैठकर रास्ता निकल आयेगा, लेकिन अब बैठने का समय नहीं रहा, करने का भी समय नहीं है, घोषणा का भी समय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है, इस पर हम आंकड़ों से इस बारे में जवाब दे चुके हैं, फिर भी उनकी जो चिन्ता है, उसका स्वागत करते हैं। जहाँ तक मूल्य का सवाल है, आपको मालूम है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। हम मिल चुके हैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी और हमारे कृषि मंत्री जी से भी और दोनों से हमने यह प्रार्थना की थी कि किसी तरह से यह हल हो। आपके सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल हैं। किसी तरह से उच्चतम न्यायालय में अनुरोध करके यह फैसला करा दें। हम गन्ना भुगतान के बारे में आंकड़े दे चुके हैं। केवल 7 करोड़ रुपया निजी चीनी मिलों का बचा है। गन्ने की पेरायी बहुत तेजी से हुयी है। पिछले साल से ज्यादा हुयी है। रामपुर की चीनी मिल नहीं चल रही थी। हमें किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी तरह से चिंता है/ हम गन्ना किसानों को किसी तरह से घाटे में जाने नहीं देना चाहते। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमने 485 करोड़ रुपया भी मांग लिया है। हमें सभी बातों से हटकर किसानों के हितों की चिंता है। गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे है और केन्द्र सरकार की उसमें अहम भूमिका है। उन्होंने हमारी बात का सकारात्मक जवाब ही दिया है।

(कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

कितने लोग बोलेंगे? अच्छा एक इधर से और एक उधर से बोलें।

(श्री मुंशी लाल गौतम और नवाब सिंह नागर ने भी प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया)

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान परिषद् में 5 बजे से भाषण था। मैं लेट हो चुका हूँ। अत: आपसे तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष से प्रार्थना है कि यदि आप निर्देश दें तो मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं विधान परिषद् चला जाऊँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने पर मुख्यमंत्री चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

आज बजट साहित्य न उपलब्ध कराये जाने पर माननीय हुकुम सिंह जी द्वारा दी गयी सूचना पर उन्होंने खेल विभाग का भी उल्लेख किया था। इसमें कहना है कि खेल विभाग का बजट साहित्य प्राप्त हो गया था। चिकित्सा विभाग का बजट साहित्य प्राप्त नहीं हो पाया था। कृपया शांत रहे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी,

कृपया अपने माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करायें। सदन कैसे चलता है यह आप उधर देख लीजिए। कृपया शांत रहें।

(संसदीय कार्यमंत्री श्री मोहम्मद आजम खां ने सत्तापक्ष के सदस्यों को व्यवस्थित किया।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 20 फरवरी, 2004 को हुयी अपनी बैठकों में दिनांक 20 फरवरी, 2004 एवं 21 फरवरी, 2004 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रुप में लिये जाने की सिफारिश की है-

1- दिनांक 20 फरवरी, 2004 की कार्यसूची के मद संख्या-16 (1) से 16(42) तक में उल्लिखित आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों के साथ-साथ 21 फरवरी, 2004 के लिए निर्धारित आय-व्ययक के शेष सभी अनुदानों की मांगों को आज दिनांक 20 फरवरी, 2004 को ही सदन में विचार एवं मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाय एवं तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन उस पर विचार एवं उसके पारण संबंधी मदें ली जायं।

2- दिनांक 21 फरवरी, 2004 को सदन का उपवेशन हो और उस दिन अन्य कार्यों के अतिरिक्त निधन के निर्देश भी लिये जायं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना, जो कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुपूरक कार्य सूची बॉट दी जाय।

(अनुपूरक कार्य सूची वितरित की गयी)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-23 ग्रन्ना विकास विभाग (ग्रन्ना)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे है?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर प्रस्ताव हो गया है और भाषण भी हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न रख रहा हूँ। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 63,21,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 33,93,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें समेकित मद संख्या-16(3)से 16(95) तक एक साथ पास करा लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसको अलग-अलग लिया जायेगा। नियमों को शिथिल तो किया जा सकता है लेकिन इतना शिथिल करना उचित नहीं होगा। क्या कोई कटौती का प्रस्ताव रख रहा है?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 33,93,38,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या -86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,70,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

क्या कोई कटौती रख रहा है?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,70,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च,2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 17,79,69,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,79,69,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 49,00,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध

विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 49,00,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,13,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,13,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,16,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,16,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

कटौती नहीं पेश की जायेगी तो सीधे-सीधे प्रश्न उपस्थित किया जायेगा।

अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,02,40,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-50- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,02,40,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,77,90,09,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-51 (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,77,90,09,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,85,40,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,85,40,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,87,48,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,87,48,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,86,21,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,86,21,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,92,49,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,92,49,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,35,50,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटौती नहीं रख रहा है? मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,35,50,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 61,58,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 61,58,87,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,09,18,21,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,09,18,21,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन -सड़के)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,67,44,17,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,67,44,17,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,24,53,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,24,53,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 66,63,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 66,63,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,30,75,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,30,75,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,55,32,22,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31,चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,55,32,22,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,43,73,55,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,43,73,55,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुवेर्दिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुवेर्दिक एवं यूनानी चिकित्सा)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,38,29,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुवेर्दिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,38,29,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)के अन्तर्गत

होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 64,72,90,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 64,72,90,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,94,69,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,94,69,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-22, खेल विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 34,34,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 34,34,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,92,20,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,92,20,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,38,80,64,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,38,80,64,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,78,97,69,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,78,97,69,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,82,44,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,82,44,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79,समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,09,94,02,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,09,94,02,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 42,95,52,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 42,95,52,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राणा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 36,00,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 36,00,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18,42,55,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 18,42,55,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,78,32,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,78,32,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,08,07,48,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,08,07,48,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,33,55,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,33,55,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,94,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,94,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,13,40,83,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,13,40,83,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,96,86,38,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,96,66,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,93,87,27,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,93,87,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,49,64,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,49,64,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,56,71,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,56,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,41,28,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,41,28,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,27,42,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,27,42,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,18,77,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,18,77,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 72,90,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 72,90,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,28,79,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,28,79,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,23,00,62,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,23,00,62,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,17,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,17,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,22,86,91,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,22,86,91,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,61,40,62,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,61,40,62,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,37,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,37,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 66,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 66,76,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 62,88,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 62,88,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 89,14,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 89,14,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,54,31,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,54,31,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-82, सर्तकता विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82, सर्तकता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,48,49,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-82, सर्तकता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,48,49,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,44,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,44,06,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,42,51,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,42,51,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,54,26,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 31,54,26,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,64,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,64,33,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 56,44,92,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 56,44,92,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,10,33,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,10,33,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 74,32,19,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 74,32,19,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,95,01,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,95,01,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 37,02,34,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 37,02,34,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 22,20,40,47,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 22,20,40,47,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,31,95,29,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,31,95,29,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,51,55,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,51,55,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,21,49,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,21,49,43,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,70,92,20,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,70,92,20,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,59,26,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,59,26,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वष में अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 82,26,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 82,26,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 85,32,71,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 85,32,71,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-60, वन विभाग

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,53,45,86,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-60, वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,53,45,86,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,12,78,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,12,78,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्डस्, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रम्हा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,39,35,98,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,39,35,98,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग

होमगार्डस्, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रम्हा शंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,01,24,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,01,24,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,64,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,64,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,03,16,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,03,16,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,18,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,18,31,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, मनोरंजन कर मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 59,82,42,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 59,82,42,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,62,54,63,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,62,54,63,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 90,15,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 90,15,68,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,59,75,75,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,59,75,75,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,36,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,36,54,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,79,08,98,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,79,08,98,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,29,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,29,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(पतियाँ वितरित की गयी।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पुर: स्थापित करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह 20 फरवरी है। यह भी पहली बार हो रहा है कि फरवरी के महीने में पूरे वित्तीय वर्ष का बजट पास करने जा रहे है। बहुत दिनों के बाद यह स्थिति आयी है। हमको कुछ अपेक्षाएं है कि जितना सहयोग हमने दिया है तो यह आश्वासन आये कि 31 मार्च के बाद जो वित्तीय स्वीकृतियाँ है वह समय के अंदर जिलों में भेज दी जाये। वरना आम तौर से होता क्या है, जिला योजना आ जायेगी और जिला योजना भी इसी का हिस्सा है। इससे विकास कार्य नहीं हो पाता है और सारी की सारी कसरतें बेमानी हो जाती हैं। किसी प्रकार की कोई माफी सरकार के लिए नहीं बचें कि अमुक कारणों से हम वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं कर पाये, मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आये कि 30 अप्रैल तक 15 मई तक हम सारी स्वीकृतियां जारी कर देगें ताकि प्रदेश में विकास कार्य हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी की जिज्ञासा सही है और हम यह ख्वाईश करते रहे हैं कि ऐसा ही हो। जहां पुरानी खोई हुयी परिपाटियों को जिन्दा किया गया है, उसी तरह से यह भी होगा और हम यह भी चाहेंगें कि वित्तीय अनुशासन रहे और इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

31 मार्च, 2005 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2004-2005 के लिए 69128,59,20,000 रूपये का निकाला जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेगें, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 69128,59,20,000 रूपये (रुपये उनहत्तर हजार एक सौ अट्ठाइस करोड़ उनसठ लाख बीस हजार रूपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व	328748	300	329048
		पूंजी	...	...	0
02	आवास विभाग	राजस्व	452742	260140	712882
		पूंजी	150000	496220	646220
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	429552	400	429952
		पूंजी	...	...	0

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	184255	50	184305
		पूंजी	...	...	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	300316	...	300316
		पूंजी	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	360040	1	360041
		पूंजी	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	106433	...	106433
		पूंजी	...	...	0
08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व	560035	...	560035
		पूंजी	4457	...	4457
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व	15328097	2500	15330597
		पूंजी	6875950	...	6875950
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	647233	3907	651140
	(औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी	19100	...	19100
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	7397419	510	7397929
		पूंजी	595621	...	595621
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि	राजस्व	901568	...	901568
	विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य	राजस्व	10701075	1000	10702075
	विकास)	पूंजी	7095863	...	7095863
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	9778273	1	9778274
	(पंचायती राज)	पूंजी	5000	...	5000
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	2009261	250	2009511
		पूंजी	71487	...	71487
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध	राजस्व	135318	20	135338
	शाला विकास)	पूंजी	16000	...	16000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	271623	...	271623
		पूंजी	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	472047	104746	576793
		पूंजी	18000	154025	172025
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	41877	...	41877
		पूंजी	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	7290	117660	124950
		पूंजी	...	...	0

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	1067630	1800085	2867715
		पूंजी	35955831	9000050	44955881
22	खेल विभाग	राजस्व	179392	. . .	179392
		पूंजी	164014	. . .	164014
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	557335	1572	558907
		पूंजी	74812	2043	76855
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	339338	10284	349622
		पूंजी	. . .	49332	49332
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1125072	800	1125872
		पूंजी	472503	. . .	472503
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	24380867	5380	24386247
		पूंजी	1410031	2001	1412032
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	1381598	. . .	1381598
		पूंजी	12000	. . .	12000
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	603654	. . .	603654
		पूंजी	. . .	. . .	0
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	. . .	31677	31677
		पूंजी	. . .	. . .	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12879	. . .	12879
		पूंजी	. . .	. . .	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	2533215	25	2533240
		पूंजी	20007	. . .	20007
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	9186918	700	9187618
		पूंजी	1250437	. . .	1250437
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	1375950	. . .	1375950
		पूंजी	7000	. . .	7000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	618090	25	618115
		पूंजी	29200	. . .	29200
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	5935138	300	5935438
		पूंजी	33500	. . .	33500
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	1946943	700	1947643
		पूंजी	. . .	. . .	0

* भारत विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	2369544	...	2369544
		पूंजी	1126940	...	1126940
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	66278	...	66278
		पूंजी	25000	...	25000
39	भाषा विभाग	राजस्व	38244	...	38244
		पूंजी	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व	403354	...	403354
		पूंजी	5700000	...	5700000
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	743219	...	743219
		पूंजी	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व	2930062	527963	3458025
		पूंजी	300000	...	300000
43	परिवहन विभाग	राजस्व	315426	...	315426
		पूंजी	...	...	0
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	63156	...	63156
		पूंजी	39919	...	39919
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	825462	...	825462
		पूंजी	800001	...	800001
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	11743	...	11743
		पूंजी	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1293251	102	1293353
		पूंजी	26278	...	26278
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1727269	205	1727474
		पूंजी	62500	...	62500
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	3933202	...	3933202
		पूंजी	5525	...	5525
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1971087	350	1971437
		पूंजी	53000	...	53000
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	1779009	1778100	3557109
		पूंजी	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6852607	13585	6866192
		पूंजी	1399	1052	2451
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1564	...	1564
		पूंजी	100	...	100

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5355061	400	5355461
		पूंजी	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	410430	15395	425825
		पूंजी	205457	2	205459
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्व	40000	...	40000
		पूंजी	1051821	...	1051821
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्व	6284093	500	6284593
		पूंजी	9390324	55000	9445324
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	212451	...	212451
		पूंजी	50002	...	50002
60	वन विभाग	राजस्व	1220480	870	1221350
		पूंजी	314106	...	314106
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	19648690	132450916	152099606
		पूंजी	580001	154433510	155013511
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	31614062	34937	31648999
		पूंजी	...	...	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	603731	650	604381
		पूंजी	...	...	0
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	6676	...	6676
		पूंजी	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व	628850	...	628850
		पूंजी	...	...	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	8914	1067185	1076099
		पूंजी	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	101186	3160	104346
		पूंजी	4485	...	4485
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	233126	5017	238143
		पूंजी	11002	...	11002
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	159501	...	159501
		पूंजी	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	43709218	...	43709218
		पूंजी	2	...	2
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	20445567	270	20445837
		पूंजी	70001	...	70001

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	5174943	25	5174968
		पूंजी	40000	...	40000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	435926	...	435926
		पूंजी	...	...	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	822656	...	822656
		पूंजी	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	834676	...	834676
		पूंजी	18595	...	18595
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1543180	...	1543180
		पूंजी	...	...	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	1051697	...	1051697
		पूंजी	47705	...	47705
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	6335570	...	6335570
		पूंजी	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	102836	10	102846
		पूंजी	36637	...	36637
82	सतर्कता विभग	राजस्व	114849	8335	123184
		पूंजी	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	8986919	...	8986919
		पूंजी	4147164	...	4147164
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	4029	...	4029
		पूंजी	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	14406	...	14406
		पूंजी	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व	237065	...	237065
		पूंजी	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	165124	10	165134
		पूंजी	5000	...	5000
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	18621	...	18621
		पूंजी	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	1856513	1002	1857515
		पूंजी	68418	...	68418
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	121831	...	121831
		पूंजी	...	...	0

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	598242	12	598254
		पूंजी	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	113401	5	113406
		पूंजी	10850	...	10850
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5926855	2000	5928855
		पूंजी	995188	...	995188
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	2597983	3819278	6417261
		पूंजी	10790081	40000	10830081
	योग	राजस्व	294721056	142073315	436794371
		पूंजी	90258314	164233235	254491549
	कुल योग :		384979370	306306550	691285920

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 पारित किया जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 20 फरवरी, 2004 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं, पहली सूचना श्री कल्याण सिंह दोहरे की, जो राज्य खनिज विकास निगम के छटनीशुदा कर्मचारियों को शासनादेश के विरूद्ध सूडा के अधिकारियों द्वारा वेतन आदि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ शहर के आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा की, जो जनपद फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर में टोन्स नदी के पानी को मिलों द्वारा गन्दा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री फागू चौहान की, जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के

उत्तर-पूर्व अंचल कार्यालय में व्याप्त गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की, जो मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठवीं सूचना श्री घूराराम की, जो जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में गाढ़ा ताल व टौंस नदी के बाढ़ से बचाने हेतु पक्का ड्रेन बनाये जाने के संबंध में हैं, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की, जो जनपद बलिया के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पकड़ीताल से निकलने वाली ड्रेन की खुदाई किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई की, जो मेरठ महानगर में महामहिम राज्यपाल द्वारा किये गये शिलान्यास के स्थान पर मूर्तियों की स्थापना किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हई। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की, जो जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा की, जो कालपी क्षेत्र की मैनपुर पम्प कैनाल तथा चन्दरसी के पम्प कैनाल के स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री काशीराम की, जो जनपद फैजाबाद के ग्राम सभा भियॉव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क को रोके जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री प्रागीलाल अहिरवार की, जो जनपद झॉसी की मऊरानीपुर में निर्माणाधीन किसान दुकान एवं मण्डी परिषद् के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जॉच के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की, जो जनपद बहराइच के जिलापूर्ति कार्यालय में तैनात लिपिक कर्मी द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता किये जाने के संबंध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, जो जनपद लखनऊ के थाना महानगर में आई0ए0एस0 अधिकारी तथा उनके लड़के के विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पन्द्रहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' की, जो जनपद हरदोई में ग्राम सभा ककरघटा में सम्पर्क मार्ग पर किये जा रहे अतिक्रमण के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की, जो जनपद हरदोई के कस्बा साण्डी में राजकीय महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी दवाइयॉ उपलब्ध न होने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सत्रहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की, जो जनपद गोण्डा के कटरा बाजार अन्तर्गत जिला योजना में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकृत हुई, श्री राम हेत, श्री रमेश चन्द बिन्द, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बीजू पटनायक, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री मो0 इरशाद खॉ तथा एक अन्य सदस्य जिनके हस्ताक्षर अपठनीय हैं।

जनपद मुजफ्फर नगर की तहसील कैराना में भू-माफियाओं एवं स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम समाज की हजारों बीघा जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में यह अवगत कराया गया है कि ग्राम इसापुर खुरगान की 133.720 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से फसल बो लिया है, यह अनाधिकृत कब्जा आवंटन की आड़ में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किया गया है। ग्राम सभा इसापुर खुरगान में दिनांक 20-10-96 को आवंटन प्रस्ताव पारित किया गया था। आवंटन प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति श्री सुखलाल शर्मा तत्कालीन लेखपाल द्वारा दिनांक 20-10-96 को व श्री ब्रह्मप्रकाश राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 16-11-96 को की गयी। श्री आर0एन0 तिवारी तहसीलदार कैराना द्वारा उक्त संस्तुति को निरस्त करने की संस्तुति की गयी थी जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी कैराना श्री राजेश कुमार सिंह ने अपने आदेश दिनांक 16-11-2000 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। संस्तुति कर्ता लेखपाल को अन्य प्रकरण में सेवा से पृथक किया जा चुका है तथा राजस्व निरीक्षक को भी निलम्बित कर दिया गया था। उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी मेरठ को पूर्व में ही लिखा गया था।

उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16-11-2000 के विरूद्ध मा0 राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानी योजित की गयी। मा0 राजस्व परिषद् ने अपने आदेश दिनांक 3-5-02 के द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16-11-2000 को निरस्त कर दिया। मा0 राजस्व परिषद् ने अपने आदेश में उपजिलाधिकारी कैराना को यह भी निर्देशित किया है कि आवंटन प्रस्ताव दिनांक 20-10-96 के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

उपजिलाधिकारी कैराना ने मा0 राजस्व परिषद् मेरठ कैम्प के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण पर पुन: विचार कर दिनांक 13-2-2004 को आदेश पारित किया है जिसके अनुसार भू0प्र0स0 द्वारा किया गया आवंटन प्रस्ताव दिनांक 20-10-96 प्रथम दृष्टया संदिग्ध पात्रतायुक्त होने, प्रक्रिया विरूद्ध होने, व अत्यन्त काल बाधित होने के कारण अस्वीकृत करते हुए शून्य प्रभावी घोषित कर दिया गया है।

भू-आवंटन प्रस्ताव अनियमित रूप से तैयार करने व राजस्व अभिलेख में फर्जी इन्द्राज करने के संबंध में सम्बन्धित लेखपाल श्री सुखपाल शर्मा को विभागीय कार्यवाही के उपरान्त बर्खास्त कर दिया गया तथा उसके विरूद्ध समुचित विधिक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी।

अनाधिकृत कब्जेदारों का सर्वेक्षण तहसीलदार के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग के दस लेखपालों की टीम द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही ऐसे सभी अवैध कब्जेदारों को बेदखल करते हुए उनके विरूद्ध समुचित विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा उपजिलाधिकारी कैराना को दे दिये गये हैं।]

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कुल भूमि 133 हेक्टेयर है जिस पर 60 हेक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा माना गया है और यह 1996 से माना गया है। तो मेरा कहना है जिन लोगों ने पिछले 8 सालों से कब्जा किया हुआ है तो उनसे उस अवधि का भुगतान भी लिया जायेगा, अनाधिकृत कब्जे का और दूसरे, जो बाकी भूमि बची है उस पर भी अनाधिकृत कब्जा है। जो तथ्य इसमें प्रस्तुत किये गये हैं वह गलत हैं। तो बाकी के बारे में भी जॉच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन सदन में देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है लेखपाल को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनके विरूद्ध आपराधिक कृत्य के लिए एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में कानूनगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

मान्यवर, माननीय राजस्व परिषद् के रिवीजन में जो फैसला किया था उसके कारण इसमें इतनी देरी हुई है। मैं माननीय हुकुम सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जॉच करने के बाद भी जो तथ्य हैं वह संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। रिवीजन के आर्डर में भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन ने जो इसमें जॉच की है उसमें प्रतीत होता है। मान्यवर, हम इस रिपोर्ट को अन्तिम नहीं मानते हैं इसमें विस्तृत जॉच करा लेंगे और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाई करेंगे।

श्री हुकुम सिह-

मान्यवर, इसमें जघन्य अपराध किया गया है ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को इस तरीके से दुरूपयोग किया गया है। इसमें एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी और केस चार्जशीट में चला गया। सेशन में केस चला गया। अभी तक एक साल से स्थानीय पुलिस वारन्ट तामील नहीं कर रही है। उसको आप देखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अब इसमें कानून सम्मत पूरी कार्यवाई होगी।

नोयडा में कराये गये कार्यो की जांच के लिए नियुक्त पूर्व जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट को सदन में रखने के सम्बन्ध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

[श्री टी0 जार्ज जोसेफ सदस्य, राजस्व परिषद् को नोएडा/ग्रेटर नोएडा के भूमि आवंटन संबंधी शिकायतों की जांच हेतु नियुक्त किया गया था। श्री टी0 जार्ज जोसेफ द्वारा जांच कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कर अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करनी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गयी। उनके द्वारा एक पत्र भेजते हुए जांच पूरी करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी, जिसको सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए जांच हेतु श्री बृजेश कुमार, तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को शासन द्वारा नियुक्त किया गया। श्री जोसेफ का पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी श्री बृजेश कुमार को भेज दिया गया है।

जांच कार्य रूका नहीं हुआ है। मात्र जांच अधिकारी शासन द्वारा बदल दिया गया था। वर्तमान में श्री विजय शंकर माथुर, भूतपूर्व सतर्कता आयुक्त को शासनादेश संख्या-100/77-4-2004-7 भा0/2004 दिनांक 25 जनवरी, 2004 द्वारा नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्यो/भू-आवंटन में अनियमितताओं के समस्त प्रकरण जिसमें अप्पूघर का प्रकरण भी शामिल है तथा अनियमितताओं के संबंध में तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु तीन माह के लिये नियुक्त किया गया है। प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न जनहित याचिकाएं भी लंबित हैं।]

जनपद शाहजहांपुर में भूमि की बिक्री में जिलाधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क में दोहरे मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[माननीय विधायक, श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 16-2-2004 को नोटिस दी गई है कि जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पत्ति का क्रय विक्रय जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। शाहजहॉपुर जनपद में भी किसी नागरिक के द्वारा किसी सम्पत्ति को क्रय-विक्रय करने में सर्किल रेट का 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, परन्तु शाहजहांपुर जनपद में एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागू है कि यदि क्रेता की किस्म बदल जाय तो स्टाम्प शुल्क दूना हो जाता है अर्थात् एक ही सम्पत्ति को यदि सुरेश कुमार खन्ना क्रय करते हैं तो सर्किल रेट का 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा, यदि सुरेश कुमार खन्ना एण्ड कम्पनी या मेसर्स सुरेश कुमार खन्ना उसी सम्पत्ति को क्रय करते हैं तो स्टाम्प शुल्क 20 प्रतिशत हो जाता है जो नियमों के विरूद्ध है। सरकारी अधिकारियों के द्वारा जनपद शाहजहांपुर में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना नियम विरूद्ध है। जनहित में इसको तत्काल रोका जाना चाहिये।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य की अपेक्षानुसार जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को इस सम्बन्ध में उक्त रेट लिस्ट को संशोधित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[लोक सेवा आयोग,उ0प्र0 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अवर अभियन्ता पद के अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरांचल राज्य में नियुक्ति प्राप्त करने हेतु रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल में योजित की गई थी, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश दिनांक 06-11-2001 द्वारा याचिकाएं स्वीकार करते हुए, इन चयनित अभ्यर्थियों को उत्तरांचल राज्य में नियुक्तियॉ प्रदान करने के आदेश दिए गये थे किन्तु उत्तरांचल शासन द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिकाएं योजित की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05-6-2003 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश 06-11-2001 को अपास्त करते हुए यह संवीक्षा की गई कि उ0प्र0 सरकार चाहे तो उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इस संबंध में विचार किया गया और कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन, जो इस विषय पर सामान्य नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित है, द्वारा पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उ0प्र0 राज्य में नियुक्ति प्रदान न करने का निर्णय लिया गया।

इस सन्दर्भ में पर्वतीय क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पुन: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकायें दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-36164/2003 राजकुमार शर्मा व अन्य बनाम राज्य में अपने आदेश दिनांक 19-11-2003 के द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को तीन माह में निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय लेकर लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया जायेगा तथा तद्नुसार यथा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, आइटम नं0 21 में मेरे नाम पर एक वक्तव्य दिया जाने वाला था। मैंने नियम 51 में सूचना दी थी, वह इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने कहा।

श्री अधिष्ठाता-

वह भिजवा रहा हूँ।

जनपद झांसी में भा0ज0पा0 कार्यकर्ता श्री बाबू लाल जैन के हत्यारों को गिरफ्तार किये जाने हेतु श्री प्रागी लाल अहिरवार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झॉसी से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 13-2-04 को श्री संजय कुमार जैन निवासी पड़रा थाना कटेरा जनपद झांसी ने थाना कटेरा में सूचना अंकित कराया कि उसके चाचा श्री बाबू लाल जैन मोटरसाइकिल से सौदा लेने मऊरानीपुर गये थे। घर पर उनका इन्तजार कर रहे थे, तभी गांव के चिमन ढीमर ने आकर बताया कि उसके चाचा की लाश पथरौली के पास पड़ी है चेहरे और गर्दन पर घाव है खून बह रहा है। सूचना के आधार पर समय 18.10 बजे मु0अ0सं0 49/2004 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी से प्राप्त फैक्स दिनांक 19-02-2004 के अनुसार दिनांक 13-2-2004 को थाना कटेरा अन्तर्गत श्री बाबू लाल जैन की हत्या की घटना के सम्बन्ध में विवेचना से अब तक दो अभियुक्त भजन लाल पुत्र मुँगा लाल यादव एवं मुन्ना यादव पुत्र चिप्पू यादव निवासीगणी पडरा थाना कटेरा को दिनांक 18-02-04 को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विवेचना जारी है।

2-दिनांक 13-02-2004 को प्रात: 8.30 बजे श्री घासीराम पुत्र मंजूराम निवासी सौनकपुरा थाना लहचुना ने आकर सूचना अंकित करायी कि दिनांक 12/13-02-04 की रात्रि मेरे भाई चेतराम की दुकान पर जब वह चारपाई पर लेटा था, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर पर चोट पहुँचाकर हत्या कर दी गयी। सूचना के आधार पर थाना लहचुरा के आधार पर मु0अ0सं0 19/2004 अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। घटना का अनावरण करने व अभियुक्तों का पता लगाने का प्रयास जारी है।

3-दिनांक 12-12-03 को समय 22.30 बजे श्री मातादीन पुत्र श्री पारीक्षित अहिरवार निवासी बड़ागांव थाना मऊरानीपुर, झाँसी ने थाना मऊरानीपुर पर सूचना अंकित करायी कि उनके पिता व भगवान सिंह आदि के मध्य उधार के पैसे मांगने पर विवाद व मारपीट हुआ जिसमें उसके पिता को चोटें आई। उक्त सूचना पर थाना मऊरानीपुर में मु0अ0सं0 1167/03 धारा 323/504/506/324 भा0द0वि0 व एससी/एसटी एक्ट बनाम भगवान सिंह व पित्तू राजा उर्फ प्रतिपाल सिंह निवासीगण बडागांव थाना मऊरानीपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मजरूफ की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 17-12-03 को उक्त अभियोग धारा 304 भा0दं0वि0 को एस0सी0/एस0टी0 में तरमीम किया गया। नामजद अभियुक्त भगवान सिंह व पित्तू राजा को दिनांक 20-12-03 को गिरफ्तार कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दिनांक 22-12-03 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

4-दिनांक 7-1-2004 को श्री चन्द्रशेखर पुत्र तातीराम यादव निवासी धनेई कस्या व थाना गुरसराय, झाँसी ने सूचना अंकित कराया कि मेरा पुत्र जितेन्द्र प्रताप और भतीजा संतोष यादव, ठेकेदार के निधर पर शोक संवेदना व्यक्त कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में सोहनलाल अहिरवार, रामलाल अहिरवार, वारे, सन्तोष, प्रकाश, महेश, जगदीश, राजू, मुन्नालाल ने बन्दूक तमन्चा, लाठी डण्डा आदि को लेकर सन्तोष को गाली देते हुए कहा कि बड़े नेता बनते हो, मना करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से फायर कर दिया तथा लाइसेन्सी बन्दूक डी0बी0बी0एल0, घड़ी, सोने की जंजीर व 752 रूपये नकद छीन लिये। सूचना के आधार पर थाना गुरसराय में मु0अ0सं0-6/2004 धारा 395/397/307/504/427 भा0 द0 वि0 व 7 कि0ला0 एक्ट बनाम सोहन लाल आदि 9 नफर उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। विवेचना से नामजद 9 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूटी गयी लाईसेन्सी बन्दूक बरामद की गयी। घटना में प्रयुक्त बन्दूक की निरस्तीकरण आख्या जिलाधिकारी झाँसी को प्रेषित की गयी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। सोहनलाल आदि के द्वारा ही यह घटना की गयी है, उनके साथ कोई घटना नही हुई है।

दिनांक 13-2-2004 को वादी मुकदमा श्री रामकृष्ण पुत्र श्री चोरेलाल निवासी ग्राम नजरगंज थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी ने थाना टोड़ीफतेहपुर में सूचित किया कि दिनांक 5-2-2004 को धनीराम पुत्र रामदयाल व मुकेश पुत्र घन्सू अहीर निवासीगण सिजारा थाना उल्दन झाँसी, मेरी लड़की कु0 रेखा उम्र 14 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले गये। इस सूचना पर थाना टोड़ीफतेहपुर में मु0अ0सं0-55/2004 धारा 363/366 भा0दं0वि0 बनाम धनीराम आदि 2 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

हत्या की घटनायें आपसी रंजिश का परिणाम है, अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। यह कहना सत्य नहीं है कि मऊरानीपुर विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें चरम सीमा पर है।

कानून व्यवस्था की कहीं पर कोई समस्या पूरे विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न नहीं है। जंगल राज एवं अपराधी राज होने की बात भी सत्य नहीं है।]

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, मैं पूँछना चाहता हूं कि दो अपराधी पकड़े गये हैं और बाकी खुलेआम घूम रहे हैं उनको कब तक पकड़ा जायेगा? दूसरे पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मॉग की है उसमें आपने क्या कार्रवाई की है?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, चन्द्रशेखर निवासी धेनई थाना व कस्बा गुरसराय, इन्होंने सूचना अंकित कराया कि मेरा पुत्र जितेन्द्र प्रताप और भतीजा संतोष यादव, ठेकेदार के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में सोहन लाल अहिरवार, राम लाल अहिरवार, वारे, संतोष, प्रकाश महेश, जगदीश, राजू, मुन्ना लाल ने बन्दूक तमन्चा लाठी, डण्डा आदि को लेकर संतोष को गाली देते हुए कहा कि बड़े नेता बनते हो और जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। लाइसेंसी बन्दूक डी0बी0बी0एल0, घड़ी, सोने की जंजीर व 752 रूपये नकद छीनने की शिकायत थी। इसमें धारा 395/397/307/504/427 भा0दं0वि0 व 7 कि0ला0 एक्ट जो काफी गम्भीर धारा है, यह भी इसमें लगायी गयी है और मुकदमा पंजीकृत हो गया है।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, इसमें दो अपराधी पकड़े गये हैं और बाकी को पकड़ने के लिए क्या कोशिश की गयी है? बाकी अपराधी कब तक पकड़े जायेंगे और बाबू लाल जैन के परिवार की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गयी है?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, शासन प्रशासन ने इसको काफी गम्भीरता से लिया है और उनकी सक्रियता के कारण ही दो लोग पकड़े गये हैं और बाकी की तलाश जारी है। सदन के बाद इसमें काफी तेजी आयेगी। सुरक्षा की तलाश प्रशासन जागरूक है और सुरक्षा रहेगी।

जनपद इलाहाबाद में गत वर्ष स्वीकृत विकास कार्यों की अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 2004 का निम्नानुसार सूचना दी है:-

"इलाहाबाद जनपद को योजना वर्ष 2003-04 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 42 करोड़ 2 लाख रूपये स्वीकृत किये गये थे। इसमें से अभी तक मात्र 22% धनराशि 8 करोड 29 लाख 52 हजार रू0 ही अवमुक्त किये गये हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में डेढ़ महीने रह गया है और अभी 18 विभागों को एक पैसा का भी बजट नहीं मिला है। सामुदायिक विकास, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, हथकरघा, सुखोन्मुख कार्यक्रम, पूरक पुष्टाहार, पूल्डआबास पिछड़ी जाति कल्याण, खेलकूद, शिल्पकार प्रशिक्षण, सेवायोजन, अर्थ एवं संख्या, लोकनिर्माण पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, होम्योपैथ एवं आयुर्वेद विभागों को अभी तक एक पैसे का भी बजट अवमुक्त नहीं किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण एवं सड़कों का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में दवाओं का अभाव है।

शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के लिए धनराशि अवमुक्त न होने के कारण जनपद बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।"

2-उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि सूचना में उल्लिखित विभागों से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है। जहां तक नगर विकास विभाग का संबंध है, इस विभाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद नगर के लिए कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-यह भी अवगत कराना है कि 74 वां संविधान संशोधन के अन्तर्गत उपबन्धित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से नागर निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नागर निकायों को प्रदेश के राजस्व का 7.5 प्रतिशत धनराशि उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर संक्रमित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में इलाहाबाद जनपद में स्थित नागर निकायों को निम्नानुसार राज्य वित्त आयोग तथा 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त की गयी है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	नागर निकाय	राज्य वित्त आयोग	11वां वित्त आयोग
1.	नगर निगम, इलाहाबाद	1798.71	77.90
2.	नगर पंचायत, लालगोपालगंज	30.32	1.16
3.	नगर पंचायत, मऊआइमा	18.08	0.69
4.	नगर पंचायत, फूलपुर	20.13	0.77
5.	नगर पंचायत, झूंसी	13.85	0.53
6.	नगर पंचायत, हंडिया	18.12	0.70
7.	नगर पंचायत, सिरसा	10.96	0.42
8.	नगर पंचायत, भारतगंज	15.43	0.59
9.	नगर पंचायत, कोरांव	9.59	0.37
10.	नगर पंचायत, शंकरगढ	13.76	053
11.	नगर पंचायत, चायल	9.89	038
12.	नगर पंचायत, भरवारी	13.05	0.50
13.	नगर पंचायत, सराय आकिल	14.21	0.55
14.	नगर पंचायत, सिराथू	18.87	0.72
15.	नगर पंचायत, अझुवा	24.89	1.00
16.	नगर पंचायत, मंझनपुर	9.74	0.37
17.	नगर पंचायत, करारी	10.30	0.40
	योग -	2049.90	87.58

जनपद अम्बेडकर नगर के कठमोरवा ग्राम में नाबालिग लड़की के अपहरणकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[माननीय सदस्य, विधान सभा श्री सुखदेव राजभर द्वारा दिनांक 17-02-2004 को नियम-56 के अन्तर्गत नोटिस देते हुए यह अवगत कराया गया था कि ग्राम कठमोड़वा, थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर (फैजाबाद) निवासी एवं जूनियर हाईस्कूल की छात्रा कु0 सुमन जोकि दिनांक 29-1-2004 को विद्यालय जा रही थी, लगभग 10 बजे गड़बड़ चौराहे के पास से चन्द्रदेव द्वारा बहला-फुसला कर ले जायी गयी है। लड़की वापस नही आयी है एवं स्थानीय पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है और न ही कोई प्रयास कर रही है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत न करने का आरोप असत्य है। वादी श्री प्रहलाद पुत्र श्री धनेशर निवासी कठमोडवा, थाना राजेसुल्तानपुर ने दिनांक 11-02-04 को लिखित सूचना दिया कि मेरी लड़की कु0 सुमन उम्र 16 वर्ष

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को मेरे ही गांव के चन्द्रदेव पुत्र रामजीत ने बहला-फुसलाकर दिनांक 29-1-04 को दिन में लगभग 10.00 बजे स्कूल से दवा लेने के बहाने बढ़वल चौराहे से अपने साथ लेकर चला गया। वादी की इस सूचना पर थाने पर दिनांक 11-02-04 को मुकदमा अपराध संख्या-13/04 धारा 363/366 भा0दं0वि0 विरूद्ध चन्द्रदेव पुत्र रामजीत उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की बरामदगी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही हैं। दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति के हैं। किसी प्रकार का तनाव नही है।]

जनपद महराजगंज में पानी की टंकी एवं पाइप लाइन के निर्माण हेतु वर्ष 1999 में स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[माननीय विधायक द्वारा विधान सभा के अन्तर्गत नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह विषय उठाया गया है कि जनपद महराजगंज के ग्राम ठूठीबारी एवं मिठौरा में वर्ष 1999-2000 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकृत दो अलग-अलग ग्रामीण समूह पेयजल योजनाओं की अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

2-उल्लेखनीय है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के अन्तर्गत ठूठीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रू0 86.161 लाख तथा विकास खण्ड मिठौरा के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना, अनुमानित लागत रू0 75.817 लाख वर्ष 1999-2000 में विरचित की गई थी।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक योजना हेतु रू0 10-10 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिससे एक-एक नलकूप का निर्माण कराकर धनराशि व्यय कर ली गई है।

3-वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2003-2004 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों योजनाओं के लिए मॉगी गयी धनराशि का जिला समन्वय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण योजनाओं के शेष कार्य पूर्ण नहीं कराए जा सके। पुन: वर्ष 2004-05 की जिला योजना के अन्तर्गत मिठौरा ग्राम समूह पेयजल योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 65.817 लाख का प्रस्ताव जिला समन्वय समिति के समक्ष रखा गया था, जिसके सापेक्ष जिला समन्वय समिति द्वारा रू0 30.00 लाख का अनुमोदन किया गया है। ठूंठीबारी ग्राम समूह पेयजल योजना के शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 76.161 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राविधानित किया जाना प्रस्तावित है।]

जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री सड़क योजना में स्वीकृत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्गो का निर्माण पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम शुक्ला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[श्री घनश्याम शुक्ला माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 16-2-04 में प्रमुख रूप से यह सूचना दी है कि जनपद गोण्डा के निर्वाचन क्षेत्र मुजेहना में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2001-02 में स्वीकृत दो सम्पर्क मार्गो को संबंधित ठेकेदार सूरज कान्ट्रक्शन द्वारा समय से पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता के आवागमन में भारी समस्यायें है। कार्य पूर्ण न होने से जनपद की रू0 25.00 करोड़ लागत की दो दर्जन सड़कों का टेण्डर नहीं हो पा रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा इंगित बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि गोण्डा में निर्वाचन क्षेत्र मुजेहना के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2001-2002 में लोनावा दरगाह से सिसई जंगल एवं सम्पर्क मार्ग बौरिहा स्वीकृत हुये हैं।

लोनावा दरगाह से सिसई जंगल सम्पर्क मार्ग की निविदा श्री सूरज सिंह, ठेकेदार ग्राम बल्लीपुर, नवाबगंज, गोण्डा के नाम स्वीकृत हुआ तथा श्री सूरज सिंह के नाम अनुबंध बनाया गया। भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका के अनुसार सड़क पूर्ण कराये जाने हेतु 9 माह समय दिये जाने का प्राविधान है। कार्य प्रारम्भ कराये जाने की तिथि दिनांक 25-6-2002 तथा कार्य पूर्ण कराने की तिथि दिनांक 24-3-2003 निर्धारित थी। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न करा पाने के कारण अनुबन्ध की शर्तें के अन्तर्गत दिनांक 24-3-2004 तक की अतिरिक्त समयवृद्धि हेतु यांचना की गई, जो सम्प्रति विचाराधीन है। इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.25 कि0मी0 है तथा लागत रू0 51.58 लाख है, जिसमें प्रथम कोट गिट्टी कार्य पूर्ण हो गया है तथा द्वितीय कोट में एक कि0मी0 कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 1.25 कि0मी0 लम्बाई में द्वितीय कोट तथा 2.25 कि0मी0 लम्बाई में पेन्टिग कार्य अवशेष है। मार्ग की लागत के सापेक्ष रू0 33.75 लाख का कार्य पूर्ण हो गया है तथा रू0 24.30 लाख का भुगतान हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

बौरिहा सम्पर्क मार्ग का अनुबन्ध भी श्री सूरज सिंह, ठेकेदार के नाम बनाया गया था, जिसमें कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि 30-7-2002 एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की तिथि 29-4-2003 निर्धारित थी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कराने हेतु दिनांक 29-4-2004 तक की अतिरिक्त समयवृद्धि की याचना की गई है, जो सम्प्रति विचाराधीन है। इस सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.70 कि0मी0 तथा लागत रू0 66.30 लाख है, जिसमें से 900 मीटर पर दो कोट गिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 1.80 कि0मी0 मार्ग का कार्य प्रगति पर है। मार्ग की लागत के सापेक्ष रू0 39.95 लाख का कार्य पूर्ण हो गया है तथा रू0 19.82 लाख का भुगतान हो गया है।

वर्ष 2003-04 में जनपद गोण्डा में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रू0 24.77 करोड़ के 36 सम्पर्क मार्गो की लम्बाई 84.74 कि0मी0 के कार्य प्रस्तावित है, जिस पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2001-02 के उपरोक्त दो सम्पर्क मार्गो के पूर्ण न होने से वित्तीय वर्ष 2003-04 के स्वीकृत मार्गो के टेण्डर आमंत्रण की प्रक्रिया का न तो कोई संबंध है और न ही इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। योजनान्तर्गत विकास कार्य कराये जा रहे है।]

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत एक कान्टेक्टर को ठेका दिया गया था। 24-03 तक ठेकेदार को अपना काम पूरा कर देना चाहिए था लेकिन उसने पूरा नही किया उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। हमारा जिला ऐसा है कि उसका टेन्डर नहीं हो रहा है। जबतक जिले से यहां कम्पलायन्स रिपोर्ट नहीं जायेगी मान्यवर, 25 करोड़ का टेन्डर हमारे जिले में पड़ना बाकी है जब तक कम्पलायन्स रिपोर्ट जिले से नहीं जायेगी तब तक उस क्षेत्र का टेन्डर नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। सड़क रूकी हुई है, गम्भीर विषय है, इस पर मैं जवाब चाहता हूं कि क्या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे, क्या विभाग के खिलाफ कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे अगर कार्रवाई करने की बात होगी तो हो जायेगी इसमें कुछ काम का ठेका नहीं हुआ है।

श्री घनश्याम शुक्ला-

पूरे काम का ठेका हो गया है।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत में दैवीय आपदा में मृत पशुओं की क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मान्यवर, जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम सोसापट्टी में दि0 13 फरवरी, 2004 को हुये अग्निकाण्ड में मृतक पशुओं की क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री लाल चन्द यादव पुत्र श्री राम सेवक यादव को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आपदा राहत निधि से सहायता वितरित की जाती है, जिसके अन्तर्गत अग्निकाण्ड से पीड़ित (लघु एवं सीमान्त कृषक/खेतिहर मजदूर) पशु मालिकों/व्यक्तियों को उनके पशुओं की मृत्यु पर राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार दैवी आपदा से मृत पशुओं के मालिकों को "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत बैंक द्वारा निर्धारित परियोजना लागत के बराबर धनराशि राहत के रूप में अनुमन्य है। यदि बछड़े, बछिया, पाड़ा, पड़िया आदि बाल पशुओं की मृत्यु होती है, जिनकी परियोजना लागत बैंक द्वारा निर्धारित नहीं है, ऐसी दशा में पशुओं के लिये निर्धारित दर से आधी दर पर राहत अनुमन्य की गयी है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग दर्शन के क्रम में शासन के पत्र सं0-1973/1-11-2003-रा0-11-46/96, दि0 13 सितम्बर, 2003 तथा पत्र सं0-1973(1)/1-11-2003-46/96, दि0 13 सितम्बर, 2003 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं।

2-प्रश्नगत प्रकरण में दिशा-निर्देशानुसार पशु हानि पर क्षतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है, अपितु राहत सहायता वितरित किया जाना अनमुन्य है। जिलाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि प्रकरण में कराये गये स्थलीय निरीक्षण से यह पाया गया है कि उक्त अग्निकाण्ड में 01 भैंस तथा 01 पड़िया की दि0 13-02-2004 को घटना के समय ही मृत्यु हो गयी। श्री यादव को नियमानुसार एक भैंस की मृत्यु पर परियोजना लागत के अनुसार रू0 13,000/- तथा एक पड़िया की मृत्यु पर रू0 6,500/- अर्थात् कुल रू0 19,500/- की धनराशि अनुग्रह सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त 11 पशु और जल गये थे, जिनका उपचार चल रहा था, उनमें से 03 भैंस के बच्चों की दिनांक 15 फरवरी, 2004 को मृत्यु हो गयी है। इनके संबंध में राहत प्रदान करने की कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है। शेष पशुओं का उपचार चल रहा है।]

जनपद गोण्डा में बन्द पड़ी चीनी मिल पर किसानों के बकाये का भुगतान कराने तथा मिल को चालू कराने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दूबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

[जनपद गोण्डा में स्थित मैजापुर चीनी मिल निजी क्षेत्र की 2500 टी0सी0डी0 क्षमता की चीनी मिल है। चीनी मिल ने अपना प्रथम पेराई सत्र 1997-98 में प्रारम्भ किया तथा निरन्तर 5 वर्षो तक पेराई का कार्य किया। मिल पेराई सत्र 2002-03 से बन्द है। मिल का गत तीन पेराई सत्रों का शुगर स्टाक 148239 बोरे हैं जिसका कुल मूल्य रू0 1818 करोड़ सूचित किया गया है।

मिल पर पेराई सत्र 2001-02 का 1538.14 लाख रुपये तथा 2000-01 एवं 2002001-02 पेराई सत्र का 33.18 लाख रुपये गन्ना विकास कमीशन अवशेष है। मिल के विरूद्ध अवशेष की वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र दिनॉक 12-8-2002 को जारी कर जिलाधिकारी गोण्डा को भेजा गया। इस वसूली प्रमाण-पत्र पर मिल के बैंकर इलाहाबाद बैंक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9-5-2003 द्वारा चीनी की नीलामी करके प्राप्त धनराशि को सावधि पत्र में विनियोजित करके मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के पक्ष में याचिका के निस्तारण तक जमा करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मिल के स्टाक के नीलामी दिनांक 25-7-2003 को सम्पन्न हुई। नीलामी के दौरान विभिन्न कम्पनियों/व्यक्तियों द्वारा बोली लगायी गयी जिसका कुल मूल्यांकन 18-18 करोड़ रुपये सूचित किया गया है। शीरे की नीलामी से 32,76,424.00 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग अवशेष गन्ना मूल्य के लिए किये जाने की सूचना है।

चीनी मिल की समस्याओं पर विचार करने हेतु शासन स्तर पर दिनांक 20-12-2003 की एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें जिलाधिकारी, गोण्डा, ए0जी0एम0 इलाहाबाद बैंक, अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, इण्डोगल्फ इण्डस्ट्रीज, अध्यासी कनोरिया शुगर, उप गन्ना आयुक्त, मुख्यालय के अतिरिक्त मा0 विधायक श्री बैजनाथ दूबे भी विशेष आमंत्री के रुप में उपस्थित हुए। विचार विमर्श के उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये :-

1. अध्यासी मैजापुर चीनी मिल सर्वप्रथम अपने देनदारों से यह तय कर लें कि देनदारियों के सम्बन्ध में किस प्रकार से धनराशि की अदायगी उनके द्वारा की जायेगी।
2. जहाँ तक गन्ना मूल्य का प्रश्न है, अध्यासी गन्ना किसानों/समितियों से वार्ता करके यह तय कर लें कि वह बकाया गन्ना मूल्य जो लगभग रु0 1880.00 लाख है का भुगतान किस प्रकार से किसानों को करेंगे एवं यदि मिल चलायी जाये तो उक्त बकाये की स्थिति में किसान उन्हें आगे गन्ना देने को तैयार है। इस प्रकार का प्रस्ताव जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय।
3. मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश में शीघ्रातिशीघ्र चीनी की नीलामी करायी जाय।
4. चीनी की नीलामी के उपरान्त धनराशि को मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में जमा करने के निर्देश दिये हैं उचित होगा कि इलाहाबाद बैंक, अध्यासी एवं किसानों के प्रतिनिधियों की बीच यह तय हो जाये कि बिक्रीत चीनी में कितना अंश बैंक को एवं कितना अंश किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा अपने स्तर पर बैठक कर लें।

जिलाधिकारी, गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार मिल के अध्यक्ष एवं सहप्रबन्ध निदेशक, इण्डोगल्फ, लि0 से ऊपर अंकित बिन्दु 1 व 2 के सम्बन्ध में कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। मिल के बैंकर द्वारा जिलाधिकारी को मौखिक रुप से अवगत कराया गया है कि चीनी मिल द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में चीनी की नीलामी के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर मा0 न्यायालय ने दिनांक 23-2-2004 की तिथि निर्धारित करते हुए नीलामी पर रोक लगा दी है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका की प्रभावी पैरवी हेतु गन्ना आयुक्त को निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु-4 में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा अपने स्तर पर एक बैठक भी अयोजित की गयी परन्तु कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया।]

जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में नाले की सफाई न होने से सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बरबाद होने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 16-02-2004 को विधान सभा में यह सूचना दी गयी है कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात में ग्राम-डहरमौवा उर्फ कौड़ा, प्यारेपुर, मिर्जापुर कटवां इत्यादि गॉव

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ताल से घिरा हुआ है। इसी ताल में शारदा सहायक की एक शाखा मिला दिया गया है जिससे वहाँ के किसानों की लगभग 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि जलमग्न रहती है। उन्होंने यह मांग की है कि विधान सभा सादात जनपद गाजीपुर के ग्राम डहरमौवा, प्यारेपुर, कटवां इत्यादि गाँवों की 6 किमी0 नाले की खुदायी कराकर खारारी नाले के पहाई गांव तक सफाई एवं खुदाई करायी जाय।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सादात जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत बड़ा गांव ताल से एक प्राकृतिक नाला निकलकर ग्राम मिर्जापुर, प्यारेपुर डहरवाल उर्फ कौड़ा कटवा होते हुये खरारी ड्रेन में गिरता है। बड़ा गाँव ताल से बौरवों ताल (जो खरारी ड्रेन का उद्गम स्थल है)के मध्य इस ड्रेन की लम्बाई लगभग 13 कि0मी0 है। वर्तमान समय में इस ड्रेन के पानी की निकासी की क्षमता अत्यन्त क्षीण हो जाने के कारण बड़ा गाँव ताल के कैचमेंट का पानी पूर्णतया नहीं निकल पाता है जिससे जल जमाव की समस्या बनी रहती है। कटया ताल से सैदपुर बंहरिया बाद रोड क्रासिंग तक ग्राम प्यारेपुर के निकट जिसकी लम्बाई लगभग 6.0 किमी0 है, के मध्य वर्षा के दिनों में समुचित जल निकासी नहीं हो पाती है क्योंकि कटया ताल से बौरवां ताल के मध्य लगभग 3 कि0मी0 लम्बाई में प्राकृतिक ड्रेन अब भी अवरूद्ध है। साथ ही साथ खरारी ड्रेन जो ग्राम रसूलपुर के निकट वेसों नाली में सीधे गिरती है, की लम्बाई 24 कि0मी0 है, उसमें जगह-जगह अवरोध एवं तली ऊंची होने के कारण ड्रेन से समुचित जल निकासी नहीं हो पाती है। इस कारण उपरोक्त ग्रामों में लगभग 100 हेक्टेयर एवं खरारी ड्रेन के आसपास लगभग 500 हैक्टेयर कुल लगभग 600 हैक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव की समस्या बनी रहती है।

उक्त स्थिति में प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकास के लिये विस्तृत सर्वेक्षण कराने के उपरान्त योजना बनाने पर विचार किया जायेगा]

जनपद बागपत में निजी चीनी मिल मालिकों द्वारा कम दरों पर गन्ने का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि शुगरकेन (कंट्रोल)-आर्डर 1966 की धारा-3 के अन्तर्गत चीनी मिलों की रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया जाता है। पेराई सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सांविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य की घोषणा की जाती है। यह न्यूनतम मूल्य वर्तमान पेराई सत्र 2003-04 हेतु 8.5 प्रतिशत रिकवरी पर रू0-73 प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है व प्रत्येक 0.1 प्रतिशत रिकवरी की वृद्धि होने पर 0.85 रूपया अतिरिक्त देय होगा। गन्ने की रिकवरी अनेक कारणों यथा गन्ना प्रबन्धन, मिल की स्थिति तथा संयत्रों को कार्य क्षमता के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है फिर भी निजी चीनी मिलों द्वारा रिकवरी कम दिखाये जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने हेतु विशेषज्ञ टीमों का गठन कर पूरे प्रदेश की चीनी मिलों की जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं। कुछ चीनी मिलों की रिकवरी की जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। उनका परीक्षण कर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु गन्ना आयुक्त को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों का चीनी परता एवं उससे संबंधित पंजिकाओं प्रपत्रों लेखा अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की जांच करने हेतु उत्तर प्रदेश (गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद में तैनात जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी/क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त / उप चीनी आयुक्त / जिला गन्ना अधिकारी / सहायक चीनी आयुक्त / निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर / निदेशक, गेदां सिंह, गन्ना अनुसंधान केन्द्र सेवरही, कुशीनगर / गन्ना आयुक्त मुख्यालय के समस्त राजपत्रित अधिकारी / सचिव, सहकारी गन्ना समितियों आदि को अधिकृत किया गया है। जनपद बागपत,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मलकपुर चीनी मिल के विरूद्ध दिनांक 29-1-2004 को चीनी रिकवरी में हेरा-फेरी किये जाने के संबंध में धारा 420 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों को वर्ष 1972 से राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित कर एक समान मूल्य दिलाया जाता रहा है। निजी चीनी मिल एसोशियेशन द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित करने के राज्य सरकार के अधिकार को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय में बाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण की अधिकारिता के प्रश्न पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला लम्बित है जिसमें सुनवाई हो चुकी है तथा मा0 न्यायालय का निर्णय प्रतीक्षित है। मा0 सर्वोच्च ल्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात ही एक समान मूल्य दिये जाने या न दिये जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है।

सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह सजग एवं संवेदनशील है तथा कृषकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य दिलाने हेतु कृत संकल्प है।]

जनपद जालौन में कहटा चिनौठ के मध्य बेतवा नदी पर सेतु निर्माण कराने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[जनपद जालौन में कालपी राठ मार्ग पर वेतवा नदी पर पुल निर्माण हेतु निरीक्षण कराया गया, निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि इस स्थल पर लगभग 700 मीटर लम्बाई के सेतु निर्माण की आवश्यकता होगी जिसकी लागत लगभग रू0 25.00 करोड़ अनुमानित है।

प्रस्तावित सेतु निर्माण स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 20 किमी0 की दूरी पर सोहाना घाट पर 700 मीटर लम्बा, पुल निर्मित है तथा डाउनस्ट्रीम में लगभगा 40 किमी0 की दूरी पर हमीरपुर में संजय सेतु निर्मित है। प्रस्तावित सेतु की वृहत लागत एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत् रखते हुए सेतु निर्माण की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है।]

जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में श्री ओ0पी0सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखा शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया है कि उक्त कार्यालय के लिपिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अध्यापकों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उन्हें किसी प्रकार का भुगतान बिना भारी रिश्वत लिये नहीं किया जाता है। जो रिश्वत नहीं देता है उसका भुगतान किन्हीं न किन्हीं कारणों से रोक दिया जाता है। अध्यापकों के पेंशन निर्धारण में मनमानी की जा रही है। जो अध्यापक पहले अप्रशिक्षित थे, बाद में सेवाकाल में ही प्रशिक्षित हो गये उनके अप्रशिक्षित सेवाकाल की पेंशन को गणना में जोड़ने का विभागीय शासनादेश होने के बावजूद ऐसे अध्यापकों की पेंशन उक्त अप्रशिक्षित काल को बिना जोड़े हुये की जा रही है, जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर, गोरखपुर आदि सभी जगह शासनादेश के मुताबिक अप्रशिक्षित अवधि को जोड़कर पेंशन निर्धारित की जा रही है। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद होने वाले भुगतानों जैसे फण्ड, पेंशन, राशिकरण आदि के भुगतान भी बिना पैसा लिये नहीं किया जा रहा है। इस कारण बाराबंकी के शिक्षकों में विशेष रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों में घोर असंतोष व्याप्त है। यही नहीं

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभागीय स्टाफ के भुगतान नहीं किये जा रहे हैं। मा0 सदस्य ने उक्त कार्यालय के भ्रष्ट कर्मचारियों के आचरण एवं क्रियाकलापों की जांच कराकर उन्हें दोषी पाये जाने पर दण्डित किये जाने और सेवानिवृत्त अध्यापकों के लम्बित भुगतानों को यथाशीघ्र एवं नियमबद्ध तरीके से करवाने की मॉग की है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के लेखा शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्री मोहन सिंह, वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद को जॉच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की जॉच स्वयं करके आख्या शासन को 07 दिन के भीतर उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जाच आख्या प्राप्त होने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में स्वीकृत पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

इस मद को माननीय मंत्री जी ने स्थगित रखने का अनुरोध किया है, इसलिये यह मद स्थगित की जाती है।

प्रदेश में प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसायटियों द्वारा खाद एवं बीज का वितरण रोके जाने के सम्बन्ध में श्री राम हेतु द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[माननीय सदस्य द्वारा प्रदेश में प्राइवेट रजिस्टर्ड समितियों द्वारा खाद एवं बीज का वितरण रोके जाने के संबंध में सूचना दी गयी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत कोई भी प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है इस अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रकार की सहकारी समितियॉ रजिस्टर्ड है जैसे- प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (फैक्स), सहाकरी संघ, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, जिला सहकारी विकास संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, प्राइमरी उपभोक्ता सहकारी संघ, बहुउद्देशीय विपणन समिति एवं राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समितियॉ आदि।

उक्त सहकारी समितियों में से प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा किसानों को सदस्य बना कर फसली ऋण, उर्वरक तथा अन्य कृषि निवेशों का वितरण प्रमुख रूप से किया जाता रहा है। ये समितियाँ व्यापक सदस्यता वाली समितियॉ हैं, जब कि बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समिति एवं प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियॉ, सीमित सदस्यता वाली समितियॉ हैं, जिनका संचालन निजी लाभ के लिये कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है तथा जो अधोलिखित सहकारी सिद्धांतों के विपरीत कार्य कर रही हैं,:-

1- स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता।
2- प्रजातांत्रिक सदस्य-नियन्त्रण।
3- सदस्य की आर्थिक भागीदारी।
4- स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता।
5- शिक्षा-प्रशिक्षण एवं सूचना।
6- सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग।
7- सामाजिक कर्तव्य बोध।

उल्लेखनीय है कि सहकारी क्षेत्र की उर्वरक निर्माता कम्पनी इफ्को एवं कृभकों राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थायें हैं, जो उनके द्वारा उत्पादित उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से ही कर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सकती हैं। विगत वर्षो में प्रदेश में सीमित सदस्यता वाली इन बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समितियों तथा प्राइमरी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक एवं बीज वितरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ (नेफेड) तथा अन्य अनेक सहकारी समितियों द्वारा अपने नियमित स्टाफ के अलावा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से इफ्कों एवं कृभकों के उर्वरकों की बिक्री की जा रही है। बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं फेन्चाइजी द्वारा सदस्यों के स्थान पर पर अपने व्यक्तिगत निजी लाभ के लिये उर्वरकों को बिक्री की जाती है। इन संस्थाओं एवं फ्रेन्चाइजी द्वारा उर्वरक वितरण कराये जाने के कारण फैक्स को उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत फैक्स में सार्वभौमिक सदस्या का नियन लागू है, जिसके अन्तर्गत फैक्स की सदस्यता उसके कार्यक्षेत्र के सभी अर्ह निवासियों को, धर्म जाति, व्यवसाय एवं लिंग के भेट के बिना सुलभ है, जब कि बहुउद्देशीय विपणन समितियों, उपभोक्ता समितियों के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है, फ्रेन्चाइजी तो व्यक्तिगत व्यवसायी की भांति उर्वरक व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका सहकारी सिद्धान्तों में कोई विश्वास नहीं है, फ्रेन्चाइजी के द्वारा उर्वरक वितरण निजी लाभ के लिये किया जा रहा है। उनका कार्य भी सहकारी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। कदाचित् माननीय सदस्य का आशय समिति सदस्यता वाली इन बहुउद्देशीय विपणन सहकारी समितियों, प्राइमरी उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा फेन्चाइजी के माध्यम से उर्वरक एवं बीज वितरण रोके जाने के संबंध में है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुये सहकारिता विभाग द्वारा पूर्व में ही इफ्को, कृषकों के उर्वरक, प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों (फैक्स) के अतिरिक्त जिला सहकारी संघों, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, नैफेड, पी0सी0एफ0, इफ्कों, कृभकों उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उ0प्र0 आलू एवं विकास विपणन संघ के केवल नियमित स्टाफ द्वारा संचालित उर्वरक बिक्री केन्द्रों से ही बिक्री कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इस व्यवस्था से किसानों को गत वर्ष की तुलना में जैसा नीचे अंकित विवरण से स्पष्ट है, सहकारी समितियों के माध्यम से अधिक मात्रा में खाद एवं अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण सुनिश्चित किया जा सका है:-

दिनाक 16-02-2004 की स्थिति के अनुसार-

क्रमांक	मद	इकाई	वितरण	प्रति वर्ष इसी अवधि में पूर्ति	वृद्धि
1-	उर्वरक	मै0टन	1966690	1769032	197658
2-	बीज	कुन्तल	467685	455088	12597
3-	अल्पकालीन फसली ऋण	करोड़ रूपये	1125.71	1052.20	73.51

मद संख्या -35

(पुकारे जाने एवं संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

विधेयक के पुर: स्थापन के पूर्व विधेयक की प्रतियां उपलब्ध कराने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मद संख्या-35 पर इंट्रेगल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर अनुज्ञा मॉगने की बात है। आप का ध्यान नियमावली के नियम-123 की ओर ले जाना चाहता हूँ। जिसमें

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा, जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है। मान लीजिये, किसी को कोई संवैधानिक आपत्ति है। हमें इसके ऊपर संशोधन देना, हो इसलिये मैंने एक घन्टे पहले तक तलाश कराया, मैं स्वयं गया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं थी। इसको इतने हल्के-फुल्के तरीके से न लें। मेरा आपसे आग्रह यह है कि यह विधेयक जब तक हम लोग देख न लें, हम समझ न लें, तब तक इसे न लाया जाय। इस तरह नियमों की अवहेलना करना सदन की गरिमा के अनुरूप न होगा। इस पर मैं आपके आसन से संरक्षण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक नियम-123 का पालन न हो जाय, तब तक इसे पुर:स्थापन की अनुज्ञा मांगने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा न दी जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सारी सामग्री उपलब्ध होती है। विधेयक आपकी सेवा में है।

श्री हुकुम सिंह-

एक दिन पूर्व उपलब्ध हो जाना चाहिये। मैंनें अभी एक घन्टे पहले तक तलाश करा लिया, आप भी अपने कार्यालय से इसकी पुष्टि करा लें।

श्री अधिष्ठाता-

जो आपत्ति उठाई गयी है, वह बिल्कुल सच है और नियमानुकूल है। चूँकि कार्य मंत्रणा समिति में यह विषय आया था और माननीय अध्यक्ष जी ने इसी बात के लिये सहमति दे दी थी।

श्री हुकुम सिंह-

सहमति दी थी, लेकिन सहमति देने के बाद भी प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी ने तो नहीं कहा होगा कि इसकी प्रतिलिपि न दी जाय। एक बात तो साफ आई, यहाँ पर अनावश्यक रूप से विवाद हो रहा था। यदि कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष जी ने आदेश दे दिये हैं तो यह शिरोधार्य है। यदि ऐसा आदेश हुआ है, तो सरकार को हरकत में आ जाना चाहिए था, आप प्रतिलिपि उपलब्ध करा देते।

श्री अधिष्ठाता-

यह ठीक है कि अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गयी थी लेकिन शासन की यह जिम्मेदारी है कि उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराये। कृपया भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

यह आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जायेगा। चूँकि मैं कार्य मंत्रण कर हवाला यहां नहीं देना चाहता था।

इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004+

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट:- + दिनांक 26-3-2004 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इंटेग्रल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद सं0-37 में मुझे आपत्ति है। हमें कुछ समझने दीजिए, हम देख तो लें कि कहीं इस पर राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता तो नही है। आप कुछ भी लायेंगे अनुज्ञा मिलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि संख्या बल आपके पक्ष में है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नियमों को ताक पर रख दिया जाय?

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, यह एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो कि अपनी नवैयत का बिल्कुल अलग है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मानयवर, अभी मद सं0-35 के मामले में जो व्यवस्था दी है उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज की सूची को पारण के लिए प्रस्तुत कर रहे है। जब अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया है तो उसे दोबारा उठाया जाना कदाचित उचित नही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने उचित की बात कही है। इन सबके लिए सब कुछ उचित है। अध्यक्ष जी ने निर्णय दे दिया किसी को क्या पता?

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मुझे उसी समय से खतरा उत्पन्न हो गया था जब आप नियमावली की किताब पढ़ रहे थे।

उत्तर प्रदेश राज्यकोषीय उत्तरादायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004+

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाहन 11.00 बजे पुन: बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 20 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

नोट:- + दिनांक 26-3-2004 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित **प्रश्न सं0- 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ .....पर)**

प्रेषक,

कृषि-निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एफ0एम0/729/टी0ए0जी0/उ0गु0नि0का0योजना 03-04 दिनांक जुलाई 8, 2003

विषय :- वर्ष 2003-2004 हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कृषि नीति 1999 के अनुसार प्रदेश का उत्पादन वर्ष 2007 तक दो गुना किया जाना प्रस्तावित है। इस परिपेक्ष्य में नवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत लक्षित है।

कृषि उत्पादन में उर्वरक की महत्ता के दृष्टिगत कृषकों को शुद्ध उर्वरक निर्धारित मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध कराने का दायित्व आपके समय निर्देशन में कृषि विभाग के अधिकारियों का है। सफल फसलोत्पादन निर्धारित लक्ष्यानुरूप प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण कृषि निवेशों में उर्वरक एक आवश्यक कृषि निवेश है, जिसकी गुणवत्तर सुनिश्चित किया जाना परम आवश्यक है। प्रदेश में उर्वरक की गुणवत्ता आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं तत्संशोधन आदेश 2003 के सुसंगत प्राविधानों को अनुसरित कर किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष 2003-04 में उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में व्यापक स्तर पर संचालित करने की आवश्यकता है जिसके लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 में दी गई व्यवस्था के तहत कार्यवाही में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना भी अपेक्षित है।

(1) शीर्ष संस्थाओं यथा यू0पी0 एग्रो, गन्ना संघ, सहकारिता (सहकारी समितियों) तथा निजी क्षेत्र के विक्री केन्द्रों एवं उर्वरक विनिर्माता संस्थाओं के गोदामों एवं विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण में शासनादेश सं0 4938/ 12-2-2001-एफ-52/2000 दिनाक 10-9-2001 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा निर्धारित रूप पत्र पर निरीक्षणोपरान्त आख्या प्रेषित की जाय। ताकि उपलब्ध उर्वरकों के सम्बन्ध में नमूना न लिये जाने का कारण भी स्पष्ट हो सके।

(2) जनपद में स्थापित उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण शासनादेश सं0 2273/12-2-94/ एफ-37/ 94 दिनांक 7-5-94 में दी गई व्यवस्था का पालन कराते हुए किया जाय। यूरिया एवं सूक्ष्म पोषक उर्वकों के विनिर्मताओं द्वारा किये जा रहे उत्पादन की पांच प्रतिशत मात्रा का दो माह में एक बार तथा अन्य उर्वरक विनिर्माताओं का मासिक रूप से निरीक्षण कर नमूना ग्रहित किया जाय ताकि कृषकों को निर्धारित मानक के उर्वरक उपलब्ध कराने में श्रोत स्तर से योगदान रहे तथापि अमानक उर्वरक विनिर्माण पर भी रोक लग सके।

(3) उर्वरक नियंत्रण संशोधित आदेश 2003 के अनुच्छेद 31 में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची-II में भाग 'क' में उर्वरकों के नमूनों का लेने की प्रक्रिया शीर्षक के अन्तर्गत क्र0सं0 2 में भाग 'ग' में नमूना लेने के लिये बोरियों का चयन किसी एक लाट के आकार पर निर्भर होगी, जो निम्नवत होगी।

बोरियों की संख्या	नमूने हेतु चयनार्थ बोरियों की संख्या
10 तक	1
11-100	2
101-200	3
201-400	4
401-600	5
601-800	6
801-1000	7
1001-1300	8
1301-1600	9
1601-2000	10

इस प्रकार अधिकतम 100 मै0 टन (2000 बोरी) का एक लाट बनाकर एक नमूना ग्रहीत किया जाय। यदि मात्रा 100 टन से अधिक हो तो अधिकतम 100 मै0 टन मात्रा के लाट बनाकर प्रत्येक लाट के अलग-अलग नमूने ग्रहीत किये जॉय।

(4) विनिर्माता / बफर / थोक विक्रेताओं के यहां नमूने ग्रहित करने की कार्यवाही इस प्रकार की जाय कि सम्बन्धित के यहॉ उपलब्ध स्टाक के अनुरूप संदर्भित लक्ष्य के अनुसार नमूने ग्रहित करने के लक्ष्य का शत-प्रतिशत अच्छादन सुनिश्चित किये जाय।

(5) उर्वरक के नमूने एफ0सी0ओ0 1985 एवं तत्संशोधन आदेश 2003 की अनुसची-II में दी गयी विधिसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध स्टाक के लाट के बोरों की संख्या चयनित कर कम्पोजिट नमूना तैयार करें एवं मोटे गेज के पॉलिथीन के थैली में नमूना भरने के पश्चात "त" (Form-P) ग्रहीत नमूनों की विकिष्टियों को अंकित करके नमूनों की थैली में अंदर डालकर तत्पश्चात प्रारूप "त" की सूचना, व कोड थैली पर अंकित करके नमूनों को विधिवत रूप से सीलबन्द कर शासनादेश संख्या-4939 / 12-2-2001- एफ -92 / 2000 दिनांक 10-9-2001 के क्रम में निर्गत कृषि निदेशक, उ0प्र0 के व्यवस्थादेश संख्या-एफ0एम0/ 1137 एफ0सी0ओ0 / दिनांक 24-9-2001 अनुसार विश्लेषण हेतु प्रेषित किया जाय तथापि संदर्भ नमूना भी यथा निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार उच्चाधिकारी के पास रखा जाना व्यवस्थित किया जाय।

(6) प्रारूप-ञ (Form-J) में प्रमाण-पत्र का पंजीयन संख्या, लाट सं0 एवं बैच सं0 (सिंगिल सुपर फास्फेट की स्थित में) को भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

(7) निरीक्षण के समय प्रवर्तन कार्यवाही में जनपद के उर्वरक निरीक्षकों से यह भी अपेक्षित है कि यदि उपलब्ध स्टाक संदिग्ध है और उसकी भौतिक दशा आदि से प्रथम दृष्टया अमानक होने

की सम्भावना है तो ऐसे स्टाक से नमूना ग्रहण उपरान्त स्टाक को विक्रय करने से प्रतिबंन्धित किया जाय तथा 21 दिन के अन्दर परीक्षण आदि की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम निर्णय ले लिया जाय ताकि विधिसंगत प्रकिया का उल्लंघन न हो तथापि कार्यवाही भी यथेष्ठ रहे।

(8) थोक विक्रेताओं/बफर स्टाकिस्टों के यहां नमूना ग्रहित करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यूरिया एवं एम0ओ0पी0 उर्वरक के नमूने भण्डारित उर्वरक की गुणवत्ता संदिग्ध होने की दशा में ही ग्रहीत किये जाय अन्य उर्वरकों से उपलब्धता के दृष्टिगत नमूने ग्रहित किया जाना आवश्यक है तथापि यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित लक्ष्य के कम से कम 40 प्रतिशत नमूने खरीफ में तथा शेष 60 प्रतिशत नमूने रबी में ग्रहित कर परीक्षण कराये जाये।

(9) गत वर्षो के अनुभवों पर स्पष्ट हुआ है कि अमानक नमूना पाये जाने पर समय सीमा के तहत अन्तिम कार्यवाही दोषी के प्रति नहीं हो पाती है, जिसका लाभ प्राप्त कर उल्लंघनकर्ता व्यापार करता रहता है। नमूना का परिणाम यदि परीक्षणोपरान्त अमानक प्राप्त है तो दोषी संस्था के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में एफ0सी0ओ0, 1985 की धारा-31 के तहत नियमानुसार विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय।

(10) उर्वरक नमूने अमानक पाये जाने एवं अन्य मानों के प्रतिफल एफ0सी0ओ0, 1985 के खण्ड-32 के तहत वादी सस्थाओं की दायर अपील निरस्त होने की दशा में संस्थाओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गयी है। इन प्रकरणों का प्रभावी अनुश्रवण कर यथासमय पैरवी की जाय ताकि मा0 न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष कमजोर न रहे।

(11) थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक विक्रय निबन्धन प्रमाण पत्र निर्गत करते समय श्रोत प्रमाण पत्र के आधार पर उर्वरक विक्रय प्रमाण पत्र में ब्राण्ड एवं उर्वरक विनिर्माता का उल्लेख अवश्य किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता द्वारा उसी ब्राण्ड/उर्वरक विनिर्माता द्वारा आपूर्तित उर्वरक का विक्रय किया जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, उ0प्र0
कृषि भवन लखनऊ।

पत्रांक-एफ0एम0/729/टी0ए0जी0/ उ0गु0नि0का0 योजना 03-04 दिनांकजुलाई 8, 2003 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव (कृषि) उत्तर प्रदेश शासन, कृषि अनुभाग-2 विधान भवन, लखनऊ को अन्तरिम उर्वरक गुणनियंत्रण कार्यक्रम कार्ययोजना वर्ष 2003-2004 की प्रति सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन में निर्गत करने हेतु उक्त योजना माह मार्च 2003 में प्रेषित की गयी थी परन्तु अभी तक शासन द्वारा योजना निर्गत न होने के प्रतिफल अन्तरिम कार्ययोजना वर्ष 2003-2004 अधोहस्ताक्षरी के स्तर से निर्गत कर दी गयी है। जिससे समय से लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। शासन स्तर से उक्त कार्ययोजना प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

2- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप कृषि निदेशक, (प्रसार), उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, उ0प्र0
कृषि भवन लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उर्वरक गुण नियंत्रण कार्य योजना 2003-2004 के अन्तर्गत जनपदों में स्थापित उर्वरक विनिर्माता आयातकों के बफर गोदामों थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के दृष्टिगत छापे/निरीक्षणों एवं उर्वरक नमूनों को ग्रहीत करने हेतु जनपदवार लक्ष्य।

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में छापे / निरीक्षणों का लक्ष्य (संख्या)				नमूने ग्रहित करने का लक्ष्य (संख्या)				जनपद का लक्ष्य
		वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	
1.	सहारनपुर	12	60	220	350	13	20	110	79	222
2.	मुजफ्फर नगर	102	70	590	700	53	30	200	23	306
	योग-	114	130	810	1050	66	50	310	102	528
3.	मेरठ	126	100	440	450	63	20	88	22	193
4.	गाजियाबाद	84	10	670	250	48	16	67	30	161
5.	बागपत	12	5	60	350	8	10	30	58	106
6.	गौतमबुद्ध नगर		5	40	250		11	22	78	111
7.	बुलन्दशहर	24	55	220	650	18	20	110	57	205
	योग-	246	175	1430	1950	137	77	317	245	776
8.	आगरा		90	330	520		24	165	52	241
9.	अलीगढ़		95	220	800		29	110	150	289
10.	महामाया नगर		15	90	320		11	45	55	111
11.	एटा	6	60	350	780	18	30	175	77	300
12.	मथुरा	6	55	200	450	11	18	100	48	177
13.	मैनपुरी		90	270	650		25	135	87	247
14.	फिरोजाबाद	12	35	270	550	13	21	135	40	209
	योग-	24	440	1730	4070	42	158	865	509	1574
15.	बरेली	36	105	450	800	23	28	180	51	282
16.	बदायूँ	6	55	410	800	16	26	205	14	261
17.	शाहजहाँपुर	36	105	420	500	28	33	210	59	330
18.	पीलीभीत		70	430	600		21	172	25	218
	योग-	78	335	1710	2700	67	108	767	149	1091
19.	मुरादाबाद		115	200	200		20	100	80	200
20.	बिजनौर	24	40	360	800	16	25	144	65	250
21.	जे0पी0नगर	30	15	130	150	18	25	65	142	250
22.	रामपुर	24	50	270	500	15	22	135	53	225
	योग-	78	220	960	1650	49	92	444	340	925

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में छापे / निरीक्षणों का लक्ष्य (संख्या)				नमूने ग्रहित करने का लक्ष्य (संख्या)				जनपद का लक्ष्य
		वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	
23.	फर्रूखाबाद	24	105	270	450	14	20	135	39	208
24.	कन्नौज		25	220	550		17	88	67	172
25.	इटावा	6	70	130	350	12	18	65	86	181
26.	औरैया		30	170	350		20	85	96	201
27.	कानपुर (नगर)	48	175	140	350	38	20	70	78	206
28.	कानपुर(देहात)	42		50	350	23		25	82	130
	योग-	120	405	980	2400	87	95	468	448	1098
29.	इलाहाबाद	6	115	110	1150	18	30	55	197	300
30.	कौशाम्बी		5	30	270		16	15	129	160
31.	फतेहपुर	12	55	250	900	18	31	125	142	316
32.	प्रतापगढ़		55	90	600		20	45	135	200
	योग-	18	230	480	2900	36	97	240	603	976
33.	झाँसी	12	80	70	250	11	15	35	89	150
34.	ललितपुर	12	40	70	250	8	10	35	47	100
35.	जालौन		25	140	350		12	70	43	125
	योग-	24	145	280	850	19	37	140	179	375
36.	वाराणसी	36	140	470	600	23	28	188	44	283
37.	गाजीपुर	36	35	260	750	19	30	130	129	308
38.	जौनपुर		60	230	400		12	92	16	120
39.	चन्दौली	6	15	110	450		15	55	80	150
	योग-	78	250	1070	2200	42	85	465	269	861
40.	हमीरपुर		20	40	250		11	20	81	112
41.	महोबा		30	40	90		6	20	19	45
42.	बाँदा		20	90	180		8	45	36	89
43.	चित्रकूट			80	150			40	40	80
	योग-	0	70	250	670	0	25	125	176	326
44.	मिर्जापुर		30	400	450		10	80	10	100
45.	सन्त रविदास नगर	12	55	80	250	11	16	40	93	160
46.	सोनभद्र		10	50	450		10	25	67	102
	योग-	12	95	530	1150	11	36	145	170	362
47.	आजमगढ़		70	340	1200		42	170	213	425
48.	मऊ		75	130	650		23	65	148	236
49.	बलिया		25	260	550		20	130	51	201
	योग	0	170	730	2400	0	85	365	412	862

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में छापे / निरीक्षणों का लक्ष्य (संख्या)				नमूने ग्रहित करने का लक्ष्य (संख्या)				जनपद का लक्ष्य
		वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	वि- निर्माता	बफर गोदाम	थोक विक्रेता	खुदरा विक्रेता	
50.	गोरखपुर	36	135	270	950	22	37	135	183	377
51.	महराजगंज		30	220	750		19	110	63	192
52.	देवरिया	6	145	230	950	20	33	115	162	330
53.	कुशीनगर		30	200	350		14	100	24	138
	योग-	42	340	920	3000	42	103	460	432	1037
54.	बस्ती	12	115	330	800	16	27	165	64	272
55.	कबीरनगर		55	50	500		12	25	88	125
56.	सिद्धार्थ नगर		10	150	650		15	75	67	157
	योग-	12	180	530	1950	16	54	265	219	554
57.	गोण्डा		110	300	850		30	150	120	300
58.	बहराइच		40	220	450		16	110	34	460
59.	बलरामपुर		25	180	460		17	90	63	170
60.	श्रावस्ती			90	160			45	61	106
	योग-	0	175	790	1920	0	63	395	278	736
61.	उन्नाव	30	90	160	850	28	37	80	125	270
62.	लखनऊ	12	105	630	350	11	17	189	53	270
63.	सीतापुर	12	200	290	450	13	20	145	22	200
64.	हरदोई	30	135	420	850	19	30	210	46	305
65.	खीरी	6	90	450	800	19	32	225	49	325
66.	रायबरेली	6	85	300	1150	23	40	150	187	400
	योग-	96	705	2250	4450	113	176	999	482	1770
67.	फैजाबाद	24	145	120	750	21	35	60	184	300
68.	अम्बेडकर नगर	6	70	300	750	18	30	150	102	300
69.	सुल्तानपुर	30	80	310	750	18	19	165	38	240
70.	बाराबंकी	12	160	390	850	16	33	195	65	309
	योग-	72	455	1120	3100	73	117	570	389	1149
	महायोग-	1014	4520	16570	38410	800	1458	7340	5402	15000

एफ0सी0ओ0 की मासिक प्रगति रिपोर्ट

प्रारूप एफ0सी0ओ0-1

जनपद..... माह.....

क्र0सं0	मद	माह	क्रमिक प्रगति
1	निबन्धन प्रमाण पत्रों से प्राप्त राजस्व (रूपयों में)		
2	वर्तमान समय में कुल उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या		
	क. थोक उर्वरक विक्रेताओं की संख्या		
	ख. थोक एवं खुदरा दोनों प्रकार के निबन्धनकारी उर्वरक विक्रेताओं की संख्या		
	ग. खुदरा विक्रेताओं की संख्या		
	घ. विभागीय उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या		
3.	छापों के दौरान चेक की गई उर्वरक बिक्री केन्द्रों की कुल सख्या		
4.	गृहित किये गये उर्वरक नमूनों की कुल संख्या		
	क. थोक लाइसेन्सधारी विक्रेताओं से गृहित नमूनों की संख्या		
	ख. विनिर्माता परिसर से गृहित नमूनों की संख्या		
	ग. बफर से गृहित नमूनों की संख्या		
	घ. खुदरा उर्वरक के विक्रेताओं से गृहित नमूनों की संख्या		
	ङ निजी अनुरोध पर गृहित नमूनों की संख्या		
	च. विभागीय गृहित नमूनों की संख्या		
5.	प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु प्रेषित नमूनों की संख्या		
6.	प्रयोगशाला द्वारा अस्वीकृत नमूनों की संख्या		
7.	प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित नमूनों के विश्लेषण परिणामों की संख्या		
8.	गत वर्ष के प्रेषित नमूनों में से वर्तमान वर्ष में प्राप्त अवशेष परिणामों की संख्या		
	क. वर्तमान वर्ष में पेषित नमूनों में से प्राप्त परिणामों की संख्या		
	ख. वर्तमान में प्रेषित नमूनों में से प्राप्त परिणामों में अमानक की संख्या		
9.	अ. बफर गोदामों के अमानक नमूने		
	ब. विनिर्माता के अमानक नमूने		
10.	अ. थोक विक्रेताओं के अमानक नमूने		
	ब. खुदरा विक्रेताओं के अमानक नमूने		

11.	विभागीय गृहित नमूनों में अमानक की संख्या		
12.	निजी अनुरोध पर गृहित नमूनों में अमानक की संख्या		
13.	अमानक/ अन्य अनियमितताओं के कारण निलम्बित निबन्धन प्रमाण पत्रों की सख्या		
14.	अमानक/अन्य अनियमितताओं के कारण निरस्त निबन्धन प्रमाण-पत्रों की संख्या		
15.	उर्वरक विक्रेताओं को दी गई चेतावनी की संख्या		
16.	उर्वरक व्यापार में प्रतिबन्धित किये गये विक्रेताओं की संख्या		
17.	सील किये गये उर्वरक की बिक्री केन्द्रों की संख्या		
18.	पुलिस में दर्ज एफ0आई0आर0 की संख्या		
19.	जेल गये उर्वरक विक्रेताओं की संख्या		
20.	पकड़े गये बोरों की संख्या		
21.	चोर बाजारी के अन्तर्गत किये गये मामलों की संख्या		
22.	धारा-23 के अन्तर्गत निस्तारित किये गये मामलों की संख्या		
	क. स्वयं के अनुरोध पर किये गये मामलों की संख्या		
	ख. अमानक पाये जाने के कारण किये गये मामलों की संख्या		
	ग. विभागीय पुराने उर्वरक के मूल्य निर्धारण किये जाने के मामलो की संख्या		
23.	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या		
24.	न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये गये मामलों की संख्या		
25.	न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये मामलों की संख्या		
26.	अमानक पाये गये नमूनों से सम्बन्धित विक्रेताओं के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों की संख्या		

नोट:-

1. विक्रताओं द्वारा नमूना गृहित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध प्रार्थना-पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।
2. अमानक/ अन्य अनियमितताओं के कारण उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न करें।
3. न्यायालय द्वारा दोषमुक्त/दण्डित किये गये निर्णय की फोटो प्रति संलग्न करें।
4. पुलिस में दर्ज एफ0आई0आर0 की फोटो प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

जिला कृषि अधिकारी

पी0एम0यू0सी0-एल0 95 विधान सभा-(195)-29-7-2004-813 (कम्प्यूटर) ।